


अनूपपुर विकास योजना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973

के


प्रावधानान्तर्गत प्रकाशित



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

अनूपपुर

1.2 क्षेत्रीय बसावट




प्रस्तावना

अनुपम प्राकृतिक सौम्यता एवं मध्य भारत की महत्वपूर्ण धार्मिक नदियों सोन, नर्मदा, जुहिला, एवं तिपान नदी का उद्गम स्थल, पर्यटक केन्द्र अमरकंटक को अपने अंकस्थल में समाहित किये हुये अनूपपुर नवगठित जिला मुख्यालय नगर है। कटनी-बिलासपुर रेल मार्ग पर स्थित यह नगर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं क्षेत्रीय मार्गों से देश एवं प्रदेश के नगरों से जुड़ा हुआ है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार 23°-50' से 23°-0' उत्तरी अक्षांश तथा 81°-40' से 82°-10' पूर्वी देशांश के मध्य समुद्र सतह से 400 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।

नगर की मुख्य बसाहट पुरानी पद्धति की होने के कारण, पुराने आबादी क्षेत्र में खुले स्थलों का सर्वथा अभाव है, नगर के मध्य से रेलवे लाईन गुजरने एवं उपयुक्त मार्ग संरचना के अभाव में नगर का समग्र भौतिक विकास नहीं हुआ है। साथ ही जिले का दर्जा प्राप्त होने से जिला स्तर की समस्त गतिविधियाँ पूर्व के आवासीय क्षेत्र में संचालित होने से नियंत्रित एवं नियोजित विकास की आवश्यकता है।

अनूपपुर के नियोजित विकास हेतु विकास योजना 2021 में भूमि के युक्तियुक्त उपयोग, सुगम परिवहन संरचना, अधोसंरचना के उन्नयन एवं विकास के साथ ही नगर में स्थित तालाबों के संरक्षण हेतु प्रस्ताव सृजित किये गये हैं। विकास योजना म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19(1) के अंतर्गत अनुमोदित होकर आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-100/2008 /32 दिनांक 27.06.2009 के द्वारा अनुमोदित होकर सूचना के म.प्र. असाधारण राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 27.06.2009 से प्रभावशील है।

मुझे आशा है कि विकास योजना के क्रियान्वयन से निःसंदेह नगर का समानुपातिक नियोजित विकास होगा। विकास प्रस्तावों के क्रियान्वयन में सभी संबंधित विभागों/संस्थाओं का योगदान अपेक्षित है।



(अरुण कोचर)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

अनूपपुर विकास योजना

योजना दल

अपर संचालक

बी.एन.त्रिपाठी

संयुक्त संचालक

व्ही.पी.कुलश्रेष्ठ

पी.डी साहू

उप संचालक

जे.पी.सिंह

एस.एस.कलसी

सहायक संचालक

नजमा नबी

कर्मचारीगण

एम.बी सिंह

लीलम्मा सी

नसीम ईनाम

आर.सी.खरे

पी.एस.बातव

एस.पी.वर्मा

अरुण बराडपांडे

ए.के.पाण्डेय

अरविंद सक्सेना

यू.एस.सतनामी

जगदीश सिंह

सी.एस.सिंह

प्रतिभा पडवार

बुद्धदेव सिंह

विषय सूची

प्रस्तावना	
योजना दल	
विषय सूची	i-iii
मानचित्र की सूची	iv
सारणी सूची	v-vi

भाग-एक : नगर परिचय एवं समस्याओं का विश्लेषण

अध्याय- 1	नगर परिचय	1-8
1.1	स्थिति	1
1.2	निवेश क्षेत्र	1
1.3	नगर पालिका	2
1.4	भौतिक स्वरूप	2
1.5	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	3
1.6	जनसंख्या दशक वृद्धि	4
1.7	नगर की आर्थिक रूपरेखा	4
अध्याय- 2	वर्तमान भूमि उपयोग एवं आवास	9-21
2.1	भूमि उपलब्धता	9
2.2	भूमि उपयोग वर्गीकरण	9
2.3	वर्तमान भूमि उपयोग	10
2.4	आवासीय	12
2.5	वाणिज्यिक	15
2.6	औद्योगिक	16
2.7	सार्वजनिक, अर्द्ध सार्वजनिक एवं सार्वजनिक सेवाएं-सुविधाएं	18
2.8	आमोद-प्रमोद	20
2.9	यातायात एवं परिवहन	20
2.10	असंगत भूमि उपयोग	20
अध्याय-3	वर्तमान परिभ्रमण संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना	22-29
3.1	यातायात एवं परिभ्रमण संरचना	22
3.2	क्षेत्रीय यातायात परिभ्रमण संरचना	22
3.3	नगरीय परिभ्रमण संरचना	23
3.4	परिवहन के साधन	24
3.5	यातायात समस्यायें	24
3.6	नगरीय अधोसंरचना	26



3.7	हवाई पट्टी	28
3.8	तालाब/जलाशय	28
3.9	अन्य सेवा सुविधाएं	29

भाग-दो - नियोजन प्रस्ताव

अध्याय-4	भावी आवश्यकताएं एवं प्रस्तावित भू-उपयोग	30-39
4.1	नगर के भावी कार्यकलाप	30
4.2	योजना काल	30
4.3	भावी जनसंख्या	30
4.4	योजना का उद्देश्य एवं लक्ष्य	31
4.5	योजना की अवधारणा	31
4.6	आवासीय इकाईयों की आवश्यकता	32
4.7	प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भू-आवंटन-2021	33
4.8	भूमि उपयोग संरचना	33
4.9	असंगत भूमि उपयोग	38
4.10	ग्राम विकास	39
अध्याय -5	प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना	40-47
5.1	प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना	40
5.2	क्षेत्रीय परिभ्रमण संरचना	40
5.3	नगरीय परिभ्रमण संरचना	40
5.4	मार्गों का कार्यात्मक श्रेणीक्रम	41
5.5	मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई	42
5.6	यातायात में सुधार हेतु प्रस्ताव	45
5.7	वाणिज्यिक सह आवासीय मार्ग	45
5.8	प्रस्तावित अधोसंरचना	46
अध्याय -6	विकास नियमन	48-76
6.1	प्रवृत्तशीलता	48
6.2	क्षेत्राधिकार	48
6.3	परिभाषायें	50
6.4	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	50
6.5	नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन	51
6.6	वन आवास	53
6.7	औपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान	53
6.8	वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए रूपांकन मार्गदर्शिका	54
6.9	औद्योगिक विकास मानक	57



6.10	सामाजिक अधोसंरचना हेतु मानक	58
6.11	अन्य उपयोग गतिविधियों के नियमन	63
6.12	यातायात एवं परिवहन उपयोग परिक्षेत्र	64
6.13	वाहन विराम स्थल के मापदण्ड	66
6.14	निकास मार्गों की निम्नतम चौड़ाई	67
6.15	उपयोग परिक्षेत्र में उपयोग परिसरों की अनुमति	68
6.16	मल्टीप्लेक्स	70
6.17	वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु विकास नियमन	71
6.18	संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन	73
6.19	नगरीय विरासत वाले क्षेत्रों हेतु नियमन	74
6.20	विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया	74
6.21	विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया (प्रस्तावित भू-उपयोग)	76
अध्याय -7	विकास योजना क्रियान्वयन	77-86
7.1	विकास योजना क्रियान्वयन	77
7.2	योजना क्रियान्वयन की नीति	79
7.3	पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम	79
7.4	नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना	80
7.5	योजना एवं कार्यक्रम	82
7.6	प्रथम चरण कार्यक्रम	83
7.7	योजना पर्यवेक्षण तंत्र	84
7.8	योजना की व्याख्या	86
	परिशिष्ट एवं परिभाषाएं	87-107



मानचित्रों की सूची

अनुक्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
1.	2.	3.
1.1	निवेश क्षेत्र	2 (अ)
1.2	क्षेत्रीय बसाहट	2 (अ)
2.1	वर्तमान भूमि उपयोग	10 (अ)
3.1	वर्तमान परिभ्रमण संरचना	24 (अ)
4.1	प्रस्तावित भूमि उपयोग	32 (अ)
5.1	प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना	42 (अ)
7.1	प्रथम चरण	84 (अ)



सारणी सूची

सारणी क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
1.	2.	3.
1-सा-1	निवेश क्षेत्र	1
1-सा-2	वर्षा 2006-07	3
1-सा-3	जनसंख्या वृद्धि	4
1-सा-4	व्यवसायिक संरचना-2001	5
1-सा-5	कृषि उपज	6
1-सा-6	नगर पालिका (आय-व्यय)	7
1-सा-7	बैंकिंग	7
2-सा-1	भूमि उपलब्धता	9
2-सा-2	वर्तमान भूमि उपयोग-2007	11
2-सा-3	आवासीय घनत्व (वार्ड अनुसार)	12
2-सा-4	भवनों की संरचना	13
2-सा-5	आवासों की कमी	14
2-सा-6	गंदी बस्तियां (झुग्गी-झोपड़ी)	15
2-सा-7	दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	16
2-सा-8	जिले में संचालित उद्योग	17
2-सा-9	पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाईयां	17
2-सा-10	शैक्षणिक संस्थायें	18
2-सा-11	कार्यालय	20
2-सा-12	असंगत भूमि उपयोग	21
3-सा-1	क्षेत्रीय यातायात (बस)	22
3-सा-2	माल परिवहन (रेल)	23
3-सा-3	विद्युत खपत	27
3-सा-4	तालाब (जलाशय)	28
3-सा-5	वर्तमान सेवा-सुविधायें	29
4-सा-1	अनुमानित परिवार एवं आवासों की आवश्यकता	32
4-सा-2	प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भू-आवंटन 2021	33
4-सा-3	भू-उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग	39
5-सा-1	मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई	42
6-सा-1	उपयोग परिक्षेत्र	51
6-सा-2	आवासीय भूखण्डों के विकास मापदंड	52
6-सा-3	अनौपचारिक वर्ग के लिये योजना प्रावधान	53
6-सा-4	वाणिज्यिक विकास हेतु मापदंड	54
6-सा-5	वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक	55



6-सा-6	औद्योगिक क्षेत्रों हेतु विकास मापदंड	57
6-सा-7	सेवा-सुविधाओं हेतु मापदंड	58
6-सा-8	सामुदायिक सेवा-सुविधाओं के मापदण्ड	59
6-सा-9	खुले स्थलों एवं आमोद-प्रमोद क्षेत्रों के मापदण्ड	63
6-सा-10	यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक	65
6-सा-11	यातायात नगर में सुविधाओं के मापदंड	65
6-सा-12	वाहन विराम मापदण्ड	66
6-सा-13	सड़क के किनारे वाहन विराम स्थल का आकार	67
6-सा-14	स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग	68
6-सा-15	वर्तमान आवासीय विकास हेतु भूखण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र	71
6-सा-16	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक क्षेत्र हेतु विकास मापदण्ड	73
7-सा-1	योजना कार्यान्वयन की लागत	78
7-सा-2	प्रथम चरण लागत	84



अध्याय-एक नगर परिचय

1.1 स्थिति

अनूपम प्राकृतिक सौम्यता एवं मध्य भारत की महत्वपूर्ण धार्मिक, नदियों सोन, नर्मदा, जुहिला एवं तिपान का उद्गम स्थल एवं पर्यटन केन्द्र अमरकंटक को अपने अंक स्थल में समाहित किए हुए अनूपपुर नगर जिला मुख्यालय है । यह कटनी-बिलासपुर रेल मार्ग पर शहडोल से पूर्व की ओर 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । यह राष्ट्रीय राजमार्ग एवं क्षेत्रीय मार्गों के द्वारा देश एवं प्रदेश के प्रमुख नगरों से जुड़ा है ।

नगर के उत्तर की ओर 4.0 किलोमीटर की दूरी पर कटनी से उमरिया, शहडोल, कोतमा, मनेन्द्रगढ़ की ओर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-78 गुजरता है। भौगोलिक स्थिति 23°-50' से 23°-0' उत्तरी अक्षांश तथा 81°-40' से 82°-10' पूर्वी देशांश के मध्य समुद्र सतह से 490 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ।

1.2 निवेश क्षेत्र

अनूपपुर निवेश क्षेत्र का गठन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-32-2007 भोपाल, दिनांक 30 मई 2007 को किया गया, जिसमें अनूपपुर नगरपालिका सहित उसके संस्पर्शी 15 ग्रामों को सम्मिलित कर निवेश क्षेत्र की परिसीमा निश्चित की गई, जिसका कुल क्षेत्रफल 7648.73 हेक्टेयर है ।

अनूपपुर : निवेश क्षेत्र

1-सा-1

क्रमांक	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	जनसंख्या (2001)
1	2	3	4
(अ)	नगरीय		
1.	सामतपुर		
2.	अनूपपुर	1285.03	16403
(ब)	ग्रामीण क्षेत्र		
1.	बरवसपुर	629.12	1134
2.	मानपुर	472.45	832
3.	सीतापुर	175.44	235
4.	परसवार	1130.69	1973
5.	दुलहरा	283.07	1375
6.	पिपरिया	555.32	2123
7.	बर्री	514.28	1627
8.	हर्री	289.98	1111



1	2	3	4
9.	वेला	455.84	223
10.	कुसुमहाई	78.68	315
11.	करा टोला	337.00	589
12.	संकरिया	562.72	413
13.	बैरीबांध	227.69	429
14.	दमना	111.62	88
15.	जमुडी	539.80	1229
	योग-	7648.73	30099

स्रोत : जनगणना वर्ष 2001

1.3 नगरपालिका

शहडोल जिले की सोहागपुर तहसील के अंतर्गत सामतपुर एवं अनूपपुर ग्राम पंचायत क्षेत्रों को समाविष्ट करते हुए मध्यप्रदेश शासन, स्थानीय प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 19 जून 1979 द्वारा अनूपपुर अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया तथा शासन की अधिसूचना क्रमांक 1288/18/2/81 भोपाल, दिनांक 21.11.1981 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (4) के उपखण्ड "क" द्वारा अनूपपुर अधिसूचित क्षेत्र में समाविष्ट क्षेत्र को नगर पालिका के रूप में घोषित कर उसकी परिसीमाएँ निश्चित की गई ।

तत्पश्चात् मध्यप्रदेश शासन द्वारा संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र को नगर पंचायत क्षेत्र घोषित किया गया तथा पुनः नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-41-2007- अट्टारह-3-भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2007 के अनुसार म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा-5 के तहत नगर पंचायत अनूपपुर के संपूर्ण क्षेत्र को नगरपालिका अनूपपुर अधिसूचित किया गया । जिसको कुल 15 वार्डों में विभाजित किया गया तथा कुल क्षेत्रफल 1285.03 हेक्टेयर है, जिसमें वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 16397 व्यक्ति निवास करते हैं ।

1.4 भौतिक स्वरूप

1.4.1 भू-संरचना

अनूपपुर नगरीय क्षेत्र की स्थलाकृति उल्टी प्लेटनुमा है, जिसका मध्यवर्ती भाग समतल मैदानी है तथा चारों ओर का क्षेत्र ढलावयुक्त है । नगर के पश्चिम की ओर चंदास नदी है । पूर्व में तिपान नदी तथा उत्तर की ओर सोन नदी प्रवाहित होती है । चंदास एवं तिपान नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होकर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सोन नदी में मिलती है । इस प्रकार नगर का सामान्य ढाल उत्तर की ओर है । यहां की मिट्टी काली, दुर्मट, रेतीली एवं कंकरीली है । दुर्मट मिट्टी धान उत्पादन के लिए उपयुक्त है ।


1.4.2 प्राकृतिक जल निकास

नगर के प्राकृतिक वर्षा जल निकासी हेतु कोई समुचित व्यवस्था नहीं है । नगर का प्राकृतिक जल निकास मुख्यतः दो भागों में विभाजित हो जाता है । नगर का सबसे




अनूपपुर

1.1 निवेश क्षेत्र



निवेश क्षेत्र सीमा	
नगर पालीका सीमा	
ग्राम सीमा	



ऊंचा मैदानी भाग रेलवे लाईन के उत्तर में उत्तर-पूर्व का संपूर्ण जल प्रमुख मार्गों के किनारे निर्मित नालियों एवं मार्गों से बहकर तिपान नदी में, इसी प्रकार उत्तर-पश्चिम का जल नालियों एवं मार्गों द्वारा प्रवाहित होकर चंदास नदी में जाता है । इसी प्रकार रेलवे लाईन के दक्षिण की ओर का जल संपूर्ण नालियों एवं मार्गों द्वारा प्रवाहित होकर पूर्व की ओर तिपान नदी में एवं पश्चिम की ओर चंदास नदी में मिलकर उक्त दोनों नदियों का जल प्रवाह सोन नदी में मिलता है । नगर में 18 बड़े तालाब हैं, जिसमें सामतपुर तालाब, टेढी तालाब, अमहाई तालाब एवं खम्परिया तालाब प्रमुख हैं । इस प्रकार नगर में वर्षा जल का कुछ भाग मुख्य रूप से तालाबों/पोखरों एवं निचली भूमि में समाहित हो जाता है ।

1.4.3 जलवायु

नगर की जलवायु सामान्यतः समशीतोष्ण है, जुलाई से अक्टूबर तक सामान्य वर्षा होती है । नवम्बर से फरवरी-मार्च तक शीतकाल एवं अप्रैल से जून तक ग्रीष्म काल रहता है । नगर में औसत वार्षिक वर्षा 741.7 मि.मी. मापी गई है, वर्ष में सबसे अधिक वर्षा माह अगस्त में सर्वाधिक रिकार्ड की गई है । ग्रीष्म काल में उच्चतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस तक मई-जून के महीनों में रहता है तथा शीतकाल में औसत न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है । अनूपपुर जिला मैकल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित अमरकंटक के प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होता है, जिसके कारण यहां पर गर्मी में अत्यधिक गर्मी का सामना नहीं करना पड़ता है, शीतकाल में अवश्य सामान्य से कुछ अधिक ठंड का प्रभाव होता है । सामान्यतः यहां की जलवायु उत्तम तथा स्वास्थ्य के अनुकूल है । वर्ष 2006-07 में वर्षा का विवरण निम्नानुसार है -

अनूपपुर : वर्ष 2006-07

1-सा-2

क्रमांक	माह का नाम	औसत वर्षा (मि.मी.में)
1	2	3
1.	जनवरी	निरंक
2.	फरवरी	54.3
3.	मार्च	25.5
4.	अप्रैल-मई	निरंक
5.	जून	12.5
6.	जुलाई	229.5
7.	अगस्त	251.8
8.	सितम्बर	182.5
9.	अक्टूबर	6.2
10.	नवम्बर-दिसम्बर	निरंक

1.5 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नगर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संबंध में प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सके । जनश्रुतियों के अनुसार अतीत काल में गोंडवाना रियासत के राजा अनूप सिंह थे, उन्हीं के नाम से अनूपपुर का नामकरण हुआ माना जाता है । प्रमाण स्वरूप चंदास नदी



एवं कालपी नदी के संगम पर स्थित गढ़ी के अवशेष राजा अनूप सिंह की गढ़ी के नाम से जाने जाते हैं । राजा अनूप सिंह के दो पुत्र हुए उसमें से एक का नाम दूलहशाह एवं दूसरे का नाम सामतशाह था । दूलहशाह के नाम से अनूपपुर में दुलहरा ग्राम के अंतर्गत दुहतलबा तथा सामतशाह के नाम से सामतपुर ग्राम हैं । गौडवाना रियासत के पश्चात् कलचुरी का शासन सोहागपुर एवं अनूपपुर में रहा । सन् 1956 में प्रदेश पुनर्गठन के साथ शहडोल को एक जिले के रूप में शामिल करते हुए अनूपपुर को तहसील का दर्जा प्राप्त हुआ । इस अवधि में अनूपपुर एवं सामतपुर पृथक-पृथक ग्राम पंचायत के अधीनस्थ रहे । सन् 1979 में अनूपपुर एवं सामतपुर को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका का गठन किया गया, तत्पश्चात् सन् 2003 में मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना द्वारा अनूपपुर को जिले का दर्जा दिया गया, जिसका मुख्यालय अनूपपुर घोषित किया गया ।

1.6 जनसंख्या दशक वृद्धि

सन् 1979 के पूर्व सामतपुर एवं अनूपपुर ग्राम पृथक-पृथक पंचायत क्षेत्र घोषित थे, जिसमें वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार सामतपुर की जनसंख्या 3654 तथा अनूपपुर की जनसंख्या 3509 थी ।

1981 की जनगणनानुसार जनसंख्या 9228 थी। इस प्रकार 1971-81 के दशक में 28.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं वर्ष 1981-91 के दशक में 35.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तत्पश्चात् वर्ष 1991-2001 के दशक में 31.50 प्रतिशत वृद्धि हुई जो कि सामान्य स्थिति का द्योतक है । अनूपपुर निवेश क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि दर समीपवर्ती नगर जैसे शहडोल, उमरिया एवं मैहर के अनुरूप ही है, इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुए हैं । निम्नलिखित तालिका में अनूपपुर में जनसंख्या वृद्धि की जानकारी दी गई है ।

अनूपपुर : जनसंख्या वृद्धि

1-सा-3

वर्ष	जनसंख्या	नगरों की जनसंख्या वृद्धि दर (प्रतिशत)			
		अनूपपुर	मैहर	उमरिया	शहडोल
1	2	3	4	5	6
1971	7163	—	25.27	—	45.59
1981	9228	28.83	33.50	52.76	38.20
1991	12474	35.17	29.39	29.37	26.24
2001	16403	31.50	31.02	32.40	29.83

स्रोत : भारत की जनगणना ।

1.7 नगर की आर्थिक रूपरेखा

नगर का आर्थिक स्वरूप प्रमुख रूप से कृषि उत्पाद, उत्खनन एवं वनोपज संबंधी गतिविधियों पर आधारित है । प्रशासनिक वर्ग को छोड़कर अधिकांश लोग कृषि कार्य, व्यापार, वाणिज्यिक, यातायात एवं संचार तथा सेवा कार्य में संलग्न हैं । कृषि उत्पाद में प्रमुख रूप से धान, ज्वार, मूंगफली, मक्का, चना, अरहर, मसूर, सरसों, अलसी, सोयाबीन, गेहूँ आदि हैं तथा वनोपज में महुआ प्रमुख हैं, जिसका थोक व्यापार किया जाता है ।



1.7.1 व्यवसायिक संरचना

नगर की आर्थिक संरचना का वास्तविक मूल्यांकन वहां पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या से लगाया जा सकता है । जनगणना वर्ष 1991 एवं 2001 में कार्यरत व्यक्तियों का वर्गीकृत विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है -

अनूपपुर : व्यवसायिक संरचना-2001

1-सा-4

क्रमांक	श्रमिकों का वर्ग/प्रकार	कार्यशील व्यक्ति/ श्रमिक	1000 श्रमिकों में विभाजन	प्रति हजार जनसंख्या प्रति श्रमिक
1	2	3	4	5
1.	प्राथमिक क्षेत्र	1219	261	74
2.	द्वितीयक क्षेत्र	140	30	08
3.	तृतीयक क्षेत्र	3304	709	202
	योग-	4663	1000	284

स्रोत : नगरपालिका क्षेत्र जनगणना वर्ष 2001

जनगणना 1991 के आधार पर अनूपपुर नगर में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे श्रमिकों की संख्या (सहभागिता दर) 250 थी, जो 2001 में बढ़कर 284 हो गई । जिससे ज्ञात होता है कि जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में श्रमिकों की सहभागिता में वृद्धि हुई है तथा रोजगार के अधिक अवसर नगरवासियों को उपलब्ध हुए हैं ।

1.7.2 कृषि उपज एवं थोक व्यापार

कृषि उपज का थोक व्यापार नगर की आर्थिक स्थिति संबंधी प्रमुख गतिविधि है। कृषि उत्पाद के विक्रय हेतु सुदृढ़ ग्रामीण क्षेत्रों से व्यक्ति अनूपपुर कृषि उपज मंडी में आते हैं और अपने उत्पाद का विक्रय कर आवश्यकता की अन्य सामग्री क्रय कर ले जाते हैं । कृषि उपज की खरीदी-बिक्री के संबंध में विश्वसनीय जानकारी कृषि उपज मंडी से प्राप्त होती है । निम्नलिखित तालिका में अनूपपुर कृषि उपज मंडी में लाई गई मात्रा एवं उससे प्राप्त मूल्यों का विवरण दिया गया है :-



अनूपपुर : कृषि उपज

1-सा-5

क्र.	नाम जिन्स	वर्ष 2003-04		वर्ष 2004-05		वर्ष 2005-06		वर्ष 2006-07		वर्ष 2007-08	
		मात्रा टनों में	मूल्य करोड़ रु. में	मात्रा टनों में	मूल्य करोड़ रु. में	मात्रा टनों में	मूल्य करोड़ रु. में	मात्रा टनों में	मूल्य करोड़ रु. में	मात्रा टनों में	मूल्य करोड़ रु. में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	गेहूँ	140.525	948.77	931.555	24819.05	473.953	30459.91	344.400	26772.85	280.84	27851.66
2.	मक्का	90.400	3867.60	99.650	4346.33	78.520	3926.51	87.200	4737.35	--	--
3.	ज्वार	0.050	2.00	0.080	3.50	0.665	28.05	0.065	3.45	--	--
4.	धान	300.750	13631.86	2800.046	150961.49	163.757	9133.92	1278.857	71445.67	1196.566	68125.76
5.	चना	5.7130	714.46	6.540	784.95	14.710	1916.85	1754.000	2956.07	4.77	873.44
6.	अरहर	70.767	9153.37	121.405	1541.35	51.21	8795.17	4.61	610.40	49.685	4815.61
7.	उड़द	--	--	--	--	6.24	791.80	20.75	4199.50	4.15	587.00
8.	मसूर	220.065	29307.40	390.605	52380.18	449.67	62122.95	445.67	71314.85	426.555	91682.70
9.	मूंग	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10.	सोयाबीन	12.2	995.30	13.11	1548.00	128.97	12515.600	165.04	17261.19	130.390	17480.80
11.	सरसों	201.655	32905.16	46.93	6970.34	37.92	5029.54	42.128	7223.25	2.015	363.15
12.	तिल्ली	1.405	249.95	5.25	95.99	0.140	23.80	0.1	20.00	--	--
13.	अलसी	12.805	1809.05	177.51	27188.34	249.75	39063.58	61.37	9786.04	832.75	1598.67
14.	मूंगफली	0.6	58.00	--	--	0.050	14.00	0.4	60.00	--	--
15.	महुआ	53.54	3920.60	180.94	15333.43	506.26	40637.88	139.775	12294.25	241.095	25212.17
16.	अन्य	191.567	27198.62	305.375	11437.41	257.875	30005.79	363.426	8325.38	174.412	17335.49

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि धान, गेहूँ, मक्का, चना, खाद्य सामग्री, दलहन में मसूर, अरहर, उड़द तथा तिलहन में सरसों, सोयाबीन, तिल्ली, अलसी आदि फसलें अधिक मात्रा में लाई गई है, इस प्रकार खाद्य एवं वाणिज्यिक दोनों प्रकार की फसलें अधिक मात्रा में कृषि उपज मंडी में विक्रय हेतु आई थीं। वर्ष 2003-04 से लेकर वर्ष 2006-07 में निरंतर कृषि उपज मंडी में विक्रय हेतु आती है।

वन उपज महुआ मण्डी में विक्रय हेतु लाया जाता है जिससे स्पष्ट है कि वन क्षेत्र से महुआ का भी संग्रहण किया जाता है।

1.7.3 नगरपालिका की आर्थिक स्थिति

नगर पालिका के आय-व्यय के आंकड़ों से भी नगर की वित्तीय व्यवस्था का पता चलता है। अनूपपुर में वर्ष 1981 में नगरपालिका की स्थापना हुई। इस प्रकार पिछले तीन दशकों से नगर में यह संस्था कार्यरत है। निम्नलिखित सारणी में अनूपपुर नगर पालिका के आय एवं व्यय के आंकड़े दिये गये हैं -



अनूपपुर : नगर पालिका (आय-व्यय)

1-सा-6

क्रमांक	वर्ष	कुल आय (लाख में)	प्रति व्यक्ति आय (रूपये)	कुल व्यय (लाख में)	प्रति व्यक्ति व्यय (रूपये)
1	2	3	4	5	6
1.	2001-02	50.55	308.00	27.13	165.00
2.	2002-03	43.27	264.00	24.02	146.00
3.	2003-04	103.67	632.00	100.96	615.00
4.	2004-05	59.90	365.00	108.10	659.00
5.	2005-06	64.88	396.00	154.35	941.00
6.	2006-07	61.00	376.00	131.85	804.00
7.	2007-08	66.33	404.00	68.65	418.00
					16403.00

नोट - आय-व्यय की गणना वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार ।

उपरोक्त सारणी से यह ज्ञात होता है कि सन् 2001-02 में नगरपालिका आय जो 50.55 लाख थी, वह सन् 2006-07 में 61 लाख हो गई है तथा व्यय सन् 2001-02 में 27.13 लाख था, जो सन् 2006-07 में 131.85 लाख तक पहुँच गया है । व्यय की गई राशि का अधिकांश भाग नगर के विकास कार्यों एवं पेयजल व्यवस्था में किया जाता है । सन् 2004-05 से प्रत्येक वर्ष आय से अधिक व्यय किया गया है । इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय से अधिक व्यय होना पाया गया है जिसकी शासन से अनुदान प्राप्त कर क्षतिपूर्ति की जाती है, जो नगर पालिका की कमजोर वित्तीय व्यवस्था का परिचायक है । नगरपालिका को आय के नवीन स्रोतों में वृद्धि करना आवश्यक है ।

1.7.5 बैंकिंग

नगर में विभिन्न बैंक की 07 शाखायें संचालित हैं जिसमें से 05 बैंक से प्राप्त जानकारी निम्नलिखित सारणी में दी गई है -

अनूपपुर : बैंकिंग

1-सा-7

वर्ष	जमा राशि (लाख रूपयों में)	अग्रिम राशि (लाख रूपयों में)
2003-04	130.45	513.88
2004-05	1637.24	601.36
2005-06	2032.93	765.27
2006-07	3036.88	1050.04
2007-	3280.45	1207.98

स्रोत : नगर की विभिन्न शाखाओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार ।

उपरोक्त तालिका के अनुसार जमा एवं अग्रिम राशियों में निरंतर वृद्धि हुई है । लोगों में बचत करने की क्षमता (प्रवृत्ति) में वृद्धि पाई गई है । वर्ष 2007 में इन बैंकों की शाखाओं में 3280.45 लाख रूपये की राशि जमा की गई, जबकि वितरित किये गये अग्रिमों की राशि 1207.98 लाख है । दर्शित आंकड़ों के अनुसार नगर के कारोबार की आर्थिक दशा अच्छी दिखाई देती है तथा उद्यमियों को अग्रिम राशि उपलब्ध कराने की



बैंकों की स्थिति अच्छी है । इसी धारणा के आधार पर कृषि उत्पादन एवं उद्योगों के विकास हेतु वित्तीय सहायता भी मिल सकेगी ।

1.7.6 नगर के प्रमुख कार्यकलाप

जिला मुख्यालय होने के कारण नगर के मुख्य कार्यकलाप निम्नानुसार हैं—

1. जिला स्तर का प्रशासनिक केन्द्र ।
2. वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक कार्यकलाप ।
3. जिला स्तरीय स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक केन्द्र ।
4. कृषि एवं वनोपज संग्रहण एवं वितरण केन्द्र ।

—00—

अध्याय-दो वर्तमान भूमि उपयोग एवं आवास

किसी भी क्षेत्र का विकास वहां पर उपलब्ध भौतिक संसाधनों एवं प्राकृतिक स्थलाकृति पर निर्भर होता है । अनूपपुर जिला भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण है एवं नगर की स्थलाकृति सामान्यतः मैदानी है । नगर के बाह्य क्षेत्र का ढलान पूर्व-पश्चिम एवं उत्तर की ओर है तथा नगर का समग्र ढलान सामान्यतः उत्तर की ओर है । नगर के मध्य भाग से पूर्व-पश्चिम की ओर रेल्वे लाईन एवं रेल्वे स्टेशन है तथा तालाब, नदी/नाले, जलाशय परिक्षेत्र की भूमि को छोड़कर, इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का प्राकृतिक अवरोध भावी विकास में बाधक नहीं है, जिससे नगर के सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित विकास के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त संभावनाएं परिलक्षित होती हैं ।

2.1 भूमि उपलब्धता

अनूपपुर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत नगरपालिका क्षेत्र 1285.03 हेक्टर तथा इसके समीपवर्ती 15 ग्रामों का क्षेत्रफल 6363.70 हेक्टर सम्मिलित हैं, जिसमें से 337.38 हेक्टर भूमि विकसित क्षेत्र के अंतर्गत है, जो संपूर्ण निवेश क्षेत्र का 4.43 प्रतिशत है तथा 3.17 प्रतिशत क्षेत्र में जलाशय तथा 8.83 प्रतिशत वन भूमि है । शेष 6369.73 हेक्टर भूमि नगर के भावी विकास हेतु उपयोगी है, जो कुल निवेश क्षेत्र का 83.57 प्रतिशत है । इस प्रकार निवेश क्षेत्र में (रेल्वे क्षेत्र की 26.40 हेक्टर भूमि को छोड़कर) कुल 7622.33 हेक्टर भूमि उपलब्ध है, जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है -

अनूपपुर : भूमि उपलब्धता

2-सा-1

क्रमांक	भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	विकसित भूमि	337.38	04.43
2.	स्वेदनशील भूमि अ- (जलाशय/नदी/नाले) ब- वन भूमि	242.02 673.20	03.17 08.83
3.	कृषि/उपयोगी भूमि	6369.73	83.57
	योग-	7622.33	100.00

- नोट- 1. रेल्वे क्षेत्र 26.40 हेक्टर भूमि सम्मिलित नहीं है ।
2. नगर तथा ग्राम निवेश सर्वेक्षण ।

2.2 भूमि उपयोग वर्गीकरण

नगर में किए जा रहे विभिन्न कार्यों के अनुसार भूमि उपयोग निर्धारित होता है । भूमि उपयोग की समस्याओं को समझने के लिए विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत भूमि की उपलब्धता तथा इसके संबंध का अध्ययन करना आवश्यक है । नगर में विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत उपलब्धता आंकलन हेतु भूमि उपयोग को निम्न वर्गों में विभक्त किया गया है ।



1. आवासीय, 2. वाणिज्यिक, 3. औद्योगिक, 4. सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक
5. सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवायें 6. आमोद-प्रमोद, 7. यातायात एवं परिवहन,
8. रिक्त भूमि, 9. जलाशय, 10. कृषि भूमि ।

किसी भी भावी नगर के स्वरूप का अनुमान करने तथा भावी विकास योजना तैयार करने के लिए नगर के वर्तमान भूमि उपयोग का अध्ययन आवश्यक है। राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 30.5.2007 द्वारा गठित अनूपपुर निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र, को मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 की विभिन्न उपधाराओं के अंतर्गत वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रकाशन एवं तदनुसार धारा 15(4) के अंतर्गत दिनांक 4.1.2008 को सम्यक रूप से अंगीकृत किया गया है तथा स्थिरीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र को वर्तमान स्थिति अनुरूप अद्यतित किया गया है ।

2.3 वर्तमान भूमि उपयोग


नगर के सुनियोजित भावी विकास के लिए विकास योजना के प्रस्ताव तैयार करने के पूर्व नगर के वर्तमान भू-उपयोग का अध्ययन करना आवश्यक है । नगर के वर्तमान भू-उपयोगों की जानकारी हेतु वर्ष 2007 में सर्वेक्षण किया जाकर मानचित्र एवं रजिस्टर तैयार किये गये। सर्वेक्षण के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अनूपपुर नगर की बसाहट प्रमुखतः तीन समूहों में विभक्त है । रेल्वे लाईन के उत्तर में सामतपुर की बसाहट जिसमें मिश्रित भू-उपयोगों के साथ वाणिज्यिक उपयोग प्रमुख हैं । दूसरी ओर रेल्वे स्टेशन के दक्षिण में अमरकंटक- जैतहरी मार्ग के मध्य की बसाहट जिसमें मिश्रित भू-उपयोगों के साथ सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा आवासीय उपयोगों की प्रमुखता है । तीसरे समूह में अनूपपुर ग्रामीण आबादी कृषि कार्य करने वाले लोगों की बसाहट है, जो सामान्यतः तंग गलियों के मध्य कच्चे मकानों के परिसर में सब्जी-भाजी उत्पाद का विक्रय कर जीविकोपार्जन करते हैं । शेष बसाहट प्रमुख मार्गों के किनारे यत्र-तत्र बिखरी हुई है । नगर की विकसित भूमि का सर्वाधिक उपयोग आवास के लिए हो रहा है, जो 49.34 प्रतिशत है तथा द्वितीय स्थान यातायात एवं परिवहन का है, जो 40.08 प्रतिशत है । औद्योगिक , सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा आमोद-प्रमोद एवं वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत बहुत ही कम भूमि का उपयोग हो रहा है । इस प्रकार के असंतुलित एवं अनियोजित उपयोगों को विकास योजना प्रस्तावों में दूर किया जाना आवश्यक होगा ।

निम्न सारणी में वर्तमान भू-उपयोगों का विवरण दिया गया है –



अनूपपुर

2.1 वर्तमान भूमि उपयोग



LEGEND	
	EXISTING वर्तमान
RESIDENTIAL	
COMMERCIAL	
GENERAL SPECIALIZED / MANDI	
INDUSTRIAL	
PUBLIC & SEMIPUBLIC	
PUBLIC UTILITIES & FACILITIES	
RECREATIONAL	
CITY / OTHER PARKS	
CONSERVATION GREEN	
MELA GROUND	
STADIUM	
FOREST	
TRANSPORATION	
ROADS	
BUS STAND	
RAILWAY STATION	
RAILWAY LINE	
RURAL ZONE	
VILLAGE SETTLEMENT	
AGRICULTURE	
WATERBODIES	
PLANNING AREA	



अनूपपुर : वर्तमान भूमि उपयोग 2007

2-सा-2

क्र.	भूमि उपयोग का प्रकार	नगरपालिका सीमा में		बाह्य विकसित क्षेत्र (हेक्टर में)	कुल विकसित भू क्षेत्र (हेक्टर में)		भू-उपयोग दर
		क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्रतिशत		क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आवासीय	105.93	8.42	60.52	166.45	49.34	4.16
2.	वाणिज्यिक	6.140	0.48	0.50	6.64	1.97	0.17
3.	औद्योगिक	1.146	0.10	-	1.15	0.34	0.02
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सेवायें एवं सुविधायें	12.48	1.00	8.70	21.18	6.28	0.54
5.	आमोद-प्रमोद	6.72	0.53	-	6.72	1.99	0.17
6.	यातायात एवं परिवहन	119.44	9.48	15.80	135.24	40.08	3.38
7.	जलाशय	81.020	6.43	-	-	-	-
8.	रिक्त भूमि	320.145	25.44	-	-	-	-
9.	कृषि/वन	605.609	48.12	-	-	-	-
	योग-	1258.63	100	85.52	337.38	100	8.44

स्रोत : नगर तथा ग्राम निवेश सर्वेक्षण वर्ष 2007

नोट- 1. रेल्वे क्षेत्र 26.40 हेक्टर भूमि सम्मिलित नहीं है ।

2. वर्ष 2001 की निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 30099 है ।

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि नगर के वर्तमान विकसित भू-उपयोग में सर्वाधिक क्षेत्र आवासीय उपयोग के अंतर्गत है, जो 49.34 प्रतिशत है, जो कि सामान्य नगरों की भांति ही है । इसके बाद यातायात एवं परिवहन का है, जो कि 40.08 प्रतिशत है । सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा सेवा-सुविधाओं के अंतर्गत 6.28 प्रतिशत है, जो तीसरे स्थान पर है तथा वाणिज्यिक एवं आमोद-प्रमोद के अंतर्गत लगभग एक समान भू-उपयोग है जो क्रमशः 1.97 तथा 1.99 है तथा सबसे कम क्षेत्र औद्योगिक उपयोग अंतर्गत है, जो 0.34 प्रतिशत है । यह स्थिति नगर के असंतुलित एवं अव्यवस्थित विकास को दर्शाती है ।



नगरपालिका सीमा के बाहर किन्तु निवेश क्षेत्र के अंदर ग्रामीण आबादी क्षेत्र एवं प्रमुख मार्गों के किनारे यत्र-तत्र हुए विकास को बाह्य विकसित क्षेत्र में लिया गया है, जो 85.52 हेक्टेयर है । नगरपालिका क्षेत्र में कुल आवासीय क्षेत्र 105.93 हेक्टेयर है जो कि सकल घनता 155 व्यक्ति प्रति हेक्टर दर्शाता है । नगर में एक एवं दो मंजिले निर्मित भवनों तक ही आवासीय विकास सीमित है । रेल्वे लाईन के उत्तर में सामतपुर में वाणिज्यिक सह आवासीय पक्के मकान बने हैं । बाजार क्षेत्र के बाहरी भाग में अधिकांशतः कच्चे मकान हैं तथा रेल्वे लाईन के दक्षिण में शासकीय कार्यालय, शिक्षण संस्थाएं तथा लोक निर्माण विभाग की कालोनी के साथ पक्के आवासीय मकान बने हैं । इसी क्षेत्र में कलेक्ट्रेट भी हैं तथा जैतहरी-अमरकंटक मार्ग के दक्षिण में पुराने अनूपपुर की ग्रामीण बस्ती की बसाहट है जहां कच्चे मकानों की संख्या सर्वाधिक है ।

2.4 आवासीय

नगर का विकास मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है । रेल्वे लाईन इसकी विभाजक रेखा है । रेल्वे लाईन के उत्तर की ओर सामतपुर एवं दक्षिण की ओर अनूपपुर बस्ती का विकास सम्मिलित है । आवासीय उपयोग के अंतर्गत नगरपालिका क्षेत्र में 105.93 हेक्टर तथा नगरपालिका क्षेत्र के बाहर 60.52 हेक्टर आबादी क्षेत्र हैं, जो आवासीय भूमि का 8.42 प्रतिशत है। संपूर्ण निवेश क्षेत्र के अंतर्गत 166.45 हेक्टेयर भूमि का उपयोग आवासीय उपयोग अंतर्गत है ।

2.4.1 आवासीय घनत्व

अनूपपुर आवासीय क्षेत्र का घनत्व 155 व्यक्ति प्रति हेक्टर है, जबकि बाह्य वृद्धि क्षेत्र की आवासीय घनता 160 व्यक्ति प्रति हेक्टर है ।

अनूपपुर : आवासीय घनत्व (वार्ड अनुसार)

2-सा-3

वार्ड क्रमांक	वार्ड का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	आवासीय क्षेत्र (हेक्टर में)	जनसंख्या 2001	आवासीय घनत्व (व्यक्ति प्रति हेक्टर)
1	2	3	4	5
1	296.125	6.10	984	161
2	52.715	7.00	1378	197
3	15.680	8.10	1044	129
4	9.600	7.70	718	93
5	13.600	10.00	1011	101
6	73.120	7.00	1155	165
7	27.840	7.64	825	108
8	3.200	2.22	913	411



1	2	3	4	5
9	134.400	7.70	1127	146
10	288.195	6.10	1610	264
11	35.600	8.20	1459	178
12	35.360	10.11	895	91
13	141.60	6.19	1210	198
14	76.360	6.49	1034	163
15	81.635	5.38	938	174
योग	1285.03	105.93	16403	155

2.4.2 भवनों की संरचना

अनूपपुर कृषि प्रधान नगर है, यहां पर अधिकांशतः मध्यम/अल्प आय वर्ग के रहवासी हैं। सर्वेक्षण के अनुसार 15 प्रतिशत निर्मित भवन पक्के, 30 प्रतिशत अर्धपक्के, 40 प्रतिशत कच्चे मकान हैं तथा 15 प्रतिशत मकानों की संरचना अत्यंत जर्जर है। निम्न तालिका में नगरपालिका क्षेत्र में भवनों की स्थिति दी गई है -

अनूपपुर : भवनों की संरचना

2-सा-4

क्रमांक	मकानों का प्रकार	भवनों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	पक्के	362	15
2.	अर्ध पक्के	723	30
3.	कच्चे	964	40
4.	जीर्ण-शीर्ण	362	15
	योग-	2411	100

स्रोत : नगर तथा ग्राम निवेश सर्वेक्षण।

2.4.3 आवासों की कमी

जनगणना 2001 के अनुसार अनूपपुर नगर में 3250 परिवार, 2411 मकानों में निवास करते हैं। इस प्रकार औसत प्रति व्यक्ति आवास 6.80 व्यक्ति निवासित पाये गये हैं। जबकि औसत परिवार का आकार 5.05 व्यक्ति आता है। प्रत्येक परिवार के लिए एक स्वतंत्र आवास की आवश्यकता के अनुसार वर्ष 2001 में 839 आवासों की कमी पाई गई है। गंदी बस्तियों एवं झुग्गी-झोपड़ी की पुनर्स्थापना एवं पुराने जीर्ण-शीर्ण आवासों के पुनर्निर्माण को मिलाकर कुल 1475 आवासीय इकाईयों की कमी आंकलित की गई है।



अनूपपुर : आवासों की कमी

2-सा-5

क्रमांक	विवरण	कुल संख्या	पुनर्स्थापना की दर (प्रतिशत)	आवास इकाईयों की कमी
1	2	3	4	5
1.	वर्ष 2011 तक की कमी	—	—	839
2.	गंदी बस्ती एवं झुग्गी-झोपड़ी की पुनर्स्थापना	305	90	274
3.	जीर्ण-शीर्ण मकानों का पुनरुद्धार	2411	15	362
	योग—	—	—	1475

नोट— नगर तथा ग्राम निवेश सर्वेक्षण ।

2.4.4 अधिवासी दर

जनगणना 2001 के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र में कुल 2411 मकान बने हुए हैं, जिसमें 3250 परिवार निवास कर रहे हैं । इसके अनुसार नगर की औसत अधिवासी दर 6.80 व्यक्ति प्रति आवास तथा औसत परिवार का आकार 5.05 व्यक्ति प्रति परिवार आता है । उक्त आंकड़ों के अनुसार परिवार का आकार तो सामान्य है किन्तु नगर में रहवास योग्य आवासीय भवनों की कमी है । अतः विकास योजना में आवासों की कमी के पूर्ति के लिए यथोचित प्रस्ताव दिया जाना आवश्यक होगा ।

2.4.5 गंदी बस्तियां

नगर की ऐसी बसावट जिसमें संकरी, गलियों, सुविधाजनक आवागमन का अभाव, कच्चे-झोपड़ीनुमा मकान, अस्वस्थप्रद पर्यावरण, मूल-भूत प्राथमिक सेवा- सुविधाओं का अभाव हो, गंदी बस्ती के रूप में माना जाता है । अनूपपुर नगर प्रमुख रूप से कृषि प्रधान नगर है । यहां पर कृषि करने वालों की संख्या अधिक है, जो अपनी स्वयं की भूमि पर कच्चे मकान के साथ उसी परिसर में साग-सब्जी उगाकर जीवन निर्वाह करते हैं । अप्रवासी श्रमिकों की संख्या बहुत ही कम है । नगर में अधिसूचित गंदी बस्ती क्षेत्र नहीं है और नगरपालिका द्वारा अभी तक ऐसी किसी भी बस्ती की सूची भी तैयार नहीं की गई है । कार्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार नगर में निम्नलिखित बस्तियों को गंदी बस्तियों की श्रेणी में लिया गया है -



अनूपपुर : गंदी बस्तियां (झुग्गी-झोपड़ी)

2-सा-6

क्रमांक	बस्ती का नाम	झोपड़ियों की संख्या	अनुमानित जनसंख्या
1	2	3	4
1.	पटौरा मोहल्ला	150	870
2.	चंदास नदी के पास	85	500
3.	शांति नगर (आदिवासी मोहल्ला)	70	350
	योग-	305	1720

2.5 वाणिज्यिक

अनूपपुर एवं आसपास के क्षेत्र की वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए "अनूपपुर" नगरीय केन्द्र के रूप में कार्यरत है। नगर की वाणिज्यिक गतिविधियां उस नगर के भौतिक विकास को निर्धारित करती हैं। नगर का प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र सामतपुर रेल्वे स्टेशन के पास स्टेशन मार्ग, बस स्टैण्ड मार्ग, बैंक मार्ग एवं मस्जिद मार्ग के मध्य मिश्रित बाजार के रूप में केंद्रित है। यहां पर विशेषीकृत बाजार का अभाव है। नगर में समस्त आवश्यक वस्तुएं जैसे- किराना, कपड़ा, सब्जी, अनाज मंडी, सौन्दर्य प्रसाधन, बर्तन, विद्युत उपकरण, मशीनरी उपकरण, औषधियां, सर्राफा, कृषि उपज मंडी के अतिरिक्त समस्त लोहे का सामान, जूते, चप्पल, रेस्टोरेंट, भोजनालय आदि गतिविधियां मध्यवर्ती क्षेत्र में ही संस्थित हैं। नगर के व्यापारी कोतमा, बिलासपुर, रायपुर, कटनी एवं शहडोल से माल थोक एवं फुटकर रूप में क्रय कर बाजार में विक्रय हेतु उपलब्ध कराते हैं। इस कारण यह क्षेत्र भीड़युक्त बना रहता है। स्टेशन से माल उतार कर सामान्यतः हाथ डेलों से बाजार में लाया जाता है। मड़फा तालाब से आगे मनेन्द्रगढ़-कोतमा को जाने वाले मार्ग के किनारे कार, जीप, मेटाडोर आदि चार पहिया वाहनों की रिपेयरिंग का कार्य होता है तथा जैतहरी-अमरकंटक मार्ग पर आरा मिल तथा ट्रक पार्किंग अस्थाई रूप से मार्ग के किनारे ही की जाती है, जिसके फलस्वरूप नगर में यातायात की समस्यायें उत्पन्न होती हैं।

2.5.1 दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान

नगर में दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की संख्या वर्ष 2005-06 में 190 थी, जो वर्ष 2007-08 में बढ़कर 215 हो गई है। निम्नलिखित तालिका में दुकानों का विवरण दिया गया है -



अनूपपुर : दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान

2-सा-7

वर्ष	दुकानों की संख्या	वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	होटल/ रेस्टोरेंट	छविगृह	योग
1	2	3	4	5	6
2005-06	162	14	13	01	190
2006-07	166	24	16	01	207
2007-08	168	29	17	01	215

स्रोत : नगर तथा ग्राम निवेश सर्वेक्षण ।

2.5.2 फुटपाथ एवं गुमटी दुकानें

नगर में फुटपाथ पर गुमटी दुकानों एवं टेलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे मार्गाधिकार एवं वाहन-विराम स्थलों के अभाव में सामान्य यातायात में व्यवधान उत्पन्न होता है । इस प्रकार की गतिविधियां प्रमुख स्थानों जैसे- स्टेशन, बैंक के पास, बस स्टैण्ड के पास, नगरपालिका कार्यालय के सामने तथा प्रमुख चौराहों पर संचालित है । इस हेतु आवश्यकतानुसार विभिन्न सेक्टरों में संगठित बाजार विकसित करना आवश्यक है ।

2.5.3 साप्ताहिक बाजार

प्रत्येक बुधवार को सामतपुर में स्टेट बैंक मार्ग एवं आदर्श मार्ग पर साप्ताहिक बाजार लगता है जिसमें अनाज, होजरी सामान, कृषि औजार, फल-सब्जी आदि का विक्रय होता है । बाजार में स्थल की संकीर्णता के कारण समुचित व्यवस्था नहीं होती है तथा यातायात बाधित होता है । प्रत्येक बुधवार को गणेश टाकीज के पीछे मवेशियों का बाजार लगता है ।

2.6 औद्योगिक

खनिज एवं वन संपदा से परिपूर्ण अनूपपुर जिले में औद्योगिक विकास हेतु पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं । औद्योगिक दृष्टि से यह जिला राज्य के पिछड़े जिलों के अंतर्गत आने के कारण शासन की ओर से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं एवं सबसिडी प्रदाय करने की योजनायें संचालित हैं ।

अनूपपुर जिले में, निवेश क्षेत्र के बाहर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की औद्योगिक इकाईयां संचालित हैं, जिनका विवरण निम्न सारिणी में दिया गया है -



अनूपपुर : जिले में संचालित उद्योग

2-सा-8

क्र.	उद्योग का नाम	स्थान	लागत (लाख में)	औद्योगिक इकाईयां	रोजगार
1	2	3	4	5	6
1.	एच.जे.आई. जिमिको लिमिटेड अमलाई	अमलाई	21395.00	01	421
2.	मे. इण्डो यूनिफ क्लेम लिमि. धिरौल	धनपुरी रोड	—	01	—
3.	मे. कर्नाट एक्सप्लोसिव लिमिटेड जमुडी	जमुडी	88.35	01	11

वर्तमान में औद्योगिक उपयोग अंतर्गत 1.15 हेक्टर भूमि का उपयोग किया जा रहा है, जो संपूर्ण विकसित क्षेत्र का 0.28 प्रतिशत है । यह अन्य नगरों की तुलना में बहुत ही कम है । वर्तमान में नगर में संचालित लघु औद्योगिक इकाईयों का विवरण निम्नानुसार है—

अनूपपुर : पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाईयां

2-सा-9

क्रमांक	उद्योग का प्रकार	इकाईयों की संख्या	लागत	रोजगार
1	2	3	4	5
1.	आटा चक्की	02	2.10	03
2.	इंजीनियरिंग वर्क्स	01	1.75	06
3.	फर्नीचर निर्माण	02	4.15	09
4.	आटो रिपेयरिंग	01	0.20	02
5.	स्टोन क्रेशर	08	48.50	74
6.	कोल्ड स्टोरेज	01	50.00	13
7.	प्रिंटिंग प्रेस	02	13.50	10
8.	फोटो स्टूडियो	01	02.0	01
9.	फ्लोर मिल	01	6.0	08
10.	कम्प्यूटर सर्विस	01	4.0	05
11.	ईटों का निर्माण	01	0.20	10
12.	एक्सप्लोसिव निर्माण	01	93.27	09
	योग—	22		150

स्रोत : महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अनूपपुर

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से ज्ञात होता है कि नगर में 22 उद्योग संचालित हैं जिसमें 150 व्यक्ति कार्यरत हैं । नगर में स्टोन क्रेशर उद्योगों की संख्या सबसे अधिक है तथा रोजगार भी इन्हीं इकाईयों में अधिक प्राप्त हो रहा है । ऐसी प्रदूषणकारी



औद्योगिक इकाईयों के लिए पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त स्थल प्रस्तावित करना आवश्यक है ।

2.7 सार्वजनिक, अर्धसार्वजनिक एवं सार्वजनिक सेवायें-सुविधाएं

वर्तमान में निवेश क्षेत्र में इस उपयोग में 21.18 हेक्टर क्षेत्र आता है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 6.28 प्रतिशत है । इसके अंतर्गत शैक्षणिक, स्वास्थ्य, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थायें एवं प्रशासकीय कार्यालय तथा सेवा-सुविधायें आती हैं ।

2.7.1 शैक्षणिक संस्थायें

नगर में एक शासकीय महाविद्यालय तिपान नदी के पास जैतहरी मोड पर 13.50 एकड़ भूमि पर संचालित हैं । जहां पर पर्याप्त स्थल उपलब्धता के साथ उपयुक्त स्थल हैं तथा नगर में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (10+2) शासकीय 03, प्रायवेट 01, हाई स्कूल शासकीय 01, प्रायवेट 02, माध्यमिक विद्यालय शासकीय 02, प्रायवेट 10 तथा प्राथमिक विद्यालय 06 शासकीय, प्रायवेट 03 संचालित हैं । सोन नदी के पास ग्राम भानपुर में केन्द्र शासन द्वारा "एकलव्य" शासकीय आदिवासी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित किया गया है । उपरोक्त में से कुछ विद्यालयों के पास स्वयं के भवन एवं क्रीडास्थल उपलब्ध हैं किन्तु कुछ के पास भवन तथा खेल का मैदान उपलब्ध नहीं है । निम्न सारणी में शिक्षण संस्थानों का विवरण दर्शाया गया है -

- संस्कार विधि महाविद्यालय वार्ड क्रमांक 03 गुरुद्वारा मार्ग पर किराये के मकान में संचालित है, जो ए.पी.एस. विश्वविद्यालय रीवा से संबद्ध है ।
- आई.टी.आई. सामतपुर में अमहाई टोला के अंतर्गत संजय निकुंज के पास किराये के मकान में संचालित है जिसके लिए योजना में उपयुक्त स्थल का प्रस्ताव दिया जाना आवश्यक है ।

अनूपपुर : शैक्षणिक संस्थायें

2-सा-10

क्र.	संस्था का नाम	खेल मैदान	स्वामित्व	भवन की दशा
1	2	3	4	5
1.	शा. बालक उच्चतर माध्य. विद्यालय, अनूपपुर	है	शासकीय	पक्का
2.	शा. बालिका उच्च.माध्य.विद्यालय अनूपपुर	नहीं	शासकीय	पक्का
3.	आदर्श उच्च. माध्य. विद्यालय अनूपपुर	है	शासकीय	पक्का
4.	आदर्श दक्षिण-पूर्व रेल्वे उ.मा. विद्यालय	-	केन्द्र शासन	पक्का
1.	हाई स्कूल अनूपपुर	नहीं	किराए से	-
2.	सरस्वती हाई स्कूल	है	प्रायवेट	पक्का
3.	दुर्गेश्वरी हाई स्कूल	है	प्रायवेट	पक्का



1	2	3	4	5
1.	माध्यमिक विद्यालय अनूपपुर बालक	है	शासकीय	पक्का
2.	मा.विद्यालय बस्ती बालिका	है	शासकीय	पक्का
3.	बेटेल मिशन मा. विद्यालय	है	अशासकीय	पक्का
4.	सेयर्स माध्यमिक विद्यालय	है	प्रायवेट	पक्का
5.	हिन्दी/उर्दू माध्यमिक विद्यालय	है	प्रायवेट	पक्का
6.	गुरुजी माध्यमिक विद्यालय	है	प्रायवेट	पक्का
7.	आर.सी.स्कूल	नहीं	प्रायवेट	पक्का
8.	शास्त्री इण्डेन अनूपपुर	नहीं	प्रायवेट	पक्का
9.	शास्त्री शिशु मंदिर चेतना	नहीं	प्रायवेट	पक्का
10.	नेहरू बाल निकेतन	नहीं	प्रायवेट	पक्का

(द) प्राथमिक विद्यालय – शासकीय 06, प्रायवेट 03 एवं नर्सरी विद्यालय नगर में नहीं हैं ।

2.7.2 स्वास्थ्य

नगर में एक जिला स्तरीय शासकीय चिकित्सालय है, जिसमें 30 शैया (बिस्तरों) की व्यवस्था है तथा 2.83 एकड़ भूमि का परिसर है जो जिला स्तर के चिकित्सालय के लिए अपर्याप्त है । एक नर्सिंग होम रेल्वे फाटक के सामने 1.0 एकड़ में स्थित है, जिसमें 10 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध है । निवेश क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पिपरिया, दुलहरा, जमुडी, वरी एवं परसवार में एक-एक उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है जो आसपास के क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराता है । गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु नगर में समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है । इसके लिए निकटवर्ती सुविधायुक्त शहरों में संचालित चिकित्सालयों में जाना पड़ता है । वर्तमान स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सर्वसुविधायुक्त 100 बिस्तरों वाला चिकित्सालय के निर्माण का प्रस्ताव योजना में प्रस्तावित है ।

2.7.3 कार्यालय

अनूपपुर जिला मुख्यालय बनने के पूर्व यह तहसील स्तर का मुख्यालय था जहां तहसील स्तर के कार्यालय संचालित थे । वर्ष 2003 में अनूपपुर जिला मुख्यालय घोषित होने के पश्चात् यहां जिला स्तर के कार्यालय नगर के यत्र-तत्र स्थानों में शासकीय एवं किराये के भवनों पर संचालित किए गये, जो जन सुविधाओं की दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं हैं । नगर में केन्द्रीय शासन के 03, राज्य शासन के 68, अर्धशासकीय राज्य 07 तथा 04 स्वायत्त संस्थायें कार्यरत हैं । निम्न तालिका में कार्यालयों की स्थिति दर्शायी गयी है –



अनूपपुर : कार्यालय

2-सा-11

क्र.	कार्यालयों का प्रकार	कार्यालयों की संख्या	स्वयं के भवन	किराये के भवन	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	केन्द्र शासन	03	01	02	16
2.	राज्य शासन	68	18	50	3202
3.	अर्धशासकीय राज्य	07	02	05	69
4.	स्वायत्त संस्थायें	04	01	3	28
	योग-	82	22	60	3315

उपरोक्त तालिका के अनुसार नगर में कुल 82 कार्यालय में से स्वयं के भवन में 22 तथा 60 कार्यालय किराये के भवन में विभिन्न असुविधायुक्त क्षेत्रों में संचालित हैं । उक्त सभी कार्यालयों में 3315 कर्मचारी कार्यरत है । अतः कार्यालयीन कार्य सुचारु रूप से संचालित करने की दृष्टि से विकास योजना में जिला स्तरीय प्रशासनिक परिसर हेतु प्रस्तावित है ।

2.8 आमोद-प्रमोद

नगर में आमोद-प्रमोद के अंतर्गत वर्तमान में कुल 6.72 हेक्टर भूमि का उपयोग हो रहा है, जो विकसित क्षेत्र का 1.99 प्रतिशत है । इसमें शासन द्वारा संजय निकुंज के नाम से संधारित उद्यान प्रमुख है तथा नगरपालिका द्वारा भी कुछ उद्यान खुले क्षेत्रों में विकसित किये गये है। फारेस्ट नर्सरी भी नगर में विकसित है किन्तु उपरोक्त उद्यान उचित रख-रखाव के अभाव में नगरवासियों को सेवायें प्रदान नहीं कर रहे हैं ।

2.9 यातायात एवं परिवहन

नगर की वास्तविक संरचना सुविधायुक्त मार्गों एवं सुगम यातायात पर निर्भर होती है । अनूपपुर नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत 119.44 हेक्टर भूमि तथा नगरीय क्षेत्र के बाहर 15.80 हेक्टर भूमि कुल मिलाकर 135.24 हेक्टर भूमि का उपयोग हो रहा है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 40.08 प्रतिशत है । इसके अंतर्गत बस स्टैण्ड, राजमार्ग, बस डिपो तथा अन्य नगरीय मार्ग आते हैं ।

2.10 असंगत भूमि उपयोग

नगर में संचालित वर्तमान भूमि उपयोगों के सर्वेक्षण के दौरान कुछ उपयोग ऐसे पाए गए हैं, जो अपने आसपास के भू-उपयोगों से मेल नहीं खाते तथा कुछ उपयोग ऐसे भी हैं जो असुविधाजनक स्थल में स्थित होने के कारण पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पाते अथवा अन्य उपयोगों के कार्य में कठिनाईयां उत्पन्न करते हैं । अतः उक्त दोनों प्रकार के भू-उपयोगों को सुविधाजनक उपयुक्त स्थल पर स्थानांतरित किया जाना आवश्यक होगा, जिसका विवरण निम्न सारिणी में दिया गया है -



अनूपपुर : असंगत भूमि उपयोग

2-सा-12

क्रमांक	भूमि उपयोग (गतिविधि)	वर्तमान स्थल	स्थानांतरण का कारण
1	2	3	4
1.	आरा मशीन	नगरीय क्षेत्र	यातायात में अवरोध
2.	डेयरी उद्योग	नगरीय क्षेत्र	यातायात में अवरोध
3.	बस स्टैण्ड	नगरीय क्षेत्र	यातायात में अवरोध
4.	सब्जी मण्डी / फल बाजार	मस्जिद मार्ग	यातायात में अवरोध
5.	अनाज मण्डी	मस्जिद मार्ग	यातायात में अवरोध
6.	जिला न्यायालय	नगरपालिका परिसर	यातायात में अवरोध
7.	विश्राम गृह	नगरपालिका परिसर	यातायात में अवरोध
8.	पुलिस अधीक्षक कार्यालय	नगरपालिका परिसर	यातायात में अवरोध
9.	पशु चिकित्सालय	नगरपालिका परिसर	यातायात में अवरोध
10.	जिला चिकित्सालय	नगरपालिका परिसर	यातायात में अवरोध
11.	क्रेशर उद्योग	कोतमा मनेन्द्रगढ मार्ग पर	पर्यावरण प्रदूषण के कारण

स्रोत : नगर तथा ग्राम निवेश सर्वेक्षण ।

ॐॐॐ

अध्याय - तीन वर्तमान परिभ्रमण संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना

3.1 यातायात एवं परिभ्रमण संरचना

यातायात एवं परिवहन तंत्र से नगरीय स्वरूप प्रतिबिंबित होता है । नगरीय बसाहट एवं आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियां नगर में उपलब्ध परिभ्रमण संरचना पर निर्भर करती हैं । नगर में उद्गमित यातायात नगर के प्रमुख कार्य केन्द्रों एवं भूमि उपयोग पर निर्भर करता है । इस प्रकार दोनों एक-दूसरे पर आधारित हैं । नगर की परिभ्रमण संरचना, यातायात का स्वरूप, यातायात मात्रा एवं मार्ग क्षमता सभी नगर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में लगने वाला समय, दूरी आदि को निर्धारित करती है ।

3.2 क्षेत्रीय यातायात परिभ्रमण संरचना

अनूपपुर नगर में क्षेत्रीय यातायात के रूप में सड़क एवं रेल मार्ग दोनों ही उपलब्ध हैं । नगर रेल मार्ग से शहडोल-कटनी एवं बिलासपुर से जुड़ा हुआ है तथा नगर 4.0 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 78 से जुड़ा है तथा क्षेत्रीय सड़क मार्गों से शहडोल, जैतहरी, मनेन्द्रगढ़, अमरकंटक आदि आसपास के नगरों के साथ ही अन्य नगरों से जुड़ा है । क्षेत्रीय मार्गों को जोड़ने वाला प्रमुख नगरीय मार्ग जैतहरी-अमरकंटक मार्ग इंदिरा चौक से रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए शहडोल एवं कोतमा मार्ग को जोड़ता है जो यातायात की दृष्टि से अत्यंत संकीर्ण एवं असुविधाजनक है ।

3.2.1 क्षेत्रीय यातायात (यात्री)

कस्बा परिवेश का यह नगर जिला मुख्यालय घोषित किया गया है। अभी यहां कई जिला स्तरीय कार्यालय कार्यरत नहीं हैं । यह नगर राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्बद्ध होने के कारण प्रमुख क्षेत्रीय मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है । वर्तमान में निजी बस आपरेटरों द्वारा बसें संचालित हैं । नगर में आने वाली एवं नगर के बाहर जाने वाली बसों की जानकारी निम्नानुसार है -

अनूपपुर : क्षेत्रीय यातायात (बस)

3-सा-1

क्रमांक	मार्ग का नाम	आने वाली	जाने वाली
1	2	3	4
1.	अनूपपुर-शहडोल	15	15
2.	अनूपपुर से कोतमा, मनेन्द्रगढ़	15	15
3.	अनूपपुर से अमरकंटक	20	20
4.	अनूपपुर से पेन्द्रा रोड	06	06
5.	अनूपपुर से जैतपुर	03	03
	योग	59	59

स्रोत : निजी बस सेवा केन्द्र, अनूपपुर



3.2.2 क्षेत्रीय यातायात (माल)

अनूपपुर जिले में मैकल पर्वत श्रृंखला में बाक्सआईड का उत्खनन होता है तथा इसे ट्रकों द्वारा अमरकंटक मार्ग से अनूपपुर रेलवे माल गोदाम के पास खाली किया जाता है और रेल द्वारा बाहर कंपनियों को भेजा जाता है । इस कार्य में प्रतिदिन लगभग 20 ट्रक अनूपपुर आते-जाते हैं । इसके अतिरिक्त सोन नदी से रेत एवं आसपास के क्षेत्रों से चूना पत्थर आदि खनिजों को ट्रकों एवं डम्परों के माध्यम से लाया जाता है। अतः भारी वाहनों का दबाव सड़क यातायात पर अधिक रहता है ।

अनूपपुर से रेल द्वारा माल परिवहन होता है, जिसमें बाक्सआईड का निर्यात प्रमुख है । निम्न सारणी में माल यातायात का विवरण दिया गया है -

अनूपपुर : माल परिवहन (रेल)

3-सा-2

क्रमांक	वर्ष	आयात (टनों में)	निर्यात (टनों में)
1	2	3	4
1.	2001	40	50
2.	2002	60	90
3.	2003	75	110
4.	2004	45	130
5.	2005	40	175
6.	2006	30	80
7.	2007	25	90

स्रोत : रेल विभाग द्वारा ।

3.3 नगरीय परिभ्रमण संरचना

नगर की परिभ्रमण संरचना जैतहरी-बिलासपुर और अमरकंटक-शहडोल की ओर जाने वाले मार्ग पर प्रमुख रूप से संचालित होता है । नगर की प्रमुख वाणिज्यिक गतिविधियां स्टेशन मार्ग, बस स्टैण्ड मार्ग, आदर्श मार्ग, स्टेट बैंक मार्ग तथा मस्जिद मार्ग एवं जिला चिकित्सालय मार्ग पर संचालित है, जिससे अतिक्रमण तथा मार्गाधिकार में वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित होने से यातायात में अवरोध होता है।

3.3.1 यातायात उदित केन्द्र


सामान्यतः बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, वाणिज्यिक केन्द्र, मुख्य मार्ग, सिनेमा हाल, आमोद-प्रमोद स्थल यातायात के उदित एवं अवसान केन्द्र होते हैं । इसके अतिरिक्त विशिष्ट कार्य केन्द्र जैसे- मेला स्थल, प्रदर्शनी स्थल आदि विशिष्ट गतिविधियां अस्थाई रूप से नगर के यातायात एवं उदित केन्द्र होते हैं । नगर में अधिकांशतः निम्न स्थलों से यातायात उदित होता है -

1. बस स्टैण्ड
2. रेलवे स्टेशन
3. शहडोल मार्ग
4. अमरकंटक-जैतहरी मार्ग
5. जिला अस्पताल मार्ग



अनूपपुर

3.1 वर्तमान परिभ्रमण संरचना



LEGEND	
EXISTING वर्तमान	
TRANSPORTATION	
ROADS	
BUS STAND	
RAILWAY STATION	
RAILWAY LINE	
WATERBODIES	
PLANNING AREA	



6. मनेन्द्रगढ़ मार्ग
7. इन्दिरा चौक से रेल लाइन पारकर रेंज आफिस चौक से मडफा तालाब तक।

3.3.2 यातायात अवसान केन्द्र

सामान्य रूप से यातायात उदित केन्द्र ही यातायात अवसान केन्द्र होते हैं। रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड में विभिन्न स्थानों से यात्री आते हैं और बस अथवा ट्रेन से अपने गन्तव्य की ओर चले जाते हैं। इसी प्रकार वाणिज्यिक केन्द्र में विभिन्न क्षेत्रों से क्रेता आते हैं और अपनी आवश्यकता की वस्तुएं क्रय कर वापिस चले जाते हैं। स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं वाणिज्यिक संस्थान अत्यधिक संकीर्ण क्षेत्र में स्थित होने के कारण यातायात में अवरोध उत्पन्न करते हैं।

3.3.3 बस डिपो

बस डिपो की सुविधा नगर में उपलब्ध नहीं है। जो बसें बाहर से नगर में प्रवेश करती हैं, वह यात्री लेकर वापिस चली जाती हैं। जो बसें रात्रि में रुक जाती हैं, वे बस स्टैण्ड में ही खड़ी रहती हैं और सुबह होते ही प्रस्थान कर जाती हैं। अतः सुविधायुक्त यात्री आवागमन हेतु बसों के खड़ा करने के लिए बस डिपो का प्रस्ताव दिया जाना आवश्यक होगा।

3.3.4 यातायात नगर

वर्तमान में नगर में कोई यातायात नगर नहीं है। वर्तमान में ट्रक/मेटाडोर एवं रेल यातायात द्वारा ही यहां पर वस्तुओं का आयात-निर्यात किया जाता है। यातायात नगर की सुविधा नगर में उपलब्ध न होने के कारण मार्गों के किनारे ही प्रमुख रूप से जैतहरी-अमरकंटक मार्ग पर तथा मनेन्द्रगढ़ को जाने वाले मार्ग के किनारे ही बस एवं मेटाडोर खड़े कर दिए जाते हैं एवं मरम्मत कार्य भी किया जाता है जिसके कारण यातायात प्रभावित होता है। अतः विकास योजना में यातायात नगर का प्रस्ताव दिया जाना अति आवश्यक होगा।

3.4 परिवहन के साधन

प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2006-07 में ट्रकों की संख्या 60 से 80, जीप/कार 30, मेटाडोर 25, मोपेड/स्कूटर 2500, ट्रेक्टर 30 आदि का उपयोग किया जाता है। नगर में मंद गति वाहनों का उपयोग बहुतायत से किया जाता है। इसमें हाथ ठेला, सायकिल एवं रिक्शा माल ढोने का मुख्य साधन होने से इनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

3.5 यातायात समस्याएँ

तहसील स्तर के नगर को जिला मुख्यालय का दर्जा प्रदान कर जिला स्तर की समस्त गतिविधियों को पूर्व के ही उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत संचालित करने के कारण प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में तीव्रगति से वृद्धि हुई है, जिससे नगर में उपलब्ध परिवहन तंत्र पर क्षमता से अधिक यातायात के दबाव के कारण अधिक समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।



का अत्यंत अभाव है । जिसके कारण सभी प्रकार के वाहन मार्गों के किनारे विरामित किए जाते हैं, जिससे मार्गों की वास्तविक यातायात वहन क्षमता प्रभावित होती है । अतः नगर में विभिन्न गतिविधि केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों इत्यादि के निकट वाहन विराम स्थल के प्रस्ताव किए जाना अत्यंत आवश्यक है ।

3.6 नगरीय अधोसंरचना

3.6.1 जल प्रदाय

नगरपालिका द्वारा नगर में जल प्रदाय नगर के प्रमुख स्रोत दूलहा तालाब से सबमर्सिबल पंप द्वारा किया जाता है जिसमें 25 एच.पी. के 3 पंप, 6 एल.पी.एम. 8 एवं 05 एच.पी. के एक-एक पंप 300, 350 एल.पी.एम. की क्षमता वाले पंपों द्वारा नलकूप के माध्यम से नगर के अंदर जलापूर्ति की जाती है । जल प्रदाय की वर्तमान क्षमता 0.329 एम.जी.डी. है तथा जल वितरण 0.305 एमजीडी किया जाता है, जबकि वर्तमान में 0.593 एमजीडी की कमी है, जिसमें वार्ड नं. 6 सामतपुर में आवश्यकतानुरूप जलापूर्ति नहीं हो पाती है । ग्रीष्म ऋतु में जलसमस्या और भी अधिक हो जाती है ।

नगर में भू-जल स्तर नीचे गिरने से पानी की गंभीर समस्या है । अतः नगर की पेयजल व्यवस्था हेतु भू-जल संवर्धन एवं जल संग्रहण के उपायों के साथ ही तालाबों का गहरीकरण एवं संरक्षण नितांत आवश्यक है ।

3.6.2 जल-मल निकास

नगर में जल-मल निकास हेतु समुचित प्रणाली उपलब्ध नहीं है । अतः गंदा पानी खुली नालियों द्वारा प्रवाहित किया जाकर निचली भूमियों, पोखरों में प्रवाहित होता है । नगर में बस स्टैंड एवं रेल्वे परिक्षेत्र में सुलभ काम्पलेक्स की सुविधा उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त नगर में निजी प्रसाधनों के अलावा ऐसी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं । अतः नगर में स्वच्छ पर्यावरण के लिए भूमिगत जल-मल निकासी योजना तैयार किया जाना आवश्यक होगा ।

3.6.3 ट्रेचिंग ग्राउण्ड (टोस अपशिष्ट प्रबंधन)

नगर में टोस अपशिष्ट विसर्जन हेतु कोई ट्रेचिंग ग्राउण्ड नहीं है । वर्तमान में सामतपुर बस्ती के पूर्व की ओर रेल्वे लाईन के पास ही खुली भूमि का उपयोग ट्रेचिंग ग्राउण्ड के रूप में किया जाता है । इसी प्रकार रेल्वे लाईन के दक्षिणी भाग में संग्रहित टोस अपशिष्ट को शहडोल मार्ग पर रेल्वे लाईन के किनारे विसर्जन कर दिया जाता है । इस उपयोग हेतु निर्धारित स्थल न होने के कारण वातावरण प्रदूषित होता है, जिसकी समुचित व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा ।

3.6.4 विद्युत प्रदाय

नगर में विद्युत प्रदाय व्यवस्था चर्चाई एवं अमरकंटक ताप विद्युत गृह से सम्बद्ध है तथा नगर को विद्युत वितरण अनूपपुर के तीन उपकेन्द्रों के माध्यम से किया जाता है । नगर में विद्युत खपत की स्थिति निम्नानुसार है -



3.5.1 यातायात की संकुलता

नगर के मध्य भाग में सबसे अधिक यातायात संकुलता है । इसका प्रमुख कारण वाणिज्यिक गतिविधियां, मार्ग क्षमता से अधिक यातायात, सड़क पर वाहन पार्किंग एवं हाथ टेला, गुमटी आदि द्वारा मार्गाधिकार का उपयोग हैं । नगर के स्टेशन मार्ग, बस स्टैण्ड मार्ग, अनाज मंडी, फल-सब्जी मंडी, आदर्श रोड, स्टेट बैंक रोड, मस्जिद मार्ग, न्यायालय (नगर पालिका) के सामने का रोड यातायात की संकुलता वाले मार्ग हैं । उचित यातायात प्रबंधन एवं केन्द्रवर्ती वाणिज्यिक गतिविधियां जैसे अनाजमंडी, फल-सब्जी मंडी, मांस-मछली, जिला न्यायालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय आदि को मध्यवर्ती क्षेत्र से बाहर सुगम्य स्थल पर स्थानांतरित कर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, जिसके लिए योजना में प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है ।

3.5.2 यातायात दुर्घटनायें

पुलिस यातायात, कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर में कोई गंभीर दुर्घटना घटित नहीं हुई है । क्योंकि भारी वाहनों का प्रवेश मध्यवर्ती क्षेत्र एवं वाणिज्यिक केन्द्र के अंतर्गत वर्जित है । फिर भी छिट-पुट दुर्घटनायें मार्ग संकीर्णता एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के संकेन्द्रण के कारण होती रहती हैं । अतः वाणिज्यिक संस्थानों के संचालन हेतु विकास योजना में प्रस्ताव दिया जाना आवश्यक है ।

3.5.3 अगम्य पहुंच मार्ग

नगर के पुराने आबादी क्षेत्र की बसाहट एवं सामतपुर की मस्जिद के उत्तर की ओर की बसाहट अत्यंत संकीर्ण होने के कारण ऐसे स्थलों में आपातकालीन स्थिति में पहुंच दुर्गम्य हो जाता है । अतः विकास योजना प्रस्ताव में ऐसे क्षेत्रों हेतु सुगम पहुंच मार्गों का प्रस्ताव करना आवश्यक है ।

3.5.4 असुविधाजनक मार्ग संगम

नगर में परिवहन की दृष्टि से कई असुविधाजनक चौराहे विद्यमान हैं । इनके कारण यातायात संचालन में असुरक्षा एवं दुर्घटनाओं की प्रबल संभावना बनी रहती है । जिसका प्रमुख कारण चौराहों की संकीर्णता, अन्धा मोड़ एवं तिराहे पर अतिक्रमण आदि हैं । निम्नलिखित तिराहों एवं मार्ग संगमों को सुगम यातायात संचालन हेतु विकसित किया जाना आवश्यक है ।

1. स्टेशन मार्ग
2. रेंज कार्यालय तिराहा
3. स्टेट बैंक चौक
4. इन्दिरा चौक
5. दीवान टोला चौक
6. बूढ़ी बाई मंदिर चौक

3.5.5 वाहन विराम स्थल

नगर के यातायात उदित एवं अवसान केन्द्रों के समीप वाहन विराम स्थलों का होना आवश्यक होता है ताकि वाहनों के आवागमन में बाधा न हो । परन्तु यह पाया गया है कि नगर के वाणिज्यिक केन्द्रों के आसपास सामान्यतः नियत वाहन विराम स्थलों



अनूपपुर : विद्युत खपत

3-सा-3

वर्ष	घरेलू उपयोग		वाणिज्यिक उपयोग		वाणिज्यिक उपयोग	
	उपभोक्ता संख्या	खपत इकाई लाखों में	उपभोक्ता संख्या	खपत इकाई लाखों में	उपभोक्ता संख्या	खपत इकाई लाखों में
1	2	3	4	5	6	7
2001	3750	26.04	30	3.25	470	5.84
2002	3900	27.02	36	4.00	540	6.70
2003	4118	28.386	40	4.50	610	6.02
2004	4410	30.56	46	5.21	684	5.90
2005	4700	32.16	49	5.76	750	5.99
2006	4930	34.01	52	6.72	880	6.69

3.6.5 डेयरी एवं पशुपालन

नगर में डेयरी एवं पशुपालन संबंधी गतिविधियों हेतु कोई स्थान नियत नहीं है। सामान्यतः ग्रामीण परिवेश में आवश्यकता अनुसार एक या दो भैंस अथवा गाय घरेलू उपयोग हेतु नगर के विभिन्न क्षेत्रों में पालकर निवास करते हैं। अतः नगर में यह गतिविधियाँ फैली हुई हैं, जो साफ-सफाई, प्रदूषण एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करती है। नगर में फारेस्ट नर्सरी के पास पशु चिकित्सालय भी है, जो स्थल स्थिति के कारण उपयुक्त नहीं है। अतः डेयरी एवं पशु चिकित्सालय हेतु उपयुक्त स्थल प्रस्तावित करना आवश्यक होगा।

3.6.6 धोबी घाट

नगर में कोई निश्चित धोबीघाट नहीं है। सामान्यतः मड़फा तालाब का लोग धोबीघाट के रूप में उपयोग करते हैं। सोन नदी, तिपान नदी एवं चंदास नदी नगरीय क्षेत्र से दूर होने के कारण इस कार्य हेतु उपयोग में नहीं लाया जा रहा है।

3.6.7 कब्रिस्तान एवं श्मशानघाट

नगर में शहडोल मार्ग एवं मनेन्द्रगढ़ मार्ग पर एक-एक कब्रिस्तान/श्मशानघाट तथा अनूपपुर आई.टी.आई. के पश्चिम की ओर एक श्मशानघाट तथा एक श्मशान घाट न्यू जैतहरी मार्ग पर एक श्मशान उपलब्ध है।

3.6.8 अग्निशमन केन्द्र

नगर में अग्निशमन केन्द्र की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसकी पूर्ति होना अति आवश्यक है।



3.6.9 मेला स्थल

सामतपुर में वाणिज्यिक मध्य क्षेत्र के अंदर ही प्रत्येक बुधवार को साप्ताहिक बाजार/मेला लगता है । जिसमें अनाज, होजरी वस्त्र, सब्जी, फल आदि की दुकानें फुटपाथ एवं रोड के किनारे लगाई जाती हैं जिससे यातायात में अवरोध होता है । इसके लिए पृथक से समुचित स्थल प्रस्तावित करना आवश्यक होगा ।

3.7 हवाई पट्टी

नगर में हवाई पट्टी की सेवाएं उपलब्ध नहीं है । । वर्तमान में शहडोल जिले के अंतर्गत लालपुर ग्राम में लगभग 30 कि.मी. दूरी पर हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है ।

3.8 तालाब/जलाशय

अनूपपुर नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 18 तालाब हैं, जो 15.967 हेक्टर क्षेत्र में स्थित है ।

अनूपपुर : तालाब (जलाशय)

3-सा-4

क्रमांक	तालाब का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	वार्ड क्रमांक
1	2	3	4
1.	सामतपुर तालाब	1.197	01
2.	लभटा तालाब	0.837	10
3.	वोकरा तालाब	1.352	15
4.	टेढी तालाब	1.526	14
5.	सोहारी तालाब	0.397	15
6.	भुतही तालाब	0.223	10
7.	भेडरा तालाब	0.465	10
8.	नईकान तालाब	0.854	10
9.	देमान तालाब	1.145	10
10.	बमुरिहा तालाब	0.918	10
11.	रामसागर तालाब	1.004	15
12.	अमहाई तालाब	1.242	13
13.	खम्परिया तालाब	1.229	14
14.	रमकुडिया तालाब	0.227	15
15.	बाबू तलैया	0.482	13
16.	अंजीर तालाब	1.093	11
17.	चमरवोधी तालाब	0.376	10
18.	छोटा खम्परिया तालाब	1.400	13
	योग	15.967	

स्रोत: राजस्व विभाग



3.9 अन्य सेवा सुविधायें

नगर में अन्य सेवा-सुविधायें निम्नानुसार हैं -

अनूपपुर : वर्तमान सेवा-सुविधायें

3-सा-5

क्रमांक	सेवा सुविधा	इकाईयों की संख्या	सेवा क्षेत्र
1	2	3	4
अ.	स्वास्थ्य		
1.	जिला चिकित्सालय	01	जिला स्तर पर
2.	आयुर्वेदिक चिकित्सालय	01	नगर स्तर पर
3.	नर्सिंग होम	01	नगर स्तर पर
4.	होम्योपैथिक	03	नगर स्तर पर
ब.	शैक्षणिक		
1.	महाविद्यालय	01	जिला स्तर पर
2.	विधि महाविद्यालय (प्रायवेट)	01	नगर स्तर पर
3.	आई.टी.आई. (तकनीकी प्रशिक्षण)	01	जिला स्तर पर
4.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	04	नगर स्तर पर
5.	हाई स्कूल	03	नगर स्तर पर
6.	माध्यमिक स्कूल	11	नगर स्तर पर
7.	प्राथमिक पाठशाला	09	नगर स्तर पर
स.	सामाजिक एवं सांस्कृतिक		
1.	सभागृह	01	नगर स्तर पर
2.	पुस्तकालय / वाचनालय	01	नगर स्तर पर
द.	आमोद-प्रमोद		
1.	उद्यान	01	नगर स्तर पर
2.	खेल मैदान	01	नगर स्तर पर
3.	छविगृह	01	नगर स्तर पर
ई-	अन्य सेवा सुविधायें		
1.	डाक-तार घर	01	नगर स्तर पर
2.	उप डाकघर	01	नगर स्तर पर
3.	दूरभाष केन्द्र	01	नगर स्तर पर
4.	विद्युत उप केन्द्र	01	नगर स्तर पर
5.	आरक्षी केन्द्र	02	नगर स्तर पर
6.	श्मशानघाट	02	नगर स्तर पर
7.	कब्रिस्तान	02	नगर स्तर पर
8.	विश्रामगृह	02	नगर स्तर पर



अध्याय - चार भावी आवश्यकताएं एवं प्रस्तावित भू-उपयोग

अनूपपुर, जिला मुख्यालय स्तर का नगर होने के कारण प्रशासनिक एवं मध्यम श्रेणी का व्यापार – वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है। अतः वर्तमान एवं भावी कार्यकलापों के संदर्भ में आवश्यकताओं का आंकलन कर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।

4.1 नगर के भावी कार्यकलाप

नगर के विकास में प्रमुख कार्यकलापों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नगर के भावी विकास एवं नियोजन की पृष्ठभूमि में ये प्रभावी भूमिका निभाते हैं। नगर के वर्तमान कार्यकलाप एवं क्षेत्रीय महत्व आदि के परिपेक्ष्य में नगर को निम्न भावी कार्यकलापों के अनुरूप विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

1. जिला स्तरीय प्रशासनिक केन्द्र
2. वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक केन्द्र
3. स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक केन्द्र
4. कृषि एवं खनिज आधारित औद्योगिक केन्द्र

4.2 योजनाकाल

विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए योजना की कालावधि निर्धारित किया जाना आवश्यक है ताकि निश्चित समय-सीमा के लिए जनसंख्या एवं उसकी भावी आवश्यकताओं का आंकलन किया जा सके।

इस योजना की कालावधि 2021 तक निर्धारित की गई है। विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव विकास योजना की कालावधि तक सीमित नहीं रखे जा सकते, क्योंकि यह प्रस्ताव विकास योजना कालावधि के उपरांत नगर विकास के लिए आधारभूत संरचना के रूप में उपयोगी रहेंगे। अतः अनूपपुर विकास योजना के प्रस्ताव कालावधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी विकास योजना के पुनर्विलोकन/ मूल्यांकन एवं उपांतरण होने तक अथवा इस विकास योजना प्रस्तावों के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे।

4.3 भावी जनसंख्या

नगर की विगत दशकों की जनसंख्या वृद्धि दर, राज्य स्तर पर इसी श्रेणी के नगरों की जनसंख्या वृद्धि दर तथा जिला मुख्यालय घोषित होने संबंधी क्रियाकलापों को दृष्टिगत रखते हुए नगर की वर्ष 2011 एवं 2021 की जनसंख्या क्रमशः 50,000 एवं 80,000 अनुमानित की गई हैं। नगर के वर्तमान स्वरूप एवं वृद्धि दर को देखते हुए उक्त अनुमान थोड़ा अधिक प्रतीत होता है किन्तु नगर में जिला स्तर के प्रशासनिक ढांचे की बढ़ती संख्या, कृषि एवं खनिजकर्म आधारित व्यापार – व्यवसाय तथा आसपास के क्षेत्रों में संचालित औद्योगिक इकाईयों एवं प्रमुख पर्यटक/धार्मिक स्थल अमरकंटक तथा जिला मुख्यालय होने के कारण संभावित विकास को दृष्टिगत रखते हुए जनसंख्या अनुमानित की गई हैं।



4.3.1 अनुमानित व्यवसायिक संरचना

जनगणना 2001 के अनुसार 4663 कुल कार्यशील व्यक्तियों में से प्राथमिक क्षेत्र में 26.14 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में 3.0 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र में 70.86 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत पाये गये । नगर के भावी कार्यकलाप एवं नगर के स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए अनुमानित है कि वर्ष 2021 में सहभागिता दर 263 होगी तथा श्रमिकों की कुल अनुमानित संख्या 21000 के लगभग होगी, जो संपूर्ण जनसंख्या का 26.25 प्रतिशत अनुमानित है ।

4.4 योजना का उद्देश्य एवं लक्ष्य

अनूपपुर नगर के वर्तमान विकास को समायोजित करते हुए सुनियोजित भावी विकास ही इस विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य है । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नगर की संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों को आवश्यकतानुसार निर्धारण कर समुचित वितरण किया गया है, जिससे नगरवासियों को स्वास्थ्यप्रद एवं भौतिक स्थितियों के अनुकूल अच्छा पर्यावरण उपलब्ध हो सके । निम्नलिखित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए विकास योजना के प्रस्ताव दिये जा रहे हैं –

1. भूमि का समुचित एवं उपयुक्त सक्षम उपयोग ।
2. वर्तमान आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों को भावी मार्ग संरचना से सम्बद्ध करना ।
3. नगर के वर्तमान अव्यवस्थित एवं असंगत भू-उपयोगों की पुनर्स्थापना ।
4. नगरीय गतिविधियों से सामंजस्य बनाते हुए वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपयोग हेतु समुचित भूमि का प्रावधान ।
5. प्राकृतिक भू-दृश्य एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से तालाबों, नदियों का सौन्दर्यीकरण एवं गहरीकरण ।
6. नगरवासियों के लिए मूलभूत सेवा-सुविधाओं के प्रस्ताव ।
7. जिला स्तर की प्रशासनिक एवं अन्य गतिविधियों हेतु उपयुक्त स्थल का प्रस्ताव ।


4.5 योजना अवधारणा

नगर के मध्य से रेल्वे लाईन गुजरने के कारण तथा उपयुक्त मार्ग संरचना के अभाव में नगर का भौतिक विकास संगठित समूह में हुआ है, जिसके कारण आबादी क्षेत्रों में खुले स्थानों का सर्वथा अभाव है । जिला बनने से जिला स्तर की समस्त गतिविधियाँ पूर्व अधिवासित क्षेत्रों में संचालित होने से अव्यवस्थित स्थिति निर्मित हुई है, अतः नियंत्रित एवं नियोजित विकास की आवश्यकता है तथा घनी आबादी क्षेत्रों में सुनियोजित विकास के साथ-साथ नगर के अन्य कार्यकलापों को नये क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जावेगा ताकि नगर की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति पृथक-पृथक क्षेत्रों के अनुसार की जा सके ।

रेल्वे लाईन के उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र से समन्वय की दृष्टि से सुगम आवागमन हेतु अन्डर ब्रिज का निर्माण, यात्री बसों हेतु बस स्टैण्ड का प्रस्ताव, यातायात नगर का



अनूपपुर विकास योजना




LEGEND			
	EXISTING वर्तमान	PROPOSED प्रस्तावित	
RESIDENTIAL	[Yellow Box]	[Orange Box]	आवासीय
COMMERCIAL	[Orange Box]	[Orange Box]	वाणिज्यिक
GENERAL SPECIALIZED / MANDI TRANSPORT NAGAR	[Dark Blue Box]	[Dark Purple Box]	सामान्य विशेषीकृत वाणिज्यिक (मंडी) यातायात नगर
INDUSTRIAL	[Purple Box]	[Purple Box]	औद्योगिक
PUBLIC & SEMIPUBLIC	[Red Box]	[Red Box]	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक
PUBLIC UTILITIES & FACILITIES	[Brown Box]	[Brown Box]	सार्वजनिक सेवा सुविधाये
RECREATIONAL	[Green Box]	[Green Box]	आमोद प्रमोद
CITY / OTHER PARKS CONSERVATION GREEN MELA GROUND STADIUM FOREST	[Light Green Box]	[Light Green Box]	नगरीय एवं अन्य उद्यान संरक्षित हरित क्षेत्र मेला मैदान स्टेडियम वन क्षेत्र
TRANSPORTATION	[Grey Box]	[Grey Box]	यातायात
ROADS BUS STAND RAILWAY STATION RAILWAY LINE	[Grey Box]	[Grey Box]	मार्ग बस स्टेण्ड रेलवे स्टेशन रेलवे मार्ग
RURAL ZONE	[Light Green Box]	[Light Green Box]	ग्रामीण परिक्षेत्र
VILLAGE SETTLEMENT AGRICULTURE	[Yellow-Green Box]	[Yellow-Green Box]	ग्रामीण आवादी कृषि क्षेत्र
WATERBODIES	[Blue Box]	[Blue Box]	तालाब / नहरे / नाला / नदी
PLANNING AREA	[Dashed Line]	[Dashed Line]	निवेश क्षेत्र
VILLAGE BOUNDARY	[Dotted Line]	[Dotted Line]	ग्राम सीमा

Sharma

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश
भोपाल



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश



प्रस्ताव, जिला स्तर की खेल प्रतियोगिताओं हेतु स्टेडियम का प्रस्ताव, जिला अस्पताल हेतु स्थल का चयन एवं उसके स्थान पर कन्या महाविद्यालय की स्थापना, सुगम नगरीय यातायात के साथ क्षेत्रीय मार्गों को बायपास से संबद्ध कर नगरीय यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करना एवं आमोद-प्रमोद की दृष्टि से आसपास स्थित तालाबों के समूह को संरक्षित कर जिला स्तर पर तरणताल के साथ उद्यान हेतु विकसित करना, कृषि स्वरूप एवं राष्ट्रीय स्तर की औद्योगिक गतिविधियों हेतु विशेष ध्यान दिया गया है । नगर के चहुँमुखी विकास हेतु सक्षम एवं समन्वित मार्ग संरचना का प्रस्ताव किया गया है ।

4.6 आवासीय इकाईयों की आवश्यकता

आवासीय इकाईयों की भावी आवश्यकता का अनुमान भावी जनसंख्या, परिवार का आकार तथा आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियां पर आधारित होता है । वर्ष 2001 की जनगणना एवं नगरपालिका से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार नगर में 2411 मकानों में 3250 परिवार निवास करते हैं जिसके अनुसार औसत परिवार का आकार 5.05 व्यक्ति आता है।

वर्ष 2021 की अनुमानित जनसंख्या 80,000 तथा औसत परिवार का आकार 4.5 व्यक्ति के आधार पर 13937 आवासीय इकाईयों की आवश्यकता होगी । उक्त आवश्यकता का अनुमान लगाते समय प्रतिवर्ष एक प्रतिशत मकान जो आवासीय दृष्टि से अनुपयोगी होंगे । उनके पुनर्निर्माण का प्रावधान भी किया गया है । अनुमानित परिवार एवं आवासीय आवश्यकता का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है।

अनूपपुर : अनुमानित परिवार एवं आवासों की आवश्यकता

4-सा-1

क्रमांक	विवरण	वर्ष 2007	2011	2021
1	2	3	4	5
1.	जनसंख्या (लाख में)	0.40 अनुमानित	0.50	0.80
2.	अतिरिक्त जनसंख्या	---	0.10	0.30
3.	परिवार का औसत आकार	5.05	5.00	4.50
4.	अतिरिक्त परिवार	---	2000	6667
5.	वर्ष 2021 में 90 प्रतिशत की दर से आवास इकाईयों की आवश्यकता	---	1800	6000
6.	वर्ष 2001 की कमी सहित आवासीय इकाईयों की आवश्यकता	2749	3800	12667
7.	वर्तमान आवासों का एक प्रतिशत की दर से पुनर्निर्माण	---	380	1270
	योग-	2749	4180	13937

उपरोक्त सारणी में अनुमानित आवासों की आवश्यकता में समाज के सभी आय वर्ग के परिवार सम्मिलित हैं । आय वर्गों के विभाजन के संबंध में वर्गीकरण अनुसार आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग 40 प्रतिशत, निम्न आय वर्ग 30 प्रतिशत, मध्यम आयवर्ग 25 प्रतिशत एवं उच्च आय वर्ग 05 प्रतिशत मान कर किया गया है ।



4.7 प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भू-आवंटन 2021

नगर के वर्तमान भूमि उपयोग की समस्याओं के मूल्यांकन के उपरांत विकास योजना में वर्तमान कमी तथा भावी जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 15.44 प्रति हेक्टेयर प्रति हजार जनसंख्या की दर से भावी संभावित भूमि उपयोग क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जिसमें आवासीय उपयोग के अंतर्गत 440.68 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है, जो 80,000 जनसंख्या हेतु पर्याप्त होगा, जिसका विस्तृत विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है ।

अनूपपुर : प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भू-आवंटन 2021

4-सा-2

क्र.	भूमि का प्रकार	वर्तमान - 2007			प्रस्तावित - 2021		
		क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्रतिशत	भूमि उपयोग दर	भू उपयोग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्रतिशत	भूमि उपयोग दर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	आवासीय	166.45	49.34	4.16	440.68	35.67	5.50
2	वाणिज्यिक	6.64	01.97	0.17	52.22	4.23	0.65
3	औद्योगिक	1.15	0.34	0.02	205.95	16.67	2.58
4	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक एवं सार्वजनिक सेवा-सुविधाएं	21.18	6.28	0.54	107.96	8.73	1.35
5	आमोद-प्रमोद	6.72	1.99	0.17	144.96	11.73	1.81
6	यातायात एवं परिवहन	135.24	40.08	3.38	283.84	22.97	3.55
	योग-	337.38	100.00	8.44	1235.61	100.00	15.44

- नोट- 1. भूमि उपयोग दर प्रति हेक्टेयर 1000 व्यक्ति ।
 2. वर्ष 2007 में 0.40 लाख जनसंख्या अनुमानित ।
 3. वर्ष 2021 में नगर की जनसंख्या 0.80 लाख अनुमानित ।

4.8 भूमि उपयोग संरचना

विकास योजना में वर्तमान एवं भावी जनसंख्या 80,000 को समाहित करने के लिए 1235.61 हेक्टेयर भूमि 15.44 हेक्टेयर प्रति हजार जनसंख्या की दर से प्रस्ताव दिये गये हैं, जिसमें आवासीय उपयोग के अंतर्गत 440.68 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है तथा वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा नगर की भावी अधोसंरचना को देखते हुए भूमि प्रस्तावित की गई है । नगर में यातायात एवं परिवहन के अंतर्गत कुछ अधिक भूमि आवंटित की गई है जिसका कारण नगर की घनी आबादी को विरली बसाहट में परिवर्तित किया जाना है तथा नगर के समीपवर्ती क्षेत्र में संचालित उद्योग चर्चा थर्मल पावर प्लांट, अमलई पेपर मिल तथा कोतमा विजुली

कोलमाइंस तथा बाक्साइड खनिज की बहुलता के कारण बड़े-बड़े उद्योगों की भावी स्थापना की संभावना के आधार पर प्रस्तावित किया है ।

4.8.1 आवासीय

कृषि एवं प्रशासनिक प्रधान नगर होने से नगर का स्वरूप बहुमंजिले भवनों का नहीं है । विकास योजना में आवासीय उपयोग के अंतर्गत 166.45 हेक्टर भूमि के विरुद्ध 440.68 हेक्टर भूमि 5.50 हेक्टर प्रति हजार जनसंख्या की दर से प्रस्तावित की गई है जिसमें 182 व्यक्ति प्रति हेक्टर के घनत्व से अधिवासित होंगे । नगर का वर्तमान विकास अमरकंटक, जैतहरी, शहडोल एवं मनेन्द्रगढ़ मार्गों के किनारे अधिक हो रहा है । इसी आधार पर आवासीय क्षेत्रों से यथोचित दूरी पर कार्यकेन्द्रों का प्रस्ताव दिया गया है तथा सक्षम परिभ्रमण संरचना द्वारा इन्हें जोड़ा जाना प्रस्तावित है ।

अनूपपुर के घनी आबादी क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए बस्ती से संलग्न उत्तर पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र में आवासीय विकास किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है । इसी प्रकार सामतपुर घनी आबादी क्षेत्र से संलग्न खुले क्षेत्र में आवासीय विकास प्रस्तावित है । साथ ही जैतहरी-अमरकंटक मार्ग के उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र में भावी विकास किया जाना प्रस्तावित किया गया है ।

(अ) गंदी बस्तियों का सुधार एवं व्यवस्थापन

नगर में गंदी बस्तियों की विशेष समस्या नहीं है । अध्याय-दो में जिन गंदी बस्तियों का विवरण दिया गया है, उनमें से पटेरा बस्ती एवं चंदास नदी बस्ती को वर्तमान स्थल से स्थानांतरित किये जाने की आवश्यकता नहीं है । इसी प्रकार अनूपपुर बस्ती भी है, इनके लिए विकास योजना में पर्यावरण सुधार योजना के अंतर्गत मूलभूत सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है । साथ ही शांति नगर बस्ती जो तिपान नदी के पास स्थित झुग्गी-झोपड़ी स्थल उपयुक्त नहीं है, इनको नियोजित रूप से बसाया जाकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ।

(ब) शासकीय एवं अर्द्धशासकीय आवास

नगर में शहडोल मार्ग पर पुलिस क्वार्टर एवं लोक निर्माण कार्यालय के पास शासकीय क्वार्टर बने हुए हैं, जो अपर्याप्त हैं । अतः सोन नदी के पास मनेन्द्रगढ़ मार्ग के एक ओर कलेक्ट्रेट परिसर का विकास किए जाने हेतु स्थल प्रस्तावित किया गया है । उसी के पश्चिम में दूसरी ओर शासकीय आवास निर्माण हेतु स्थल प्रस्तावित किया गया है ।

4.8.2 वाणिज्यिक

वर्तमान में नगर में विशेषीकृत बाजार नहीं है । सभी वाणिज्यिक गतिविधियां मिश्रित बाजार के रूप में नगर स्तर की हैं, जो अधिकांशतः सामतपुर में स्टेशन मार्ग पर उत्तर की ओर एवं बस स्टैण्ड मार्ग पर पश्चिम की ओर मध्य क्षेत्र में संचालित हैं जिसके कारण यह क्षेत्र अत्यंत भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र हो जाता है । अतः प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र के सन्निकट ही वाणिज्यिक सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से विकास योजना में नगर के चारों ओर तथा प्रमुख मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां विकसित किया जाना प्रस्तावित है, इससे नगर केन्द्र पर पड़ने वाले दबाव पर भी कमी आयेगी ।



नगर की भावी आवश्यकताओं के आधार पर विकास योजना में 52.22 हेक्टेयर भूमि जो कुल प्रस्तावित विकसित क्षेत्र का 4.23 प्रतिशत है, वाणिज्यिक उपयोग हेतु विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत निम्न गतिविधियां प्रस्तावित हैं।

4.8.3 विशिष्ट एवं थोक बाजार केन्द्र

वर्तमान में विशिष्ट एवं थोक बाजार संबंधी गतिविधियां संचालित नहीं हैं। मध्यवर्ती वाणिज्यिक कार्य केन्द्र के अंतर्गत ही छुटपुट रूप से इस प्रकार के कार्य संपादित होते हैं। नगर के भावी विकास को ध्यान में रखते हुये विकास योजना में प्रस्तावित मेला स्थल के पूर्व की ओर एवं सामतपुर में वर्तमान बसाहट के पूर्व की ओर एम.आर.-5 से लगकर विशेषीकृत बाजार हेतु 15.0 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है।

4.8.4 कृषि उपज मंडी

वर्तमान में शहडोल मार्ग पर चंदास नदी के किनारे इस प्रयोजन हेतु लगभग 5.24 हेक्टेयर भूमि शासन द्वारा आवंटित है, किन्तु वर्तमान में विकसित नहीं है। अतः भावी विकास को देखते हुए 4.76 हेक्टेयर भूमि उत्तर एवं पूर्व की ओर संलग्न भूमि को सम्मिलित कर कुल 10.0 हेक्टेयर भूमि कृषि उपज मंडी हेतु प्रस्तावित है, इसके अंतर्गत अनाज मंडी एवं थोक सब्जी मण्डी सम्मिलित है।

4.8.5 माल गोदाम एवं शीतगृह

वर्तमान में शहडोल मार्ग पर चंदास नदी के किनारे वेयर हाउस एवं कृषि उपज मंडी के पास चंदास नदी के किनारे खाद गोदाम एवं मड़फा तालाब के आगे कोतमा मार्ग के मोड़ पर शीतगृह बिखरे रूप में स्थित है, जिसके कारण यातायात में काफी असुविधा होती है। इनको एक स्थान पर संचालित करने के आशय से कृषि उपजमंडी के उत्तर की ओर प्रस्तावित एम.आर.नं.-2 के पास पश्चिम में इस उपयोग हेतु 10.0 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है इसके अंतर्गत तिपान नदी के पश्चिम में वृत्तीय मार्ग क्रमांक-2 से संलग्न क्षेत्र में इस उपयोग हेतु 13.44 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है।

(अ) इमारती लकड़ी एवं भवन निर्माण सामग्री

इस प्रयोजन हेतु मड़फा तालाब से आगे कोतमा मार्ग पर भवन निर्माण सामग्री एवं अमरकंटक मार्ग पर पिपरिया चौक से आगे इमारती लकड़ी हेतु स्थल प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत कबाड़ी बाजार संबंधी गतिविधियां भी संचालित होंगी।

(ब) यातायात एवं अग्रेषण अभिकरण

इंजीनियरिंग मशीनरी संबंधी मरम्मत कार्य एवं यातायात संबंधी गतिविधियां मड़फा तालाब से आगे उत्तर की ओर प्रस्तावित एम.आर. नं. 2 एवं कोतमा-मनेन्द्रगढ़ मार्ग के मध्य में नगर के भावी विकास को ध्यान में रखते हुए 8.0 हेक्टेयर भूमि इस उपयोग हेतु प्रस्तावित है।

(स) फुटकर एवं सामान्य बाजार

सामतपुर में वर्तमान मध्यवर्ती बाजार क्षेत्र सामान्य फुटकर बाजार के रूप में कार्यरत रहेगा तथा रेलवे लाईन के दक्षिण एवं अमरकंटक जैतहरी मार्ग के दक्षिण की ओर प्रस्तावित पहुंच मार्ग संगमों के समीप इस प्रयोजन हेतु स्थल प्रस्तावित किए गए हैं। प्रस्तावित केलेक्ट्रेट परिसर के सामने कोतमा मार्ग पर सामान्य वाणिज्यिक प्रस्ताव है।



4.8.6 औद्योगिक

नगर में औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान में 1.15 हेक्टर भूमि का उपयोग हो रहा है जो कुल विकसित क्षेत्र का 0.34 प्रतिशत है । यह अन्य सामान्य नगरों में हो रहे उपयोग से बहुत कम है । आदिवासी बाहुल्य एवं पिछड़ा जिला होने के कारण नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बहुत कम संचालित हुई है, जिसका अध्याय-दो में उल्लेख किया गया है ।

नगर के भावी विकास को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर की संभावित औद्योगिक इकाइयों के उपयोग हेतु 205.95 हेक्टर भूमि का प्रस्ताव दिया गया है जो संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र का 16.67 प्रतिशत है । राष्ट्रीय स्तर की बड़ी औद्योगिक इकाइयां निवेश क्षेत्र से बाहर संचालित हैं । अतः नगर के भावी विकास को ध्यान में रखते हुए निवेश क्षेत्र में दो स्थलों पर औद्योगिक उपयोग हेतु स्थल प्रस्तावित किया गया है जिसमें चंदास नदी से आगे शहडोल मार्ग के उत्तर की ओर ग्राम परसवार में 85.76 हेक्टर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है । इसमें सामान्य श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां कृषि आधारित दाल मिल, आयल मिल एवं फ्लोर मिल के साथ कुटीर उद्योग एवं फ्लेटेड फैक्ट्रियां स्थापित हो सकेंगी तथा अमरकंटक मार्ग पर प्रस्तावित रिंग रोड के पश्चिम में ग्राम संकरिया, दमना एवं वैरीबांध के अंतर्गत नाले तक लगभग 119.04 हेक्टर भूमि प्रदूषणकारी एवं वन आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु प्रस्तावित है ।

4.8.7 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक एवं सेवा-सुविधायें

अनूपपुर जिला मुख्यालय घोषित होने के पश्चात् यहां जिला स्तर की समस्त सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा सेवा सुविधाओं संबंधी गतिविधियां संचालित हैं, जो वर्तमान स्थिति में किराये के भवन में या फिर असुविधायुक्त स्थल पर संचालित हैं । अतः विकास योजना में उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए 107.96 हेक्टर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है, जो 8.73 प्रतिशत है ।

(अ) कार्यालय

जिला मुख्यालय नगर होने के कारण यहां पर केन्द्र शासन, राज्य शासन के कार्यालय तथा स्थानीय (स्वायत्त) संस्थाएं तथा बैंक आदि संचालित हैं । वर्तमान स्थिति में जिला न्यायालय एवं नगर पालिका परिषद् कैम्पस के अंदर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय सिटी कोतवाली के पास, आयुर्वेदिक कार्यालय, रेंज नर्सरी कार्यालय के पास सामतपुर मध्यक्षेत्र में स्थित है तथा अमरकंटक मार्ग पर इंदिरा चौक के पास लोक निर्माण विभाग का कार्यालय एवं कलेक्ट्रेट आदि असुविधाजनक क्षेत्र में संचालित हैं । विकास योजना में संयुक्त जिला कार्यालय परिसर हेतु कोतमा मार्ग पर सोन नदी के पहले सामतपुर के अंतर्गत 14.08 हेक्टर भूमि प्रस्तावित है, जिसमें सभी शासकीय कार्यालय संचालित किया जाना प्रस्तावित है तथा मार्ग के बायीं ओर शासकीय आवासीय विकास हेतु लगभग 20.0 हेक्टर भूमि प्रस्तावित की गई है । वर्तमान कलेक्ट्रेट भवन का उपयोग तहसील कार्यालय के रूप में किया जा सकेगा । इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग कार्यालय के रिक्त होने पर अन्य उपयोग में लिया जा सकेगा । जैतहरी मार्ग पर पुराना तुलसी महाविद्यालय का भवन, जो रिक्त हो गया है, उसमें जिला न्यायालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ।



(ब) जिला जेल

जिला मुख्यालय में जिला जेल नहीं है। अतः विकास योजना में अमरकंटक मार्ग पर ग्राम संकरिया के अंतर्गत 6.0 हेक्टर भूमि जिला जेल हेतु प्रस्तावित है।

(स) स्वास्थ्य

नगर में जिला अस्पताल के रूप में जनपद कार्यालय के पास 30 बिस्तरों का अस्पताल है, जो तहसील स्तर का है। नगर के भावी विकास को ध्यान में रखते हुए 100 बिस्तरों वाला जिला स्तर का अस्पताल विकास योजना में चंदास नदी के पहले अमरकंटक मार्ग पर दोनों ओर स्टाफ क्वार्टर सहित सर्वसुविधायुक्त 16.00 हेक्टर भूमि में जिला अस्पताल तथा नर्स प्रशिक्षण संस्थान एवं आवास आदि गतिविधियों हेतु 10.0 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। पशु चिकित्सालय को वर्तमान स्थल से निवेश क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के समीप स्थानांतरित करना प्रस्तावित है।

(द) शैक्षणिक

नगर में विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार शैक्षणिक सुविधायें प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा वर्तमान में संचालित जिला अस्पताल परिसर के रिक्त होने के पश्चात् उसमें कन्या महाविद्यालय संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार सोन नदी के पास जैतहरी मार्ग पर तुलसी महाविद्यालय के पास पॉलीटेक्नीक कॉलेज एवं विधि महाविद्यालय हेतु स्थल प्रस्तावित किया गया है तथा अनूपपुर बस्ती में संजय उद्यान के पास किराये के भवन में आई.टी.आई. संचालित है। उसी क्षेत्र में रिक्त शासकीय भूमि 3.237 हेक्टर आई.टी.आई. हेतु प्रस्तावित है।

(इ) सामाजिक एवं सांस्कृतिक

वर्तमान में नगर में अम्बेडकर भवन के अतिरिक्त कोई और सांस्कृतिक भवन नहीं है। अतः रामसागर तालाब के पास कम्युनिटी हाल तथा वर्तमान न्यायालय परिसर के रिक्त होने पर नगर पालिका कार्यालय के विस्तार के साथ टाउन हाल का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

(फ) सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएं

सार्वजनिक सेवायें एवं उपयोगिताओं के अंतर्गत नगर स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 5.0 हेक्टर का अतिरिक्त क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। इसमें म.प्र. विद्युत मण्डल, जल शुद्धिकरण एवं वितरण संयंत्र एवं श्मशान / कब्रिस्तान आदि आते हैं। म. प्र. विद्युत मण्डल के दो उप केन्द्र नगर में उपलब्ध हैं तथा नगर के भावी जल वितरण हेतु सोन नदी में जल शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित करने हेतु स्थल प्रस्तावित है। श्मशान/कब्रिस्तान वर्तमान के अलावा कृषि क्षेत्र में आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय के परामर्श से इस उपयोग हेतु स्थल चयन किया जा सकेगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सोन नदी से आगे जैतहरी मार्ग पर ग्राम सेन्दरी में शासकीय भूमि एवं उसी से संलग्न भूमि को मिलाकर कुल 10.0 हेक्टर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

4.8.8 आमोद-प्रमोद

इस उपयोग हेतु कुल 144.96 हेक्टर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कुल क्षेत्र का 11.73 प्रतिशत है। इसमें वर्तमान एवं भावी जनसंख्या के आमोद-प्रमोद हेतु विकास योजना में पिकनिक स्थल, जल तटीय विकास, उद्यान, खेल का मैदान, भू-दृश्यीकरण इत्यादि के प्रस्तावों का समावेश किया गया है। अनूपपुर बस्ती से संलग्न संजय उद्यान तथा इसी क्षेत्र के सन्निकट स्थित तीन तालाबों को संगठित कर पर्यावरणीय दृष्टि से सघन वृक्षारोपण तथा तरण ताल हेतु तालाब गहरीकरण का प्रस्ताव है। साथ ही सामतपुर मध्यक्षेत्र में वन प्रक्षेत्र राजस्व की भूमि में सघन वृक्षारोपण के साथ फारेस्ट नर्सरी को उद्यान के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है।

(क) खेल का मैदान (स्टेडियम)

कोतमा मनेन्द्रगढ़ मार्ग पर सोन नदी के पहले प्रस्तावित कलेक्ट्रेट परिसर के पूर्व में ग्राम सामतपुर में 12.0 हेक्टर भूमि स्टेडियम के लिए प्रस्तावित है।

(ख) जलाशयों का विकास (तालाब)

नगर में 18 छोटे-बड़े तालाब स्थित हैं जिनके अंतर्गत 15.967 हेक्टर भूमि है। इन तालाबों के विकास हेतु पृथक से योजना तैयार की जाकर विकास किया जाना प्रस्तावित है ताकि नगर के पर्यावरण उन्नयन के साथ-साथ जनमानस को इसका लाभ प्राप्त हो सके। प्रमुख जलाशयों के भू-दृश्यीकरण एवं पर्यावरणीय विकास द्वारा इनका उपयोग पिकनिक स्थल के रूप में किया जा सकता है। नगर के निकट प्रवाहित नदी के एच.एफ.एल. क्षेत्र से 30 मीटर तथा नाले के उच्चतम जल स्तर से 3.0 मीटर की दूरी पर सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत किसी प्रकार के विकास एवं निर्माण कार्यों की अनुज्ञा नहीं होगी।

4.8.9 यातायात एवं परिवहन

इस उपयोग के अंतर्गत मार्ग, यातायात, अवसान केन्द्र, वाहन विराम स्थल, बस स्थानक, बस डिपो तथा परिवहन संबंधी सेवा सुविधाओं का समावेश है। विकास योजना में इस उपयोग हेतु 283.84 हेक्टर प्रस्तावित की गई है जो कुल विकसित क्षेत्र का 22.97 प्रतिशत है। सामतपुर में वर्तमान बस स्टैण्ड के स्थानांतरित हो जाने पर उसके स्थान पर शापिंग सेन्टर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

4.9 असंगत भूमि उपयोग

नगर में स्थित असंगत भू-उपयोगों का विवरण अध्याय-दो में दिया गया है। इन भू-उपयोगों को स्थानांतरित कर उसके स्थान पर सक्षम उपयोग प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्न सारणी में दिया गया है। इन भू-उपयोगों की पुनर्स्थापना हेतु म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 25 के अनुसार यथोचित अवधि उपलब्ध होगी।



अनूपपुर : भू-उपयोगों की पुनस्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग

4-सा-3

क्रमांक	भू-उपयोग	वर्तमान स्थल	प्रस्तावित स्थल	रिक्त होने पर भूमि का उपयोग
1	2	3	4	5
1.	आरामिल	आवासीय एवं वाणिज्यिक स्थल में	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में	आवासीय
2.	बस स्टैण्ड	मध्यवर्ती नगरीय क्षेत्र	शहडोल मार्ग पर चंदास नदी एवं रेलवे लाईन के पास सामतपुर में	वाणिज्यिक
3.	थोक सब्जी एवं फल मण्डी	मध्यवर्ती नगरीय क्षेत्र	कृषि उपज मंडी के पास	फुटकर बाजार
4.	अनाज मंडी	मध्यवर्ती नगरीय क्षेत्र	कृषि उपज मंडी के पास	फुटकर बाजार
5.	जिला न्यायालय	नगरपालिका के पास	पुराना तुलसी महाविद्यालय परिसर में	नगरपालिका कार्यालय विस्तार एवं टाउन हाल का विकास
6.	विश्राम गृह	रेंज आफिस चौक के पास	कलेक्ट्रेट हेतु प्रस्तावित स्थल के पास	सिटी कोतवाली (पी.एस.पी.)
7.	पुलिस अधीक्षक कार्यालय	रेंज आफिस चौक के पास	कोतमा मार्ग पर	सिटी कोतवाली (पी.एस.पी.)
8.	जिला चिकित्सालय	अनूपपुर जनपद कार्यालय के पास	अमरकंटक मार्ग पर	कन्या महाविद्यालय (पी.एस.पी.)
9.	पशु चिकित्सालय (डेयरी)	सामतपुर	कृषि उपयोग के अन्तर्गत	आवासीय

4.10 ग्राम विकास

अनूपपुर निवेश क्षेत्र में जो ग्राम आबादी, विकास योजना में प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में शामिल दर्शायी गयी है, उनका विकास, विकास योजना में दर्शित उपयोग के अनुरूप ही किया जा सकेगा, किन्तु जो ग्राम आबादी प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में शामिल नहीं हुई है, उनका विस्तार वर्तमान आबादी के आसपास 200 मीटर की परिधि में किया जा सकेगा तथा इसका स्वरूप वर्तमान ग्राम आबादी के समान ही रहेगा । यह विस्तार सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा से ग्राम विकास के रूप में ही हो सकेगा ।



अध्याय- पाँच प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना

5.1 प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना

नगर की गतिविधियों को सुचारुरूप से संचालित करने के लिए मार्गों की परिभ्रमण संरचना सुदृढ़ होना अति आवश्यक है । इसकी परिकल्पना दीर्घकालीन आवश्यकताओं एवं कार्य क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए की गई है । नगर की परिभ्रमण संरचना प्रस्तावित करते समय निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है—

1. मिश्रित यातायात के अनुरूप सुव्यवस्थित मार्ग संरचना ।
2. नगर के प्रत्येक कार्य केन्द्रों को जोड़ने हेतु सुगम मार्ग तंत्र ।
3. क्षेत्रीय यातायात का नगरीय यातायात से पृथकता ।
4. नगर के संस्पर्शी ग्रामीण क्षेत्रों की मार्गों द्वारा सम्बद्धता ।

5.2 क्षेत्रीय परिभ्रमण संरचना

अनूपपुर नगर कटनी-बिलासपुर एवं चिरमिरी से सीधे रेल द्वारा जुड़ा हुआ प्रमुख रेल जंक्शन है । इसके उत्तर की ओर लगभग 4.0 किलोमीटर की दूरी से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 78 गुजरता है तथा अमरकंटक एवं शहडोल राज्य मार्ग से जुड़ा हुआ है । इसी प्रकार जैतहरी एवं मनेन्द्रगढ़, कोतमा आदि नगरों से क्षेत्रीय मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है । नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत ऐसा कोई औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान नहीं है जिससे क्षेत्रीय माल यातायात को नगर में प्रवेश करना पड़े । केवल अमरकंटक मार्ग से बाक्सआईड का परिवहन होता है, जो नगर के पश्चिमी भाग में रेल यार्ड के अंतर्गत खाली कर दिया जाता है और रेल द्वारा बाहर की कंपनियों को भेजा जाता है जिससे इसमें से कुछ माल यातायात शहडोल मार्ग की ओर जाता है, जिसको जोड़ने हेतु वृत्तीय मार्ग क्रमांक-1 के निर्माण का प्रस्ताव विकास योजना में दिया गया है जिससे अमरकंटक से शहडोल जाने वाले वाहनों को नगर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी, दूसरी ओर जैतहरी, मनेन्द्रगढ़ (कोतमा) बुढार, अमलाई पेपर मिल, चचाई थर्मल पावर स्टेशन, धनपुरी एवं कोतमा विजुली कोल माईन्स क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य बाह्य क्षेत्रीय मार्ग जुड़े होने के कारण इन क्षेत्रों का यातायात नगर में बहुत ही कम होता है । अतः नगर के भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए इन क्षेत्रीय मार्गों को जोड़ने हेतु वृत्तीय मार्ग का विकास किया जाना प्रस्तावित है ।

5.3 नगरीय परिभ्रमण संरचना

नगर के मध्यवर्ती क्षेत्र से अमरकंटक-जैतहरी मार्ग को जोड़ते हुए मनेन्द्रगढ़ (कोतमा) एवं शहडोल की ओर जाने वाला मार्ग है, जो नगरीय एवं क्षेत्रीय यातायात के रूप में कार्य कर रहा है । यह मार्ग अमरकंटक-जैतहरी मार्ग पर इंदिरा चौक से प्रारंभ होकर रेलवे लाईन को पार कर नगर के मध्य वर्तमान बस स्टैण्ड मार्ग होता हुआ मडफा तालाब के पास से एक ओर शहडोल और दूसरी ओर मनेन्द्रगढ़/कोतमा की ओर चला जाता है । यह मार्ग मध्यवर्ती वाणिज्यिक क्षेत्र से गुजरने के कारण अत्यंत संकीर्ण एवं व्यस्ततम मार्ग है । साथ ही रेलवे कासिंग में भी अत्यधिक विलम्ब होता है । विकास



योजना में इन मार्गों के यातायात को नगर के बाह्य भाग से जोड़ने हेतु मुख्य मार्ग प्रस्तावित किया गया है। नगरीय क्षेत्र से सामंजस्य स्थापित करते हुए बाह्य क्षेत्र के प्रस्तावित मार्गों से इन्हें जोड़ा गया है ताकि वर्तमान नगरीय क्षेत्र का बाह्य क्षेत्र से संपर्क में सुगमता हो सके।

5.4 मार्गों का कार्यात्मक श्रेणीक्रम

नगर में कार्यात्मक मार्ग अनुक्रम निम्नलिखित श्रेणियों में प्रस्तावित है –

- (अ) क्षेत्रीय मार्ग
- (ब) बायपास मार्ग (वृत्तीय मार्ग)
- (स) प्रमुख मार्ग (एम.आर.)
- (द) मुख्य नगरीय मार्ग
- (इ) खण्ड स्तरीय मार्ग
- (फ) उपखण्ड स्तरीय मार्ग
- (ग) स्थानीय मार्ग

(अ) क्षेत्रीय मार्ग

क्षेत्रीय मार्गों द्वारा नगर का संपर्क अन्य नगरों एवं ग्रामों से होता है। नगर में जैतहरी, अमरकंटक, पिपरिया, शहडोल एवं कोतमा, मनेन्द्रगढ़ को जोड़ने वाले प्रमुख क्षेत्रीय मार्ग हैं। इन मार्गों के यातायात दृष्टिगत रखते हुए नगर के बाह्य क्षेत्रीय यातायात की सुगमता हेतु क्षेत्रीय मार्गों की चौड़ाई 30 से 45 मीटर प्रस्तावित है।

(ब) बायपास (वृत्तीय मार्ग)

क्षेत्रीय मार्गों के यातायात में नगर प्रवेश वर्जित करते हुए नगर के बाह्य क्षेत्र से ही सीधे यातायात हेतु वृत्तीय मार्ग का प्रावधान रखा गया है, जिसकी चौड़ाई 60-45 मीटर प्रस्तावित है। नगर के माल एवं यात्री यातायात दृष्टिगत रखते हुए अमरकंटक, जैतहरी, एवं कोतमा मार्ग को जोड़ने हेतु वृत्तीय मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(स) प्रमुख मार्ग (एम.आर.)

प्रमुख मार्ग मुख्यतः नगर के क्षेत्रीय एवं नगरीय यातायात प्रवाह को वहन करने के आशय से प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी प्रस्तावित चौड़ाई 30 से 35 मीटर रखी गई है।


(द) मुख्य नगरीय मार्ग

प्रमुख नगरीय मार्ग मुख्यतः नगर के संपूर्ण यातायात को संचालित करने के साथ-साथ नगर के प्रमुख कार्य केन्द्रों को जोड़ते हैं। दैनिक यातायात दबाव एवं वर्तमान मार्गाधिकार आदि को ध्यान में रखते हुए 09 से 18 मीटर मार्गों की चौड़ाई निर्धारित की गई है।




अनूपपुर

5.1 प्रस्तावित यातायात संरचना



LEGEND

TRANSPORTATION	EXISTING PROPOSED		यातायात
	वर्तमान	प्रस्तावित	
ROADS			मार्ग
BUS STAND			बस स्टैंड
RAILWAY STATION			रेलवे स्टेशन
RAILWAY LINE			रेलवे मार्ग
WATERBODIES			तालाब/नहर/ताला/नदी



(इ) खण्ड स्तरीय मार्ग

खण्ड स्तरीय मार्ग का प्रावधान आवासीय खण्डों की गतिविधियों को कार्य केन्द्रों से जोड़ने तथा तीव्रगामी यातायात को वहन करने हेतु इनकी प्रस्तावित चौड़ाई 9.0 मीटर निर्धारित है ।

(फ) उपखण्ड स्तरीय मार्ग

इस प्रकार के मार्ग प्रत्येक आवासीय खण्डों में स्थानीय यातायात की आवश्यकता हेतु प्रस्तावित किए जाते हैं, जिनको अभिन्यास तैयार करते समय दर्शित किया जाता है, इनकी प्रस्तावित चौड़ाई 06 से 09 मीटर प्रस्तावित है ।

(ग) स्थानीय मार्ग

ये मार्ग मुख्यतः आवासीय खण्डों में परिभ्रमण तथा भवनों के पहुंच हेतु निर्मित किए जाते हैं । इन मार्गों के किनारे जल प्रदाय, जल-मल निकासी एवं विद्युत प्रदाय आदि सेवाओं से संबंधित लाईनें होती हैं । आवासीय क्षेत्रों में इनकी चौड़ाई 6.0 मीटर प्रस्तावित है ।

5.5 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

नगरीय मार्गों का कार्यात्मक महत्व, दीर्घकालीन यातायात की मात्रा, यातायात का प्रकार एवं उनकी विशेषता आदि के आधार पर मार्गों की चौड़ाई निर्धारित की जाती है । निम्नलिखित तालिका में वर्तमान एवं प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई प्रस्तावित की गई है -

अनूपपुर : मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

5-सा-1

क्रमांक	मार्गों का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
अ-	क्षेत्रीय मार्ग		
1.	शहडोल मार्ग		
	अ- मडफा तालाब चौक से चंदास नदी तक	22-24	30
	ब- चंदास नदी से आगे शहडोल की ओर	30	45
2.	कोतमा-मनेन्द्रगढ़ मार्ग		
	अ- मडफा तालाब चौक से सोन नदी तक	24-30	30
	ब- सोन नदी से आगे राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 78 की ओर	30	45

1	2	3	4
3.	अमरकंटक-जैतहरी मार्ग		
	अ- इंदिरा चौक से तिपान नदी तक	30	30
	ब- तिपान नदी से आगे जैतहरी मार्ग की ओर	30	45
	स- इंदिरा चौक से चंदास नदी तक	18-30	30.0
	द- चंदास नदी से आगे अमरकंटक की ओर	30	45
ब-	वर्तमान नगरीय मार्ग		
1.	इंदिरा चौक से रेंज आफिस चौक तक (वाया रेल्वे कासिंग)	15-18	18
2.	रेल्वे आफिस चौक से मडफा तालाब चौक तक (व्हाया बस स्टैण्ड मार्ग)	12-14	15-18
3.	रेंज आफिस चौक से पटोरा तिराहा तक (स्टेशन मार्ग)	9	12
4.	पटौरा तिराहा से चंदास नदी के पास रेल्वे कासिंग तक (स्टेशन मार्ग)	12	18
5.	स्टेशन मार्ग से सब्जी मण्डी तक (मस्जिद मार्ग)	9	9-12
6.	स्टेशन मार्ग विश्रामगृह तिराहा से स्टेट बैंक मार्ग	9	9-12
7.	स्टेशन मार्ग से आदर्श मार्ग तक	9	9-12
8.	मस्जिद तिराहा से पटौरा चौक होकर कब्रिस्तान तिराहा शहडोल मार्ग तक	9	9-12
9.	स्टेशन मार्ग से पटोरा चौक होकर पी. एच.ई. कार्यालय तिराहा तक	6	9
10.	संत रविदास सामुदायिक मार्ग	6-9	9
11.	इंदिरा चौक तिराहा से अनूपपुर बस्ती	6-9	9
12.	शिव मंदिर चौराहा से सरस्वती तिराहा तक (अमरकंटक मार्ग)	6-9	9
13.	अमरकंटक मार्ग तिराहा से अनूपपुर बस्ती अमहाई टोला तक	6	9
14.	अमरकंटक मार्ग रेलवे कासिंग से अमहाई टोला होकर बोकरा तालाब तक (पिपरिया मार्ग)	9-12	12
15.	बोकरा तालाब से आगे पिपरिया की ओर जाने वाला मार्ग	12-18	18
16.	अमरकंटक मार्ग पर पेट्रोल टंकी के वगल से जाने वाला खम्परिया मार्ग	-	12



नोट- उपरोक्तानुसार प्रस्तावित चौड़ाई से अतिरिक्त यदि स्थल पर मार्गाधिकार उपलब्ध है, तो उसे पार्किंग हेतु यथावत रखा जावेगा । पुराने आबादी क्षेत्रों में भवनों के निर्माण/पुनर्निर्माण के समय मार्ग चौड़ाई का कियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है ।

(स) प्रस्तावित मार्ग

(1) वृत्तीय मार्ग -

(अ) वृत्तीय मार्ग क्रमांक-1	60 मीटर
(ब) वृत्तीय मार्ग क्रमांक-2	45 मीटर

(2) मुख्य मार्ग

1. मुख्य मार्ग क्रमांक-1	30 मीटर
2. मुख्य मार्ग क्रमांक-2	30 मीटर
3. मुख्य मार्ग क्रमांक-3	30 मीटर
4. मुख्य मार्ग क्रमांक-4	30 मीटर
5. मुख्य मार्ग क्रमांक-5	18 मीटर
6. मुख्य मार्ग क्रमांक-6	18 मीटर

5.5.1 रेल्वे स्टेशन एवं माल प्रांगण

वर्तमान रेल्वे स्टेशन उत्तरमुखी है, जिसके कारण दक्षिणी दिशा में स्थित नगरवासियों को कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं । अतः रेल्वे स्टेशन का विकास दोनों ओर उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में किया जाना प्रस्तावित है । रेल्वे स्टेशन के दोनों ओर माल प्रांगण, प्रतीक्षालय, उपाहार गृह, वाहन विराम स्थल इत्यादि का विकास किया जाना प्रस्तावित है । साथ ही रेल्वे लाईन जो वर्तमान में नगर के उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र के आवागमन में अवरोध उत्पन्न कर रही हैं, उसके लिए नगर के पश्चिमी भाग में चंदास नदी के पास प्रस्तावित बस स्टैण्ड के समीप एक अंडर ब्रिज एवं दूसरा नगर के पूर्वी भाग में तिपान नदी के पहले अंडर ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है ।

5.5.2 ट्रक स्थानक

वर्तमान में ट्रक स्थानक के लिए स्थल निर्धारित नहीं है तथा ट्रक यातायात (माल) रेलवे परिसर में अमरकंटक मार्ग से बाक्सआईड से भरा हुआ माल रेल्वे प्रांगण में खाली करने के बाद अमरकंटक मार्ग के किनारे खड़े कर दिये जाते हैं जिससे यातायात प्रभावित होता है । इसके लिए सामतपुर में यातायात नगर में ट्रक स्थानक का भी विकास होगा ।

5.5.3 बस स्थानक

वर्तमान में बस स्थानक सामतपुर में वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थित है, जो कि असुविधाजनक तथा अपर्याप्त स्थल पर है । अतः शहडोल मार्ग पर चंदास नदी के पास रेल्वे लाईन अन्डर ब्रिज निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल के समीप ही बस स्थानक हेतु 3.50 हेक्टर क्षेत्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है ।



5.6 यातायात में सुधार हेतु प्रस्ताव

नगर के मध्य क्षेत्र से रेल्वे लाईन गुजरने के कारण नगर यातायात दो भागों में विभाजित हो जाता है । जिसको पार करने हेतु सुगम व्यवस्था नहीं है । अतः नगरीय यातायात को सुगम बनाने की दृष्टि से रेल्वे लाईन के समानान्तर दोनों ओर मार्ग प्रस्तावित हैं तथा शहडोल मार्ग एवं अमरकंटक मार्ग के सीधा यातायात हेतु चंदास नदी के पास तथा जैतहरी मार्ग से रेल्वे लाईन पार करते हुए मनेन्द्रगढ़-कोतमा मार्ग को जोड़ने हेतु प्रस्तावित प्रमुख मार्ग पर अंडर ब्रिज का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ।

2. चौराहों का विकास

निम्नलिखित मार्ग संगमों एवं चौराहों का सुधार एवं विकास किया जाना प्रस्तावित है -

1. मडफा तालाब चौक
2. इंदिरा चौक
3. रेंज आफिस चौक
4. पटौरा तिराहा
5. स्टेशन तिराहा
6. मरिजद तिराहा
7. पी.एच.ई. कार्यालय तिराहा
8. शिव मंदिर चौराहा
9. अमरकंटक मार्ग से रेल्वे कासिंग पिपरिया को जाने वाला तिराहा ।
10. अमहाई टोला तिराहा
11. शहडोल मार्ग प्रस्तावित अंडर ब्रिज चौक

3. पिकअप स्टेशन

नगरीय क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा की दृष्टि से क्षेत्रीय मार्गों पर निम्न स्थलों पर पिकअप केन्द्र का निर्माण/विकास किया जाना प्रस्तावित है -

1. अमरकंटक मार्ग पर रेल्वे कासिंग के पास पिपरिया जाने वाले मार्ग पर।
2. रेल्वे कासिंग के पास जैतहरी मार्ग पर (प्रस्तावित मुख्य मार्ग क्रमांक-2)
3. प्रस्तावित संयुक्त कलेक्ट्रेट परिसर के पास कोतमा-मनेन्द्रगढ़ मार्ग पर।

5.7 वाणिज्यिक सह आवासीय मार्ग

विकास योजना में प्रमुख रूप से निम्नलिखित मार्ग खण्डों को वर्तमान एवं प्रस्तावित गतिविधियों के परिपेक्ष्य में वाणिज्यिक मार्ग प्रस्तावित है-

1. कोतमा-मनेन्द्रगढ़ मार्ग के दोनों ओर पावर हाउस उपकेन्द्र तक।
2. इंदिरा चौक से प्रस्तावित न्यायालय परिसर के पहले तक (जैतहरी मार्ग पर)
3. इंदिरा चौक से पिपरिया चौक (अमरकंटक मार्ग)
4. प्रस्तावित प्रमुख मार्गों के मिलान बिन्दु के समीप का क्षेत्र ।
5. रेल्वे कासिंग से इंदिरा चौक (वर्तमान जिला अस्पताल) तक ।



5.8 प्रस्तावित अधोसंरचना**5.8.1 जल प्रदाय**

नगर में जल प्रदाय दुलहा तालाब से सबमर्सिबल पंप के माध्यम से लगभग 30 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से किया जा रहा है, जो कि अपर्याप्त है। अतः प्रस्तावित है कि भावी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए सोन नदी पर जल संवर्धन प्लांट स्थापित कर नगर को जल प्रदाय हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग एवं नगर पालिका द्वारा योजना तैयार कर क्रियान्वित की जाना प्रस्तावित है। साथ ही नगर के भू-जल स्तर को बनाये रखने की दृष्टि से निवेश क्षेत्र में स्थित नदी एवं तालाबों के गहरीकरण के साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित है।

5.8.2 जल-मल निकास

नगर में जल-मल निकासी हेतु एक समग्र योजना कार्यान्वित कर इसका प्रवाह सड़कों, नालों तथा नदी के माध्यम से न करके भूमिगत नालियों के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

5.8.3 विद्युत प्रदाय

नगर में वर्तमान में 02 विद्युत पावर उपकेन्द्र स्थित हैं। अतः नगर की भावी जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए 2 अन्य उपकेन्द्रों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

5.8.4 धोबीघाट

नगर में तालाबों की बहुलता है। अतः पेयजल वितरण स्रोत एवं तरणताल सौन्दर्यीकरण हेतु प्रस्तावित स्थलों के अतिरिक्त प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिया जाकर तालाबों एवं नदी घाटों पर इस उपयोग हेतु पक्के घाट का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

5.8.5 श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थल

नगर में वर्तमान में 02 श्मशान घाट एवं एक कब्रिस्तान हैं। भविष्य में इसकी आवश्यकता प्रतिपादित होने पर स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय निकाय के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा कृषि भूमि पर स्थल का चयन किया जा सकेगा।

5.8.6 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

वर्तमान में नगर में इसके लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। इस हेतु निवेश क्षेत्र से बाहर जैतहरी मार्ग पर सोन नदी के आगे ग्राम सेन्दरी में लगभग 10 हेक्टर भूमि प्रस्तावित की गई है। इसका प्रबंधन एवं संचालन भारत सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियम, 1999 के अंतर्गत नियंत्रित होगा।

5.8.7 अग्निशमन केन्द्र

इसकी सुविधा नगर में उपलब्ध नहीं है। अतः भावी विकास एवं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका परिसर में आधुनिक अग्निशमन वाहन एवं केन्द्र का विकास किया जाना प्रस्तावित है।



5.8.8 डेयरी एवं पशुपालन

नगर में यत्र-तत्र स्थित पशुपालन संबंधी गतिविधियों को संगठित रूप से स्थापित करने हेतु विकास योजना में 10.0 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। स्थल चयन स्थानीय प्रशासन एवं नगरपालिका के परामर्श से सक्षम अधिकारी द्वारा कृषि उपयोग के अंतर्गत किया जा सकेगा।

5.8.9 दूरभाष केन्द्र

वर्तमान में नगर में शहडोल मार्ग पर प्रस्तावित बस स्टैण्ड के पास दूरभाष केन्द्र संचालित है जिसकी क्षमता बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही जैतहरी मार्ग पर तुलसी महाविद्यालय के पास नगर की भावी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थल प्रस्तावित किया गया है।

5.8.10 डाक-तार घर

नगर के मध्य क्षेत्र में डाक एवं तार घर संचालित है, जो भावी आवश्यकता की दृष्टि से अपर्याप्त एवं असुविधाजनक स्थल पर है। अतः कोतमा-मनेन्द्रगढ़ मार्ग के दायीं ओर गोविन्दम लाज से आगे 1.0 हेक्टर भूमि इस प्रयोजन/उपयोग हेतु प्रस्तावित है तथा वर्तमान डाक-तार घर को उप डाक-तारघर के रूप में संचालित रखना प्रस्तावित है।

5.8.11 आरक्षी केन्द्र

सामतपुर में स्थित वर्तमान आरक्षी केन्द्र वर्तमान स्थल पर संचालित रहेगा। साथ ही अमरकंटक-जैतहरी मार्ग पर तहसील कार्यालय के पास एक आरक्षी केन्द्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

5.8.12 मेला स्थल

ग्राम अनूपपुर में प्रस्तावित एम.आर.1 पर प्रस्तावित जिला चिकित्सालय के पास संरक्षित तीन तालाबों से संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 10.0 हेक्टर भूमि मेला मैदान एवं प्रदर्शनी स्थल एवं साप्ताहिक बाजार हेतु प्रस्तावित है। इसी स्थल पर अन्य सार्वजनिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां भी संचालित हो सकेंगी तथा सामतपुर में प्रस्तावित स्टेडियम परिसर में से 2.00 हे. क्षेत्र मेला मैदान हेतु प्रस्तावित है।



6.1 प्रवृत्तशीलता

इन नियमनों का उद्देश्य अनूपपुर नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। यह नियमन निम्न गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे :-

1. निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास
2. भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन शामिल है तथा भूमि के व्यवसायिक उपयोग के परिपेक्ष्य में भूमि उपयोग ।
3. समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास
4. किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊंचाई सम्मिलित हो ।
5. ऐसे क्षेत्र में जो नगरपालिका सीमा से बाहर है, किन्तु निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर है, भूमि का विकास, भवनों का निर्माण/परिवर्तन एवं तोड़ना ।

6.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13(1) के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं हैं, वे म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे ।
2. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जायेगा। यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों को क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में संशोधित करना पड़े, ऐसे संशोधनों के संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा, जो कि योजना प्रस्तावों का एक भाग माना जायेगा ।
3. विकास योजना मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं तथा उक्त प्रस्ताव मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किये गए हैं । उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित हैं । इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाये गये हैं ।
4. झुगियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं । यदि झुगगी-झोपड़ी को किसी स्थान पर व्यवस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है तो उस दशा में सिर्फ तालाबों एवं अन्य जल

स्रोतों के जलग्रहण क्षेत्र आमोद-प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी का व्यवस्थापन ग्राह्य होगा।

5. विकास योजना मानचित्र, जो रिपोर्ट के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा किया गया मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई-चौड़ाई नापी जाये, न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाये। लंबाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने की कार्यवाही सर्वे मानचित्र जो 1:4000 की माप पर हो, के आधार पर किया जाये।
6. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विकास नियमन/परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है। किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जायेगी।
7. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमायें स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जायेगा।
8. जिन अभिन्यासों को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई है अर्थात् मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत अथवा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 172 के अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृति दी गयी है एवं उसकी समयावधि विकास योजना प्रारूप प्रकाशन की तिथि पर वैध है, उस दशा में यह माना जाएगा कि वह अभिन्यास विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुरूप है।
9. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य एवं नगर स्तर की गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है।
10. निवेश क्षेत्र स्थित कृषि प्रधान ग्रामों में स्थित शासकीय भूमि विकास योजना 2021 के प्रस्तावों के परिपेक्ष्य में म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के अनुसार नियंत्रित होगी।
11. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप तथा उपयुक्त अधोसंरचना, नियोजित एवं रूपांकन के द्वारा तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकृत होगी।

6.3 परिभाषायें

उपयोग परिक्षेत्र	मुख्य भू-उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र ।
उपयोग परिसर	उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो एवं जिसे कि अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो ।
अभिन्यास	अभिन्यास से तात्पर्य उप विभाजित योजना से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हों ।
भूमि उपयोग मानचित्र	सभी उपयोग उपक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र भूमि उपयोग कहलायेगा ।
परिक्षेत्रिक योजना	निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार, सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधित हो ।
नगरीय ग्राम	भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण आबादी नगरीय ग्राम कहलायेंगे ।
नगरीय विरासत	नगरीय विरासत से तात्पर्य ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो ।

अन्य परिभाषायें म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 में वर्णित अनुरूप हैं ।

6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

अनूपपुर निवेश क्षेत्र को 8 उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है । प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित किये गये हैं । प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग, गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी । ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, का प्रतिबंध विकास योजना/ परिक्षेत्रिक योजना के भू-उपयोग/प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा ।

निर्धारित मुख्य 8 भू-उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे यथा— आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सेवायें, आमोद-प्रमोद, यातायात एवं परिवहन, कृषि ।

अनूपपुर : उपयोग परिक्षेत्र

6-सा-1

क्रमांक	उपयोग श्रेणियां	उपयोग परिक्षेत्र
1	2	3
1.	आवासीय	ग्राम आबादी को सम्मिलित करते हुए आवासीय परिक्षेत्र
2.	वाणिज्यिक	वाणिज्यिक परिक्षेत्र
3.	औद्योगिक	औद्योगिक परिक्षेत्र
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र
5.	सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सेवायें	सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा परिक्षेत्र
6.	आमोद-प्रमोद	आमोद-प्रमोद परिक्षेत्र
7.	यातायात एवं परिवहन	यातायात एवं परिवहन परिक्षेत्र
8.	कृषि	कृषि परिक्षेत्र

6.5 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

1. इस नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है। इन नियमनों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित हैं। ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनायें, जल प्रदाय, जल-मल निकास आदि नगरपालिका उपनियमों के अनुरूप होंगे।
2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई अनुपात 1:1.5 से 1:3 होना चाहिये।
3. भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू तल आच्छादन, भवन की ऊंचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है। सारणी 6-सा-2 में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित है। सारणी में दर्शाये भूखण्ड आकार स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है तथा भवन अनुज्ञा हेतु यह पूर्णतः विकसित होना चाहिये।
4. एक भूखण्ड में चार इकाईयों से अधिक को समाहित करने हेतु प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में तैयार किये गये अभिन्यास की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब आवश्यक प्रावधान जैसे जल प्रदाय, जल-मल निकास तथा विराम सुविधा का प्रावधान किया हो तथा भवन निर्माण की अनुमति देने के पूर्व उक्त सेवायें एवं सुविधायें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होना चाहिये। ऐसे भूखण्डों का आकार 288 वर्गमीटर से कम नहीं होगा तथा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 60(4) के अनुरूप परिवारों को समाहित करने हेतु विशिष्ट रूप से रूपांकित किये जायेंगे।
5. म.प्र. नगरपालिका कालोनाईजर रजिस्ट्रेशन निर्वधन एवं शर्तें अधिनियम 1998 के प्रावधानों के अनुरूप कमजोर आय वर्ग हेतु भूमि/भवन आरक्षित की जायेगी।



6. म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के परिशिष्ट-एम (नियम 94) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये ।

अनूपपुर : आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

6-सा-2

क्र.	भूखण्ड का आकार (मीटर में)	क्षेत्रफल वर्ग (मीटर में)	विकास का प्रकार	भूतल पर निर्मित क्षेत्र	सीमांत खुला क्षेत्र (मीटर में)				फर्शी क्षेत्र अनुपात
					अग्र	आजू	पृष्ठ	बाजू	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	4.0x8.0	32	पंक्ति	60	3.0	0.0	0.0	0.0	1.50
2.	4.0x12.0	48	पंक्ति	60	3.0	1.5	0.0	0.0	1.50
3.	5.0x15.0	75	पंक्ति	60	3.0	1.5	0.0	0.0	1.50
4.	7.0x15.0	105	पंक्ति	60	3.0	1.5	0.0	0.0	1.50
5.	9.0x15.0	135	अर्द्ध पृथक्कृत	50	3.0	1.5	2.5	0.0	1.50
6.	11.0x18.0	198	अर्द्ध पृथक्कृत	50	3.0	2.5	2.5	0.0	1.50
7.	12.0x18.0	216	अर्द्ध पृथक्कृत	50	3.5	2.5	3.0	0.0	1.25
8.	12.0x24.0	288	पृथक्कृत	40	4.5	2.5	3.0	1.5	1.25
9.	15.0x24.0	360	पृथक्कृत	35	6.0	2.5	3.0	3.0	1.25
10.	15.0x27.0	405	पृथक्कृत	33	7.5	3.0	3.5	3.0	1.25
11.	18.0x30.0	540	पृथक्कृत	33	8.0	3.0	4.0	3.0	1.25
12.	20.0x30.0	600	पृथक्कृत	33	9.0	3.0	4.5	3.0	1.25
13.	25.0x30.0	750	पृथक्कृत	30	12.0	4.5	4.5	4.5	1.25

नोट :-

- उपरोक्त सारणी एकल परिवार, संयुक्त परिवार हेतु प्रस्तावित भूखण्डीय विकास हेतु प्रस्तावित है ।
- सारणी के अनुक्रमांक 9 से 13 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु-इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है ।
- ऐसे भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल नियमित अथवा अनियमित हो एवं जो सारणी में दर्शाई श्रेणियों के मध्य के आकार के हों, को इसके पूर्व की श्रेणी में सीमान्त खुला क्षेत्र, आच्छादित क्षेत्र, फर्शी क्षेत्र अनुपात के साथ निवेश अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिये ।
- समूह आवास में स्वीकार्य भूतल आच्छादन क्षेत्र में यदि आच्छादित पार्किंग व्यवस्था की गयी हो तो उसकी गणना फर्शी क्षेत्रानुपात में न की जाये ।



5. भवन की अधिकतम ऊंचाई म.प्र. भूमि विकास नियम, 1984 के प्रावधानों के अनुरूप होगी ।
6. घनत्विय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में 5 व्यक्ति तथा घरेलू नौकर आवास में 2.4 का रहवास माना जायेगा ।
7. 288 वर्गमीटर से अधिक के भूखंडों में स्वीकार्य निर्मित फर्शी क्षेत्र के प्रति 240 वर्गमीटर पर एक कार पार्किंग स्थल प्रावधानित होना चाहिये ।
8. झुग्गियों के पुनर्स्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे ।

6.51 बहुविधि बहु-मंजिली इकाई निर्माण

म.प्र. भूमि विकास नियम-1984 के मापदंड अनुसार नियंत्रित होंगे ।

6.6 वन आवास

वन आवास मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-1984 के नियम 17 के उप नियम (13) के प्रावधान अनुसार नियंत्रित होंगे ।

6.7 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ टेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए निम्न सारणी में दिये गये मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किये गये हैं ।

अनूपपुर : अनौपचारिक वर्ग के लिए योजना प्रावधान

6-सा-3

क्र.	विवरण	मानक
1	2	3
1.	फुटकर व्यापार - वृत्त खंड केन्द्र - उप खंड केन्द्र - सुलभ शापिंग	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
2.	शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय	5 से 6 इकाई प्रति एक हजार कर्मकार
3.	थोक व्यापार एवं मालभाड़ा परिसर	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
4.	चिकित्सालय	3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर
5.	बस विराम स्थल	1 इकाई प्रति 2 बस स्थान
6.	विद्यालय - प्राथमिक - माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक	3 से 4 इकाई 5 से 6 इकाई
7.	उद्यान - क्षेत्रीय/नगर उद्यान - पासवर्ती उद्यान	8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार 2 से 3 इकाई
8.	आवासीय	1 इकाई प्रति 1000 जनसंख्या



1	2	3
9.	औद्योगिक	5 से 6 इकाई प्रति 1000 कर्मकार
10.	रेल्वे स्टेशन	परियोजना तैयार करते समय किये गये सर्वेक्षण पर निर्भर होगा ।

टीप - प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी ।

6.8 वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए रूपांकन मार्गदर्शिका

निवेश इकाई केन्द्र में निम्न घटक होंगे -

- फुटकर दुकानें - वाणिज्यिक कार्यालय
- सेवा केन्द्र - सुविधायें
- संस्कृति परिसर - होटल (उपहार गृह)

कुछ परिस्थिति में उपरोक्त सभी घटकों के लिए एकीकृत योजना बनाना संभव हो सकता है । अन्य परिस्थितियों में भूमि विकास एवं उसके बिकने, कार्यविधि अथवा कतिपय रूपांकन संबंधी आवश्यकताओं के कारण इस समाधान की संभावना नहीं हो सकती है । सुविधाओं, होटलों तथा थोक व्यापार के घटकों के विकास को अलग से अंकित किये जाने की आवश्यकता हो सकती है । संभवतः अन्य समूह यथा खेरची, कार्यालय, संस्कृति परिसर तथा आवासीय उपयोग को भू-दृश्य एवं परिभ्रमण के माध्यम से उसी भवन स्थल या क्षेत्र में ज्यादा सरलता से एकीकृत किया जा सकता है । सभी घटकों को या कुल घटकों को शामिल करते हुए एकीकृत योजना तैयार करने का कार्य रूपांकनकार के ऊपर छोड़ देना उचित होगा। नगर केन्द्र के भाग के रूप में भू-दृश्यीकरण क्षेत्रों को नगर स्तरीय आमोद-प्रमोद क्षेत्रों से जोड़कर सुखद पर्यावरण उत्पन्न करना चाहिये ।

नगर केन्द्र के चारों ओर आवासीय क्षेत्रों का पादचारी, पहुंच या उपमार्गों द्वारा निर्धारित होना चाहिये ।

अनूपपुर : वाणिज्यिक विकास हेतु मापदंड

6-सा-4

क्र.	वर्ग	स्थिति	भूखंड निर्मित क्षेत्र (भूखंडीय विकास)	निर्मित क्षेत्र (निगमित विकास)	फर्शी क्षेत्र अनुपात
1	2	3	4	5	6
1.	नगर केन्द्र	नवीन नगर केन्द्र	80 प्रतिशत	50 प्रतिशत	2.50
2.	निवेश इकाई केन्द्र	निवेश इकाई केन्द्र के वाणिज्यिक क्षेत्र	80 प्रतिशत	50 प्रतिशत	2.00
3.	वृत्त खण्ड स्तर केन्द्र / सामुदायिक	परिक्षेत्रिक योजना	80 प्रतिशत	50 प्रतिशत	1.75



1	2	3	4	5	6
4.	स्थानीय केन्द्र	तदैव	80 प्रतिशत	50 प्रतिशत	1.50
5.	सुविधाजनक दुकानें	अभिन्यास प्रस्ताव के अनुसार	80 प्रतिशत	60 प्रतिशत	1.50
6.	गोदाम एवं भंडार	—	60 प्रतिशत	40 प्रतिशत	1.25
7.	थोक बाजार	—	60 प्रतिशत	40 प्रतिशत	1.25

टीप -

- परिसरों का प्रतिशत भूमि उप विभाजन से असंबद्ध होगा ।
- संगठित बाजार केन्द्रों की अनुज्ञा केवल उपदर्शित, वाणिज्यिक क्षेत्रों में ही दी जायेगी ।
- नियोजन एवं विकास के लिए सारणी 6-सा-4 के प्रावधान लागू होंगे । अभिन्यास अनुमोदन के लिए सारणी 6-सा-5 के प्रावधान लागू होंगे ।
- उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्रों में तलघर, म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञेय होगा ।
- किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भूखंड में मार्ग, फुटपाथ, वाहन विराम इत्यादि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भूखंड पर निर्माण किये जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि पर निर्धारित फर्शी क्षेत्र अनुपात का दुगुना फर्शी क्षेत्र अनुपात स्वीकार्य होगा । इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी ।

अनूपपुर : वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

6-सा-5

क्रमांक	वर्ग	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3
1.	भूखण्डों का क्षेत्र	अधिकतम 50 प्रतिशत
2.	परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र	न्यूनतम 40 प्रतिशत
3.	खुले स्थानों को सम्मिलित कर सुविधाओं का क्षेत्र	न्यूनतम 10 प्रतिशत
4.	मार्गों की चौड़ाई— — बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई — दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े होने एवं मुड़ने के लिए न्यूनतम चौड़ाई — दुकानों के सामने पादचारी की न्यूनतम चौड़ाई	12 मीटर 18 मीटर 3 मीटर



1	2	3
5.	दुकानों के आकार— — नीलामी चबूतरा — खंड लंबाई	मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के आधार पर 10X30 मीटर (उपयुक्त) 100 से 200 मीटर के मध्य
6.	विराम स्थल	1.50 कार स्पेस प्रति 100 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्र के

6.81 ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र

ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र हेतु मापदंड म.प्र. भूमि विकास नियम-1984 के प्रावधान से नियंत्रित होंगे ।

6.8.2 छविगृह के लिए मापदंड

मार्ग की चौड़ाई : छविगृह का भूखंड जिस मार्ग पर स्थित होगा, उसकी चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी ।

वाहन विराम स्थल (पार्किंग) सीमान्त खुला क्षेत्र के अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र का 1.67 ई.सी.एस. प्रति 100 कुर्सियों के लिए ।

आवश्यक क्षेत्र : 2.3 वर्गमीटर प्रति कुर्सी की दर से आवश्यक क्षेत्र की गणना की जाये ।

भूखण्ड का निर्मित क्षेत्र : बैठक क्षमता 800 सीट तक के लिए अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 40 प्रतिशत स्वीकार्य होगा एवं उससे अधिक क्षमता के छविगृहों के लिए अधिकतम 33 प्रतिशत ।

सीमान्त खुला क्षेत्र —

सामने न्यूनतम 15 मीटर

आजू/बाजू न्यूनतम 4.5 मीटर/4.5 मीटर

पृष्ठ न्यूनतम 4.5 मीटर

6.8.3 उपाहार गृह (होटल) हेतु मापदंड (नगर केन्द्र एवं वर्तमान वाणिज्यिक मार्गों को छोड़कर)

- | | | |
|----|---------------------------------|------------|
| 1. | भूतल पर अधिकतम आच्छादित क्षेत्र | 33 प्रतिशत |
| 2. | अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात | 1.00 |
| 3. | अधिकतम ऊंचाई | 12 मीटर |



- फर्शी क्षेत्र अनुपात 5 प्रतिशत उपाहार गृह (होटल) गतिविधि से संबंधित वाणिज्यिक उपयोग में लाया जा सकेगा ।
- अधिकतम तलघर का क्षेत्रफल भूतल पर निर्मित क्षेत्र के बराबर हो सकेगा ।
- यह परिसर किसी भी अन्य भू-उपयोग में लिए जाने की दशा में नियम केवल उपाहार गृह हेतु ही लागू होंगे ।
- वाहन विराम स्थल 6-सा-12 अनुसार होंगे ।

6.8.4 अल्पाहार गृह (रेस्टोरेंट) हेतु माप दंड (नगर केन्द्र एवं वर्तमान वाणिज्यिक मार्गों को छोड़कर)

- | | | |
|----|---------------------------------|------------|
| 1. | भूतल पर अधिकतम आच्छादित क्षेत्र | 33 प्रतिशत |
| 2. | अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात | 0.75 |
| 3. | अधिकतम ऊंचाई | 12 मीटर |

यह फर्शी क्षेत्र अनुपात भूखंड का उपयोग केवल अल्पाहार गृह में लागू होगा ।
वाहन विराम स्थल 6-सा-12 अनुसार होंगे ।

6.9 औद्योगिक विकास मानक

अभिन्यास के मानक -

औद्योगिक क्षेत्रों के अभिन्यास के मानक निम्नानुसार होंगे -

- | | | |
|----|--------------------------------------|--------------------|
| 1. | भूखंड का क्षेत्र | अधिकतम 60 प्रतिशत |
| 2. | मार्गों, वाहन विराम एवं खुले क्षेत्र | अधिकतम 30 प्रतिशत |
| 3. | दुकानें एवं अन्य सेवा सुविधायें | न्यूनतम 10 प्रतिशत |

अनूपपुर : औद्योगिक क्षेत्र हेतु विकास मापदंड

6-सा-6

क्र.	भूखंड का आकार	अधिकतम निर्मित क्षेत्र (प्रतिशत)	न्यूनतम सीमांत खुला क्षेत्र (मीटर में)			अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात
			सामने	आजू/बाजू	पीछे	
1	2	3	4	5	6	7
1.	0.05 हेक्टेयर	60	3	3/2.5	2.5	1.25
2.	0.05 से अधिक 0.1 हेक्टेयर तक	55	5	4/2.5	2.5	1.0
3.	0.1 हेक्टेयर से 0. 2 हेक्टेयर तक	50	9	3/4.5	3.0	1.0



विकास योजना अनूपपुर

1	2	3	4	5	6	7
4.	0.2 से हेक्टेयर से 1.0 हेक्टेयर तक	45	10	4.5/6	4.5	1.0
5.	1.0 हेक्टेयर से 2.0 हेक्टेयर तक	45	12	6/6	4.5	1.0
6.	20 हेक्टेयर से अधिक	33	15	6/6	4.5	1.0

6.9.1 प्लेटेड फेक्ट्रियाँ

न्यूनतम भूखण्ड आकार	1000 वर्गमीटर
निर्मित क्षेत्र	50 प्रतिशत अधिकतम
फर्शी क्षेत्र	1.50 अधिकतम
सीमान्त खुला क्षेत्र	स्थल स्थिति/वाहन विराम सुविधा सहित अभिन्यास के मानक अनुसार

6.10 सामाजिक अधोसंरचना हेतु मानक

सामाजिक अधोसंरचना के मानक निम्नानुसार हैं :-

अनूपपुर : सेवाओं-सुविधाओं हेतु मापदंड

6-सा-7

क्रमांक	प्रकार	अधिकतम निर्मित क्षेत्र (प्रतिशत)	फर्शी क्षेत्र अनुपात
1	2	3	4
1.	शैक्षणिक अ. पूर्व माध्यमिक शाला ब. प्राथमिक शाला स. उच्चतर माध्यमिक शाला द. महाविद्यालय इ. शैक्षणिक एवं अनुसंधान केंद्र	40 33 30 25 20	1.25 1.25 1.25 1.25 1.00
2.	स्वास्थ्य अ. स्वास्थ्य केन्द्र/नर्सिंग होम ब. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स. चिकित्सालय (अस्पताल)	33 33 33	1.25 1.25 1.25
3.	सेवा एवं सुविधार्ये अ. आरक्षी चौकी ब. आरक्षी केन्द्र (आवास सुविधा सहित)	35 25	0.80 1.25



1	2	3	4
	स. सामुदायिक भवन	30	1.25
	द. उप अग्निशमन केन्द्र	25	0.80
	इ. अग्नि शमन केन्द्र	25	0.80
	फ. डाक एवं तार	30	1.25
	ग. विद्युत भवन	30	1.25
4.	धार्मिक भवन	30	1.25
5.	शासकीय/अर्द्ध शासकीय भवन	25	1.50
6.	आद्यात्मिक/योग केन्द्र	25	0.80

टीप : उपरोक्त सारणी में जो सुविधायें सम्मिलित नहीं हैं, उनका अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 40 प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.25 से अधिक नहीं होगा ।

अनूपपुर : सामुदायिक सेवा सुविधाओं के मापदण्ड

6-सा-8

क्र.	सेवा/सुविधाएं	व्यवस्था का मान (आवश्यक जनसंख्या)	प्रति सुविधा हेतु अनुशासित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4
1.	शैक्षणिक सुविधाएं		
	नर्सरी, पूर्व प्रशासनिक, झूलाघर	2500 से 3000	0.05 अथवा शिक्षा विभाग के मानकों के अनुसार
	प्राथमिक शाला	3000 से 4000	0.20 अथवा शिक्षा विभाग के मानकों के अनुसार
	उच्चतर माध्यमिक शाला	7000 से 10000	0.80 अथवा शिक्षा विभाग के मानकों के अनुसार
	महाविद्यालय	0.80 से 1.00 लाख	ए.आई.सी.टी.आई./यू.जी. सी. के मानकों के अनुसार
	इंजीनियरिंग महाविद्यालय	10 लाख	ए.आई.सी.टी.आई. के मानकों के अनुसार
	चिकित्सा महाविद्यालय	10 लाख	एम.सी.आई. के मानकों के अनुसार
	तकनीकी/व्यवसायिक/शिक्षा महाविद्यालय	10 लाख	ए.आई.सी.टी.आई. के मानकों के अनुसार
	विश्वविद्यालय परिसर	10 से 15 लाख	यू.जी.सी. के मानकों के अनुसार



1	2	3	4
2.	स्वास्थ्य सुविधाएं		
	हास्पिटल - (100 बिस्तर +)	1.00 लाख	4.0 से 6.00 हेक्टेयर
	हास्पिटल -(30-100 बिस्तर)	1.00 लाख	3.00 से 5.00 हेक्टेयर
	हास्पिटल - (0-30 बिस्तर)	0.50 लाख	2.00 से 4.00 हेक्टेयर
	नेचरोपेथी सेंटर	1.00 लाख	0.20 से 0.50 हेक्टेयर
	हेल्थ सेंटर	0.50 लाख	0.20 से 0.50 हेक्टेयर
	नर्सिंग होम	0.50 लाख	0.20 से 0.50 हेक्टेयर
	पॉलीक्लीनिक	0.50 लाख	0.10 से 0.20 हेक्टेयर
	पेट क्लीनिक	0.25 लाख	0.05 से 0.08 हेक्टेयर
	ब्लड बैंक/पैथालॉजी सेंटर इत्यादि	0.25 लाख	0.05 से 0.08 हेक्टेयर
	फिजियोथेरेपी सेंटर	0.25 लाख	0.05 से 0.08 हेक्टेयर
3.	वाणिज्यिक सुविधाएं जिसमें दुकानदारी सम्मिलित है		
	सुविधाजनक विक्रय केन्द्र	4000 जनसंख्या पर 10 दुकानें	0.05 से 0.1 हेक्टेयर
	स्थानीय विक्रय केन्द्र	16000 जनसंख्या पर 20 दुकानें	0.4 हेक्टेयर
	सुविधाजनक विक्रय केन्द्र क्षेत्रीय विक्रय केन्द्र	80000 जनसंख्या के लिए 80 से 100दुकानें	2.5 हेक्टेयर
4.	संचार साधन सुविधाएं तथा अनिवार्य सेवा		
	उप डाकघर,	प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक	100 वर्गमीटर
	डाक और तार कार्यालय तथा डिलीवरी और बुकिंग जिसमें 1000 लाइनें का टेलीफोन एक्सचेंज भी सम्मिलित है	प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक	1.0 हेक्टेयर
	विद्युत उपकेन्द्र	समस्त विक्रय केन्द्रों में एक	12 मीटर X 12 मीटर
	पुलिस थाना कर्मचारी आवास गृहों सहित	प्रति 50000 जनसंख्या पर एक	0.8 हेक्टेयर
	पुलिस चौकी कर्मचारी आवास गृहों सहित	प्रति 20000 जनसंख्या पर एक	0.4 हेक्टेयर
	दमकल कर्मचारी आवासगृहों सहित	प्रति 5 किलो मी. परिधि की दूरी पर एक	0.8 हेक्टेयर

1	2	3	4
5.	धार्मिक भवन सामाजिक तथा सांस्कृतिक सुविधाएं		
	धार्मिक भवन	प्रत्येक 15000 जनसंख्या पर एक धार्मिक भवन	0.8 हेक्टेयर सड़कों प्रतिच्छेदन (जंक्शन) तथा चौराहों से 60 मीटर दूर अवस्थित हो
	कम्युनिटी हाल तथा पुस्तकालय	प्रति 15000 जनसंख्या पर एक	0.3 हेक्टेयर
	सिनेमा घर	प्रति 25000 जनसंख्या पर एक	0.3 हेक्टेयर, क्षेत्रीय विक्रय केन्द्र कारोबार तथा वाणिज्यिक क्षेत्र, जो आवासीय क्षेत्र में न हो, जहां वाहन खड़े करने का स्थान भी होगा।
6.	औद्योगिक क्षेत्र के लिए सुविधाएं		
	श्रमिक कल्याण केन्द्र	प्रति 40 हेक्टेयर पर एक	0.2 हेक्टेयर
	सुविधाजनक दुकानें/बस अड्डे	प्रत्येक 10 वर्गमीटर की 5 दुकानें	0.2 हेक्टेयर
	स्वास्थ्य केन्द्र	प्रति 200 हेक्टेयर पर एक	0.6 हेक्टेयर
	डाकघर		0.04 हेक्टेयर
	टेलीफोन एक्सचेंज		0.06 हेक्टेयर
	बैंक		200 वर्गमीटर
	पेट्रोल पंप तथा सर्विस स्टेशन		30 X 45 मीटर
	पुलिस थाना कर्मचारी आवास गृहों सहित		0.4 हेक्टेयर
	दमकल केन्द्र कर्मचारी आवास गृहों सहित		0.8 हेक्टेयर

टीप:- उपरोक्त सभी गतिविधियां आवासीय उपयोग के अंतर्गत मान्य होगी।

अनूपपुर : खुले स्थलों एवं आमोद-प्रमोद क्षेत्रों के मापदंड

6-सा-9

सुविधायें	निम्नतम भूमि /क्षेत्र (हेक्टेयर) प्रति हजार व्यक्ति	निम्नतम भूमि प्रति इकाई (हेक्टेयर)	निम्नतम प्रति इकाई की चौड़ाई (मीटर)	सेवा हेतु सामान्य जनसंख्या	सेवा क्षेत्र की अधिकतम त्रिज्या (कि.मी.)
1	2	3	4	5	6
टाटलॉट	0.03	0.03	15	1000	0.15
क्रीड़ा क्षेत्र	0.06	0.30	45	5000	0.30
क्रीड़ा मैदान	0.10	1.50	130	15000	0.50
नेवरहुड पार्क	0.20	0.75	60	5000	0.30
वृत्तखंड उद्यान	0.20	1.50	100	15000	0.30
जिला क्रीड़ा केन्द्र	0.04	4.00	175	1 से 3 लाख	—
नगर उद्यान	0.30	4.00	150	1 से 3 लाख	—
अन्य *	0.10	20.00	300	1 से 3 लाख	5.00

टीप : टाटलॉट क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ांगन तथा दो स्तरों के स्थानीय उद्यानों को छोड़कर शेष क्षेत्र में परिभ्रमण एवं वाहन विराम की आवश्यकतायें शामिल हैं ।

*अन्य सुविधाओं के अंतर्गत परेड मैदान, प्रदर्शनी क्षेत्र आदि शामिल हैं ।

6.11 अन्य उपयोग गतिविधियों के नियमन

(अ) लाजिंग गृह/अतिथि गृह

भूखण्ड आकार	500 वर्गमीटर न्यूनतम
अधिकतम भू-आच्छादन	33.33 प्रतिशत अधिकतम
अधिकतम ऊंचाई	12.0 मीटर अधिकतम
अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात	1.00 अधिकतम

अन्य नियंत्रण

सामने की सड़क की चौड़ाई (मार्गाधिकार) 12.0 मीटर

(ब) धर्मशाला, मंगल भवन एवं रात्रि विश्राम गृह

न्यूनतम भूखंड आकार	800 वर्गमीटर
अधिकतम भू-आच्छादन	33.33
अधिकतम ऊंचाई	12.0 मीटर
अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात	1.00



(स)	छात्रावास	
	निर्मित क्षेत्र	33.33 अधिकतम
	फर्शी क्षेत्र अनुपात	1.00
	ऊंचाई	12.0 मीटर अधिकतम
	अन्य नियंत्रण	
	सामने की सड़क की चौड़ाई (मार्गाधिकार)	12.0 मीटर
(द)	बोर्डिंग गृह	
	न्यूनतम भूखंड आकार	500 वर्गमीटर अधिकतम
	अधिकतम भू-आच्छादन	33.33 प्रतिशत अधिकतम
	अधिकतम ऊंचाई	12.0 मीटर अधिकतम
	अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात	1.00 अधिकतम
	अन्य नियंत्रण	
	सामने की सड़क की चौड़ाई	12 मीटर
	अधिकतम भू-आच्छादित बेसमेंट (भूतल के नीचे) मान्य किया जावेगा एवं यदि इसका उपयोग पार्किंग सेवाओं में किया जाता है । इसकी गणना फर्शी क्षेत्रानुपात में नहीं की जावेगी ।	

6.12 यातायात एवं परिवहन उपयोग परिक्षेत्र

6.12.1 बस स्थानक

बस स्थानक हेतु आरक्षित क्षेत्र का विकास निम्न प्रावधानों के अंतर्गत किया जावेगा :-

1.	भूतल पर निर्मित क्षेत्र	25 प्रतिशत
2.	भवन की अधिकतम ऊंचाई	7.5 मीटर
3.	कार/टेक्सी विराम सुविधा	25 कार
4.	सीमांत खुले क्षेत्र	— अग्र 15 मीटर
	— अन्य तीनों ओर	9-9
5.	फर्शी क्षेत्रानुपात	0.50
6.	स्थानीय दुकानें	2X2 मीटर आकार की 10-15 इकाईयां
7.	सार्वजनिक प्रसाधन सुविधा	20 वर्ग मी. की 2 इकाईयां
8.	रैन बसेरा/अल्पाहार गृह	1 इकाई



6.12.2 यातायात नगर के मानक

यातायात नगर/मैकेनिक नगर के अभिन्यास हेतु निम्नलिखित मानक रहेंगे-

अनूपपुर : यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक

6-सा-10

क्रमांक	कार्य का प्रकार	इकाईयां प्रति 100 ट्रक	अनुशासित क्षेत्रफल की सीमा प्रति इकाई वर्गमीटर
1.	माल बुकिंग कार्यालय एवं गोदाम	30-40	29
2.	कलपुर्जों की दुकानें	10-15	9-72
3.	यांत्रिक एवं विद्युत वर्कशाप	15-25	7.5-13.5
4.	टायर ट्यूब बिक्री दुकानें	12-20	7.5-90
5.	ढाबा	5-7	30-90
6.	चाय-नाश्ता दुकान	8-19	9-14
7.	पान-सिगरेट दुकान	10-14	2-5
8.	नाई सिलाई दुकान	1	10-15

टीप - सकल क्षेत्र 1.1 से 1.5 हेक्टेयर के लगभग प्रति 100 ट्रक की आवश्यकता होती है ।

सुविधायें

प्रति 100 ट्रकों के लिए विभिन्न सेवाओं के प्रावधान निम्न मानकों अनुरूप होंगे-

अनूपपुर : यातायात नगर में सुविधाओं के मापदंड

6-सा-11

क्रमांक	सुविधा	क्षेत्रफल प्रति इकाई (वर्गमीटर)	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	बैंक	100	200 ट्रक पर कम से कम एक
2.	डाकघर	100	प्रत्येक अवसान बिन्दु पर एक
3.	पेट्रोल पंप	800	निर्गम/आगमन बिन्दु पर
4.	होटल, लॉज	600	ऊपरी मंजिल पर
5.	चौकी	200	सामरिक स्थानों पर
6.	उपचार गृह	200	-
7.	अग्नि शमन केन्द्र	200	-
8.	धर्मकांटा	300	निर्गम/आगमन बिन्दु पर



टीप :-

1. सकल क्षेत्र 0.25 हेक्टेयर प्रति 100 ट्रक (व्यस्ततम समय) अथवा अभिन्यास का लगभग 67 प्रतिशत क्षेत्र ।
2. परिभ्रमण तंत्र
अभिन्यास में प्रमुख मार्ग 18 मीटर चौड़े
खुले क्षेत्रों की ओर के भाग 12-18 मीटर चौड़े
द्वितीयक मार्ग 9-12 मीटर चौड़े
खुले क्षेत्रों की ओर के मार्ग 12-18 मीटर चौड़े
3. पार्किंग एवं खुले स्थान
36 वर्गमीटर प्रति ट्रक की मार्ग के समानान्तर पार्किंग वे या खुले यार्ड के रूप में।

6.13 वाहन विराम स्थल के मापदण्ड

वाहन विराम स्थल के मापदण्ड निम्न सारणी अनुसार होंगे :-

अनूपपुर : वाहन विराम मापदंड

6-सा-12

क्रमांक	उपयोग/उपयोग परिक्षेत्र	ई.सी.एस. प्रति 100 वर्ग मीटर फर्शी क्षेत्रफल पर
1	2	3
1.	आवासीय समूह आवासीय, भूखंडीय विकास (250 वर्गमीटर से बड़े) एवं मिश्रित उपयोग	0.50
2.	वाणिज्यिक (अ) थोक व्यापार एवं परिवहन परिसर (लोडिंग एवं अन लोडिंग हेतु वाहन विराम की आवश्यकता सहित) (ब) नगर केन्द्र, उप नगर केन्द्र, होटल, सिनेमा एवं अन्य (स) सामुदायिक केन्द्र, स्थानीय दुकानें, सुविधाजनक दुकानें, अल्पाहार गृह	1.50 1.00 0.50
3.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधायें (अ) नर्सिंग होम, चिकित्सालय (शासकीय को छोड़कर) सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य संस्थायें, शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय कार्यालय (ब) विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, शासकीय चिकित्सालय	0.50 0.25
4.	औद्योगिक छोटे एवं सेवा उद्योग, फ्लेटेड ग्रुप फैक्ट्री, वृहद उद्योग	0.50



टीप : 1. कार विराम के प्रावधान हेतु निम्नानुसार मानक होंगे -

- (अ) खुले क्षेत्र में वाहन विराम हेतु 18.0 वर्गमीटर प्रति कार
- (ब) भूतल पर आच्छादित वाहन विराम 23.0 वर्गमीटर प्रति कार
- (स) तलघर का वाहन विराम 28.0 वर्गमीटर प्रति कार

2. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्रों में उपरोक्त मानकों के आधार पर भूतल एवं तलघर में वाहन विराम का प्रावधान किया जा सकता है ।

3. नगर केन्द्र अथवा उपनगर केन्द्र में उपरोक्त मानकों के आधार पर वाहन विराम की आवश्यकता के अनुसार तल के अलावा और अतिरिक्त भूमिगत वाहन विराम की व्यवस्था की जा सकती है । यह व्यवस्था नगर चौक, पदयात्री पथ, खुले क्षेत्रों के नीचे की जा सकती है, परन्तु यह व्यवस्था सीमान्त खुले क्षेत्र की सीमा रेखा के अंदर ही होगी ।

4. ई.सी.एस. :- कार क्षेत्र तुल्यांक (कार स्पेश इक्विवलेंट)

स्त्रोत : यू.डी.पी.एफ.आई. मार्गदर्शिका ।

6.13.1 सड़कों के किनारे वाहन विराम स्थल

कोणीय विराम का क्रियान्वयन तभी किया जाना चाहिये, जबकि मार्ग की चौड़ाई कम से कम 20 मीटर हो तथा यातायात का आयतन बहुत अधिक न हो। कार विराम के लिए सामान्यतः 2.5 मीटर से 5 मीटर तथा ट्रक के लिए 3.75 मीटर से 7.5 मीटर का स्थल सामान्य आकार के रूप में रखा जा सकता है ।

अनूपपुर : सड़कों के किनारे वाहन विराम स्थल का आकार

6-सा-13

विराम का प्रकार	कर्ब से वास्तविक चौड़ाई (मीटर में)	कर्ब लाईन से समानांतर नापी गयी कार के लिए लंबाई की आवश्यकता (मीटर में)
1	2	3
समानांतर	2.50	5.90
30 डिग्री	4.66	5.00
45 डिग्री	5.31	3.54
60 डिग्री	5.58	2.89
90 डिग्री	5.00	2.50

6.14 विकास मार्गों की निम्नतम चौड़ाई

लूप मार्ग	9 मीटर	अधिकतम लंबाई 500 मीटर
कल्डी सेक	7.5 मीटर	अधिकतम लंबाई 150 मीटर घूर्णन वृत्त की त्रिज्या 9 मी.
गली सामान्य आवासीय क्षेत्र में	6 मीटर	अधिकतम लंबाई 100 मीटर



विकास योजना अनूपपुर

निम्न वर्ग आवासीय क्षेत्र	3.0 मीटर	अधिकतम लंबाई 100 मीटर
गंदी बस्तियों में पादचारी मार्ग	0.9 से 1.5	अधिकतम लंबाई 5 मीटर से 20 मीटर
साइकल पथ	2 से 5 मीटर	
पादचारी मार्ग	1.5 से 4.5 मीटर	

मार्गों/गलियों की अनुशंसित चौड़ाई

आवासीय क्षेत्रों में कल्डीसेक या लूप गलियों की चौड़ाई 7 से 9 मीटर अनुशंसित है। उच्च आय वर्ग समूह के आवासीय क्षेत्र, जहां निजी वाहनों की संख्या अधिक होती है, में मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर रखी जा सकती है।

6.15 उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति

वे उपयोग जो 7 प्रमुख परिक्षेत्रों के अंतर्गत हैं तथा जो सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने पर स्वीकार्य हैं, वे निम्नानुसार हैं :-

अनूपपुर : स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

6-सा-14

क्र.	भूमि उपयोग	परिक्षेत्र में स्वीकृत उपयोग	सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग
1	2	3	4
1.	आवासीय	आवासगृह, छात्रावास, अतिथिगृह, लाजिंग एवं बोर्डिंग हाउस, धर्मशाला, बारातघर, सामुदायिक हाल, आश्रम गृह, बालक यातायात पार्क, प्रयोगशालायें, शिशु सदन, बाल विहार, पाठशालायें, धार्मिक स्थान, आमोद-प्रमोद उपयोग क्लब, सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सेवायें, टेक्सी व स्कूटर स्टैंड, बस स्टाप।	व्यवसायिक कार्यालय या घरेलू व्यावसायिक इकाई, नर्सिंग होम, कार्यालय, होटल, आटा, चक्की, पेट्रोल पंप, हल्के वाहनों की मरम्मत से संबंधित दुकानें, छविगृह, संग्रहालय, पैकिंग इकाई, गैस बुकिंग केन्द्र, सहकारी उपभोक्ता भंडार, सामुदायिक भवन तथा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 38(1) परिशिष्ट-जे भाग-1 एवं भाग-2 में सम्मिलित उद्योग।
2.	वाणिज्यिक	फुटकर दुकानें, होटल, लाजिंग तथा बोर्डिंग गृह सुविधा दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालय छविगृह, बस टर्मिनल, नर्सिंग होम, धार्मिक परिसर, सेवायें तथा सुविधायें, छविगृह, थोक बाजार, भंडारण,	धर्मशाला, सभागृह, सांस्कृतिक प्रचार केन्द्र, प्रदर्शनी केन्द्र, कला केन्द्र, संग्रहालय, संगीत नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय एवं कर्मशाला आवासीय फ्लेट, सेवा उद्योग,



		सेवा केन्द्र, बस टर्मिनल, मोटर गैरेज, कबाड़खाना, मंडी, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, सेवायें ।	प्रेस परिसर, कर्मशाला तथा म. प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 38(1) परिशिष्ट-जे में सम्मिलित उद्योग, सर्विस स्टेशन, नर्सिंग होम, सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियां ।
3.	औद्योगिक अ. सेवा उद्योग	हल्के उद्योग, जैसे- आरामिल, दाल मिल, तेल मिल, दूध डिब्बे में भरना, डिब्बे बनाना मरम्मत कर्मशाला, सेवा केन्द्र, सार्वजनिक सेवा भवन ।	पेट्रोल पंप, परिवहन संस्थायें, कूड़ा करकट स्थान (जंक यार्ड) शो रूम, दुकानें, उपहार गृह, माल गोदाम, अग्रेषण अभिकरण । म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 38 में वर्णित उद्योग तथा सूचना तकनीकी से संबंधित उद्योग ।
	ब. अन्य उद्योग	सामान्य, भारी एवं मध्यम उद्योग, गैस भंडारण, शीतगृह, एल.पी.जी. रिफिलिंग प्लांट, रासायनिक उद्योग, चमड़े के उद्योग, मद्य निर्माण शाला एवं अन्य उद्योग	आवश्यक श्रमिक आवास, बस डिपो कर्मशाला, बस टर्मिनल, गृह, रेल्वे माल गोदाम, सेवा कर्मशाला, गोदाम, म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 38 में वर्णित उद्योग तथा सूचना तकनीकी से संबंधित उद्योग ।
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	केन्द्र एवं राज्य शासन के कार्यालय, शासकीय व अन्य कार्यालय वाणिज्यिक कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, परिचर्चा हाल, व्याख्यालय, फुटकर एवं मरम्मत की दुकानें, औषधालय, ग्रंथालय, सग्रहालय, सांस्कृतिक प्रचार केन्द्र, सभागृह, पुलिस पोस्ट, सामाजिक, धार्मिक सांस्कृतिक संस्थायें, विधिकालय, कला प्रदर्शन कक्ष, शैक्षणिक संस्थायें जैसे- विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विविध शिल्प कला मंदिर, तकनीकी संस्थायें, शोध प्रयोगशालायें, साधारण एवं विशिष्ट चिकित्सालय, चिकित्सा	धर्मशाला, आश्रय गृह, क्लब, फुटकर एवं मरम्मत की दुकानें, अति आवश्यक आवासगृह, शासकीय विश्राम गृह, उपाहार गृह एवं खेल मैदान, कला केन्द्र, पेट्रोल पंप-सह-सर्विस स्टेशन, अनाथालय, बैंक, झूलाघर, कर्मचारी आवास ।



		प्रयोगशाला स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक सेवायें ।	
5.	आमोद-प्रमोद	समस्त आमोद-प्रमोद स्थल, जैसे- क्रीड़ा स्थल, क्रीड़ांगन, तरण पुष्कर, मेला एवं प्रदर्शनी स्थल, पिकनिक स्थल, उद्यान, शूटिंग रेंज, पक्षी अभ्यारण्य ।	पौधशाला, स्टडफार्म, देखरेख आवास, अल्पाहार गृह, योग केन्द्र, मनोरंजन उद्यान, पेट्रोल पंप-सह-सर्विस स्टेशन, सेवा दुकानें, सुलभ शौचालय, भोजनालय, मोटल ।
6.	यातायात एवं परिवहन	रेल्वे स्टेशन, माल प्रांगण, सभागार, प्रांगण, नगरीय बस यात्रा आरंभ एवं समाप्ति केन्द्र, बस कर्मशाला, ट्रक स्टेण्ड, यात्रा समाप्ति केन्द्र, गोदाम ।	अग्रेषण अभिकरण, शीतगृह, पेट्रोल पंप एवं सेवा केन्द्र, मरम्मत की दुकानें, उपकरणों की दुकानें, उपहार गृह, भोजनालय, मोटल ।
7.	कृषि	ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो कि कृषि की परिभाषा में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत आते हैं । कृषि संबंधी अनुसंधान केन्द्र, प्रदर्शन एवं प्रयोगात्मक कार्य, कृषि, फार्म, हेलीपैड, विद्युत/दूरदर्शन/रेडियो केन्द्र, खुले डिपो ।	पेट्रोल पंप, कब्रिस्तान, श्मशान, जल-मल शोधन केन्द्र, खंती स्थान, ईट भट्टे एवं कुम्हारी कार्य, पत्थर तोड़ने का कार्य, दूध एवं कुक्कुट पालन, माल गोदाम, चारागाह एवं वृक्षारोपण एल.पी.जी. गोदाम, ट्रक पार्किंग, दुग्ध शीतजन केन्द्र सेवायें, खाद एवं बीज संग्रह केन्द्र, कृषि यांत्रिकी एवं सुधार प्रतिष्ठान, शीतगृह, ढाबा, तकनीकी एवं गैर तकनीकी शिक्षण संस्थायें, विशेषीकृत स्वास्थ्य ।

टीप:-विकास योजना में उपदर्शित मुख्य भू-उपयोग वर्ग में उपरोक्त सारणी के क्रमांक 1 से 6 अंतर्गत उल्लेखित समस्त स्वीकार्य गतिविधियों का संयुक्त कुल क्षेत्र उस मुख्य भू-उपयोग के विकसित/विकासशील क्षेत्र का अधिकतम 20 प्रतिशत तक अनुज्ञेय हो सकेगा ।

6.16 मल्टीप्लेक्स

विभिन्न भू-उपयोगों के अंतर्गत मल्टीप्लेक्स स्वीकृति हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम-1984 के प्रावधान लागू होंगे ।

6.17 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु विकास नियमन

भवन की ऊंचाई अहाते की दीवार की ऊंचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदंड नए क्षेत्रों के मापदंडों के अनुरूप ही रहेंगे ।

(अ) वर्तमान आवासीय क्षेत्र

वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास निम्न मापदंडों से नियंत्रित होगा -

अनूपपुर : वर्तमान आवासीय विकास हेतु भूखण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

6-सा-15

भूखण्ड का क्षेत्र	आच्छादित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3
90 वर्गमीटर से कम	66 प्रतिशत	1.25
90 से अधिक 180 वर्गमीटर तक	60 प्रतिशत	1.00
180 वर्गमीटर से अधिक	50 प्रतिशत	1.00

टीप-

1. मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर से अधिक होने की दशा में 180 वर्गमीटर से अधिक वाले भूखण्डों के लिए फर्शी क्षेत्रानुपात 1.25 तक अनुज्ञेय होगा ।
2. एकीकरण किये गये भूखण्डों पर बहु इकाई प्रकोष्ठ अनुज्ञेय नहीं होंगे ।

(ब) आवासीय विकसित कालोनियों हेतु मापदण्ड

जिन कालोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गये हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जायेगा । ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाये गये मापदण्ड लागू होंगे, जबकि कालोनियों के अन्य मार्गों पर विकास/निर्माण के लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे ।

(स) वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक मार्गों पर पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

- (क) मार्गों की चौड़ाई विकास योजना में प्रस्तावित मापदंडों के अनुरूप हो ।
- (ख) अन्य तल यदि आवासीय उपयोग में हो, तो आवासीय क्षेत्र, भूतल पर प्रस्तावित कुल फर्शी क्षेत्र के 3/4 से अधिक नहीं होगा ।
- (ग) फर्शी क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुए फर्शी क्षेत्र निर्धारित होगा ।
- (घ) वाणिज्यिक विकास की गहराई, भवन जिस मार्ग पर स्थित हो, उस मार्ग की चौड़ाई के 1.5 गुना या 30 मीटर, जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगा ।



(ड़) वाणिज्यिक भूखण्ड का अधिकतम आकार 400 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा, किन्तु होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक परिसरों के लिए अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा -

25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्ड	100 प्रतिशत
25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड	80 प्रतिशत
फर्शी क्षेत्र अनुपात	1:1.50

टीप - 1. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जायेगी ।

2. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भूखण्डों में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भूखण्ड पर निर्माण किये जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गयी भूमि का दुगुना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप में स्वीकार्य होगा। इसमें भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी ।

(द) वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां

वर्तमान विकसित क्षेत्र में अधिकतर वाणिज्यिक गतिविधियां, मार्गों पर संचालित हैं अतः वि.क.5.7 में दर्शाये मार्गों पर पुनर्निर्माण, परिवर्तन एवं विकास हेतु अधिकतम 30 मीटर गहराई तक 1:1.50 फर्शी क्षेत्रानुपात तक अनुज्ञेय होगा ।

- टीप- 1. भूखण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर या उससे अधिक होने पर कम से कम 4.5 मीटर अग्र खुला क्षेत्र विराम हेतु खुला छोड़ना होगा ।
2. वाणिज्यिक मार्गों पर वाणिज्यिक उपयोग, प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई से 2 गुना या 30 मीटर, जो भी कम हो स्वीकार्य होगा ।

निर्मित क्षेत्र - वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू-तल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र की गणना निम्नानुसार की जायेगी -

भूखण्ड का आकार	भूतल पर निर्मित क्षेत्र (अधिकतम)
1. भूखण्ड का क्षेत्रफल अधिकतम 200 वर्गमीटर तक	66 प्रतिशत
2. भूखण्ड का क्षेत्रफल 201 से अधिक 400 वर्गमीटर तक	60 प्रतिशत
3. 400 वर्गमीटर से अधिक	50 प्रतिशत

(इ) सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक

इस उपयोग के अंतर्गत स्वीकार्य निर्मित क्षेत्र तथा फर्शी क्षेत्रानुपात वर्तमान सघन क्षेत्र के लिए निम्न सारणी में दर्शाये गये हैं :-



अनूपपुर : सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास मापदंड

6-सा-16

क्रमांक	विवरण	कवरेज	फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3	4
1.	महाविद्यालय	40 प्रतिशत	1.5
2.	उच्चतर माध्यमिक शाला	40 प्रतिशत	1.5
3.	प्राथमिक शाला	50 प्रतिशत	1.5
4.	पूर्व प्राथमिक शाला	50 प्रतिशत	1.5
5.	चिकित्सालय	40 प्रतिशत	1.5
6.	स्वास्थ्य केन्द्र	50 प्रतिशत	1.5
7.	पुलिस थाना	50 प्रतिशत	1.5
8.	अग्निशमन भवन	50 प्रतिशत	1.5
9.	सामुदायिक भवन	40 प्रतिशत	1.0
10.	शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय कार्यालय	40 प्रतिशत	1.5

टीप- 5 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन, गैरेज तथा सायकिल स्टेण्ड के लिए अनिवार्य होगा ।

6.18 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

संवेदनशील क्षेत्रों में विकास की गतिविधियां निम्नानुसार प्रावधानित हैं :

संवेदनशील क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों का नियंत्रण निम्न नियमन के आधार पर किया जावेगा -

- नदी, नाला एवं तालाबों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम से कम क्षेत्र म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुसार होगा । किन्तु जहां के लिए विकास योजना में अलग से प्रस्ताव दिये गये हैं वे तदनुसार ही लागू होंगे ।
- कीचड़, मल निकास, सेप्टिक टैंक निकास किसी भी स्थिति में तालाबों में प्रवाहित नहीं किया जावेगा ।
- पेट्रोलियम आधारित उर्वरकों का उपयोग कर जल स्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्र में कृषि कार्य को प्रतिबंधित किया जायेगा जिससे कि तालाबों में घासफूस एवं अन्य ऐसी गतिविधियां जो भूमि कटाव करती हैं, को रोका जा सके । संबंधित विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक उपाय किया जाना चाहिये ।
- नियंत्रित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से पर्यटकों के परोक्ष आमोद-प्रमोद, प्रोत्साहन, दर्शनीय स्थलों के विस्तार एवं अन्य कार्य स्वीकार्य होंगे। नियंत्रित क्षेत्र से बाहर के खुले क्षेत्रों में निम्नलिखित श्रेणियों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य निर्माण प्रतिबंधित होंगे ।



- तालाबों के किनारे के क्षेत्रों में अपने भवनों को व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक, ग्रेडल मल लाईन, जब उनका निर्माण हो जाये, जोड़ना होगा ।
- नियंत्रण क्षेत्र में आने वाले वर्तमान भवनों में आच्छादित क्षेत्र में या फर्शी क्षेत्रानुपात में वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी । बशर्ते कि पूर्व में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा दी गयी हो ।
- तालाबों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के संग्रहण हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे ।
- संवेदनशील क्षेत्रों में निम्न श्रेणी के रख रखाव के विस्तार संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे ।
 - 1 ऐतिहासिक महत्व
 - 2 नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन
 - 3 प्राचीन वास्तुकला भवन, यदि निजी अधिपत्य में हो, तो भी
 - 4 समय-समय पर उत्खनित/खोजे गये विरासतीय भवन

6.19 नगरीय विरासत वाले क्षेत्रों हेतु नियमन

सक्षम प्राधिकारी द्वारा शीघ्रता से विरासत महत्व के स्मृति चिन्हों के संरक्षण एवं सुधार हेतु विस्तृत अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार किये जाने चाहिये । जब तक इस प्रकार का अध्ययन एवं प्रस्ताव क्रियान्वयन हेतु तैयार नहीं होते हैं, तब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित एवं सूचीबद्ध विरासत भवन हेतु निम्न शर्तों पर विकास अनुज्ञा दी जावेगी ।

- प्रत्येक विरासत भवन का प्रतिबंधित क्षेत्र उसके समीपवर्ती से 100 मीटर क्षेत्र में व्याप्त होगा ।
- शासन द्वारा स्वीकृत निजी या अन्य किसी संस्था के माध्यम से मूल स्वरूपीकरण स्वीकार्य होगा ।
- चयनित एवं सूचीबद्ध विरासत भवनों को गिराने की अनुमति नहीं होगी चाहे वे निजी आधिपत्य में ही क्यों न हों ।
- प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली संरचना नगर में प्रभावशील सामान्य मापदंड से संचालित नहीं होंगे ।
- प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित भवनों की ऊंचाई एवं रूपांकन विरासत भवनों के वास्तुकला के समान होना चाहिये ।
- मार्ग, नगरीय स्थल, चौराहे, आंगन जो कि नगर के प्रमुख तत्व हैं, को संरक्षित रखा जाना चाहिये एवं किसी नगरीय नवीनीकरण एवं पूर्ण विकास के माध्यम से यथास्थिति दिये जाने का प्रयास किया जाना चाहिये ।
- प्रतिबंधित क्षेत्र में भू-दृश्यीकरण विकास स्वीकार्य होगा जिसमें परिवेश से मिला-जुला वृक्षारोपण, पहुंच परिभ्रमण एवं भवन के चारों ओर पार्किंग स्वीकार्य होगी जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथोचित रूपांकन अनुसार स्वीकृत की जावेगी ।

6.20 विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया

विकास योजना प्रस्तावों के अंतर्गत आवेदनकर्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानानुसार निम्न दस्तावेज/जानकारी संलग्नित की जाना आवश्यक होगा -



1. म.प्र. भूमि विकास नियम-1984 के अंतर्गत निर्धारित अनुज्ञा प्रपत्र में अनुज्ञा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिये।
2. स्वामित्व संबंधी प्रमाण : खसरा पंचसाला, खसरा खतौनी, पंजीयननामा, प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण ।
3. भूमि का विवरण (स्थान के साथ सड़क/सड़कों के नाम जिस पर या जिसके सामने संपदा स्थित हो एवं भू-सीमायें)
4. मूल खसरा मानचित्र जिसमें प्रश्नाधीन भूमि के क्रमांक अंकित हों, साथ ही प्रश्नाधीन भूमि की बाहरी सीमा से 200 मीटर के अंतर्गत निहित पास के खसरा क्रमांक दर्शाये हों, प्रश्नाधीन भूमि खसरा मानचित्र पर लाल रंग से चिन्हित की जावे ।
5. विकसित क्षेत्र के प्रकरण में भूखंड क्रमांक तथा स्वीकृत अभिन्यास के विस्तृत विवरण सहित ।
6. स्थल मानचित्र जिसमें प्रश्नाधीन भूमि चिन्हित हों, साथ ही मुख्य पहुंच मार्ग, भूमि के आसपास वर्तमान भू-उपयोग एवं महत्वपूर्ण भवन ।
7. 1:500/1000/2000 की माप पर सर्वे प्लान जिसमें प्रश्नाधीन भूमि की सीमा, प्राकृतिक स्वरूप जैसे नाले, गड्ढे, पहाड़ियां, वृक्ष, यदि भूमि समतल न हो तो कंटूर प्लान, प्रश्नाधीन भूमि में से 200 मीटर तक की समीपस्थ भूमि से जा रही उच्च दाब विद्युत लाईन, राईट आफ वे दर्शाते वर्तमान मार्ग । विद्युत एवं टेलीफोन के खंभे, वृक्ष एवं अन्य सभी संबंधित स्वरूप जो समीपस्थ क्षेत्रों से सामंजस्य करने हेतु आवश्यक हों।
8. सामान्य प्रतिवेदन के साथ प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित सभी विकासीय प्रस्ताव दर्शाता प्लान/मानचित्र ।
9. प्रस्तावों के यथोचित परीक्षण हेतु भवन के वास्तुविदीय विवरण प्रस्तुत करना होंगे ।
10. विकास प्रस्ताव के प्रकार जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि पर एक प्रतिवेदन ।
11. म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप विकास/निवेश अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा । अनुज्ञा आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष में जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिये ।
12. अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक प्रमाण/जानकारी या अधिनियम के अंतर्गत शासन द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप प्रमाण/जानकारी एवं प्रश्नाधीन भूमि के विकास प्रस्ताव आवेदन के साथ संलग्नित होना चाहिये।
13. म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 की धारा 49 (3) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना में प्रावधान प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित करें ।
14. अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत मानचित्रों के अतिरिक्त अपने प्राधिकृत वास्तुविद/यंत्री/नियोजक द्वारा हस्ताक्षरित यथोचित भू-दृश्यीकरण प्लान, जहां आवश्यक हो, वहां का परिवहन प्लान जिसमें वाहन एवं नगरीय रूपांकन योजना दर्शायी गयी हो, को आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होंगे ।
15. म.प्र. कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण (निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 एवं 1999 के प्रावधान के अनुरूप आवश्यक प्रमाण-पत्र ।



- टीप -
1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत योजना प्रस्ताव के परीक्षण करते समय राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रसारित निर्देशों एवं मार्गदर्शन का कड़ाई से पालन किया जावेगा ।
 2. भूमि विकास/निवेश अनुज्ञा संबंधी म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना चाहिये ।

6.21 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया (प्रस्तावित भू-उपयोग)

म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 की धारा 49(3) के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु निम्न की आवश्यकता होगी :-

1. परिशिष्ट-1 (द) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र ।
2. प्रश्नाधीन भूमि का मूल खसरा मानचित्र जिसमें इस भूमि तथा 200 मीटर तक के समीपस्थ खसरा क्रमांक दर्शित हों ।
3. अद्यतन खसरा पंचसाला एवं खसरा खतौनी ।
4. आवेदन केवल भू-स्वामी द्वारा ही प्रस्तुत किया जायेगा ।
5. जब आवश्यक हो भूमि का पंजीयन प्रमाण तथा नामांतरण प्रमाण आवेदन के साथ प्रस्तुत हो ।



विकास योजना का क्रियान्वयन

विकास योजना को कार्यान्वित एवं प्रभावशील करने हेतु यथासंभव पूर्ण प्रयत्न किये जाना आवश्यक हैं। यह अपेक्षित है कि इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण, पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि विकास करके योगदान प्रदान करना होगा। इसलिए यह आवश्यक होगा कि ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन तकनीकी सलाह देकर किया जाये जिससे कि प्रस्तावित निर्माण, अनुमोदित विकास योजना के उपबंधों के अनुरूप हो। विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा, जबकि म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी विकास कार्य चाहे वह शासकीय, अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो, उसकी अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कर किया जाए। भूमि उपयोग भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 एवं अधिनियम 1973 में निहित हैं।

विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः अनूपपुर नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसका गठन होने तक यह दायित्व नगर पालिक परिषद, अनूपपुर द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर पालिका ग्राम पंचायत, म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग द्वारा भी अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाता है। उससे विकास योजना के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। इसलिए यह अपेक्षित होगा कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निकाय विकास योजना के कार्यान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दें।

7.1 विकास योजना क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2021 तक की कालावधि के लिए हैं। वर्तमान मूल्यां के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव कार्यान्वयन करने में लगभग 25351.84 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है। इसमें विभिन्न उपयोग हेतु 898.23 हेक्टर भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं 60 प्रतिशत भूमि के विकास पर व्यय, नये मार्गों का निर्माण आदि शामिल है। भूमि अर्जन की औसत दर 8.00 लाख रुपये प्रति हेक्टर मानी गयी है। जहां तक विकास व्यय का प्रश्न है, वह भूमि उपयोग के प्रकार अनुसार अलग-अलग माना गया है। संपूर्ण विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 7-सा-1 में दर्शाया गया है -



अनूपपुर : योजना कार्यान्वयन की लागत

7-सा-1

क्र.	भूमि उपयोग	क्षेत्र (हेक्टेयर)			भू अर्जन रूपये 8.0 लाख प्रति हेक्टर की दर से	अर्जित भूमि का 60 प्रतिशत पर विकास व्यय			कुल लागत (6+9)
		वर्तमान	प्रस्तावित	शेष भूमि जो अर्जित करना है		क्षेत्र (हे. में)	दर प्रति हेक्टर (लाख रु.)	लागत लाख रूपये में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आवासीय	166.45	440.68	274.23	2193.84	164.53	20.00	3290.60	5484.44
2	वाणिज्यिक	6.64	52.22	45.58	364.64	27.34	60.00	1640.40	2005.04
3	औद्योगिक	1.14	205.95	204.80	1638.40	122.88	20.00	2457.60	4096.00
4	सार्व. एवं अर्द्ध सार्वजनिक	21.18	107.96	86.78	694.24	51.60	20.00	1032.00	1726.24
5	आमोद-प्रमोद	6.72	144.96	138.24	1105.92	82.94	10.00	829.40	1935.32
6	यातायात एवं परिवहन	135.24	283.84	148.60	1188.80	89.16	100.00	8916.00	10104.80
	योग	337.37	1235.61	898.23	7185.84	538.93		18166.00	25351.84

स्त्रोत : नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा आंकलित /



7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है। निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारित की जाएगी।

1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू-स्वरूप।
2. सांस्कृतिक धरोहरों के क्षेत्रों का संरक्षण।
3. भूमि का कुशलतम उपयोग।
4. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/संधारण।
5. भूमि प्रदाय तथा संरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव।
6. समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना।

इन उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है।

- (अ) पर्यावरण प्रबंधन एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम।
- (ब) नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम।
- (स) आवास एवं पर्यावास नीति 2007 के अंतर्गत भूमि विकास।

7. मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू-उपयोग के विकास हेतु अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जायेगा कि मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय संस्था को विकास हेतु उपलब्ध हो सके।
8. किसी भी तरह के स्वीकार्य भू-उपयोग 12 मीटर चौड़ाई से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर विकसित नहीं किये जा सकेंगे।
9. प्रत्येक अभिन्यास में प्रत्येक 100 आवासीय ईकाईयों के लिए एक वालबाड़ी, एक झूलाघर हेतु क्षेत्र आरक्षित रखना होगा। इसके अतिरिक्त उपयुक्त स्थान पर बंद कचराघर हेतु कम से कम 20x20 फीट स्थान आरक्षित रखना होगा, जहां से स्थानीय संस्थायें सुविधापूर्वक कचरे का उठान कर सकें, जिससे पर्यावरणीय दुष्प्रभाव न पड़े।
10. ऐसे आवासीय क्षेत्र में भूखंड का आकार मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-1984 के नियम 53(1) एवं (2) के अनुसार एवं खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार जहां कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो, नियंत्रित होगा।

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण से तात्पर्य उन चरम पर्यावरण संबंधी समस्याओं से है जो प्रमुख रूप से नदी/तालाब के संरक्षण, इनको जल गुणवत्ता, उत्कृष्टता, भू-स्वरूप तथा जल स्रोतों के जलग्रहण क्षेत्रों से संबंधित कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित है।



अन्य पर्यावरण समस्यायें जैसे नगरीय अवशिष्ट के उपचार, निराकरण, इसके पुनर्चक्रीकरण एवं नगर विस्तार के परिपेक्ष्य में जनसंख्या से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है।

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा—

- संस्था का गठन।
- विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन।
- भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग।
- नगर के रहवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष्य में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान।

नगर अधोसंरचना और सेवा कार्यक्रम के प्रमुख तत्व —

1. नियंत्रित विकास
2. अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन।
3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना।
4. विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण।
5. समयबद्ध विकास अनुज्ञा हेतु तंत्र उपलब्ध कराना।

7.4.1 नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भू-स्वामी/विकासकर्ता/सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जायेगा। यहां समन्वयक संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी। सार्वजनिक संस्थायें, प्रमुख सेवायें, तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होंगी। परिसीमन विकास, आवास एवं पर्यावास नीति 2007 में उल्लेखित विकास संस्थाओं द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार विकसित बड़े भूमि क्षेत्र का आवंटन परिसीमन अधोसंरचना की सुगमता के अनुकूल राज्य आवास एवं पर्यावास नीति 2007 के परिपेक्ष्य में गृह निर्माण संस्थाओं को आवास संघों एवं निजी विकासकर्ता द्वारा दिया जायेगा। उक्त व्यवस्था पर राज्य शासन द्वारा परीक्षण कर अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम के सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से आनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना



प्रस्तावित है। नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है।

7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढांचे के अनुरूप क्रियान्वित एवं तैयार किया जा सकेगा।

वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जायेगा जिसमें पांच वर्षीय नगर विकास कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिये जाने वाले क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम होगा, जो कडिका 7.6 के संदर्भ में रहेगा।

नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जायेगा। यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण, लक्ष्य भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्त खण्ड एवं उपवृत्त खंड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय अर्द्ध शासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शायेगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किये जाने वाले नगर मार्ग तंत्र तथा मुख्य सेवा सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि का समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका सुविधादायक के रूप में होगी।

योजना क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका सुविधादायक के रूप में होनी चाहिये। इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना उपयुक्त होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ग विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्रोतों को एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा। एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढांचे के अंतर्गत किया जाकर लक्ष्य पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है।

1. एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान।
2. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्व सम्मत विषय सूची की पहचान।
3. विकास योजना का प्राथमिकता निर्धारण।
4. एकीकृत नगरीय विकास योजना तैयार करना।
5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास का दृष्टिकोण रखते हों।
6. समन्वय अधिकारियों और अन्य वृत्त खण्डीय/एजेन्सियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना।



7.4.4 विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण

नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम उपयोग के साथ-साथ आधुनिक भूमि उपयोग प्रबंधन नीतियों को अंगीकृत करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि विकास नियमों को पुनर्भाषित किया जाये । भारतीय जीवन शैली के अनुरूप उपयुक्त निर्मित स्वरूप की प्राप्ति हेतु विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय 6 में विकास नियमन दिये गये हैं ।

7.5 योजना एवं कार्यक्रम

(अ) आलोच्य क्षेत्रों के विकास हेतु इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए 2 चरणों में प्रावधान है । प्रथम चरण सन् 2015 तक की आवश्यकताओं तथा द्वितीय 2016 से 2021 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा ।

(ब) योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकास कर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से समाधान गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है ।

(स) योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिए नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी । उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास क्रियान्वित किया जायेगा ।

1. भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना ।
2. मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारण करना जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी कार्यरूप दे सके ।
3. भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी कार्यक्रम की नीति तैयार करना ।
4. परिसीमन अधोसंरचना के प्रावधान के साथ-साथ लगभग 5 से 10 हेक्टर आकार के अर्द्ध विकसित भूखण्डों को सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने हेतु भूमि विकास कार्यक्रम को मूर्त रूप देना ।
5. योजना के दोनों चरणों के लिए आवश्यक जलापूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्रोत का विकास ।
6. नगरीय विकास के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु अधोसंरचना, पावर ग्रिड, जल निकास व्यवस्था का विकास ।
7. भूमि विकास कार्यक्रम नगरीय विकास परियोजनायें साथ ही लक्षित समूह आवासों के विकास के क्रियान्वयन हेतु एक विशेष नियोजन एवं विकास अनुज्ञा प्रणाली तैयार करना चाहिये ।



8. एक विशेष परिणाममूलक भूमि निष्पादन नीति तैयार करने की आवश्यकता है ताकि सभी सहभागियों के संसाधनों में गतिशीलता लाई जा सके ।
9. मुख्य जल स्रोत में वृद्धि एवं ऊर्जा वितरण केन्द्रों की स्थापना ।

7.5.1 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

(अ) एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धान्त निम्नानुसार हैं :-

- यह सुनिश्चित करना कि उपलब्धता में कमी तथा उपयुक्त अधोसंरचना में कमी के कारण विकास अवरुद्ध न हो ।
- उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना ।
- बिखरे हुए नगरीय विकास के लिए पहुंच मार्ग उपलब्ध कराना ।
- अर्द्ध विकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन ।
- भू-स्वामियों, सामाजिक समूहों एवं निजी विकास कर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना ।

(ब) प्रथम चरण कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र के अवयवों को निम्नानुसार चिन्हित किया गया है ।

7.6 प्रथम चरण कार्यक्रम

प्रथम चरण के अंतर्गत सम्मिलित किए गए कार्यक्रम, उनकी लागत प्राप्त होने के आधार पर रखे गए हैं तथापि नगर की तुरंत आवश्यकताओं को भी प्रथम चरण में दिया गया है । नगर में कार्यरत विभिन्न शासकीय, अर्द्ध शासकीय संस्थाओं को विकास योजना के कार्यों में जोड़ना आवश्यक है तथा इससे इन विभागों के वार्षिक बजट तथा अन्य संसाधनों को भी उपयोग में लाया जा सके ।

7.6.1 प्रथम चरण क्रियान्वित करने में निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित हैं -

1. 226.83 हेक्टर भूमि का अर्जन ।
2. 169.14 हेक्टर भूमि का विकास ।
3. 7.5 किलोमीटर नये प्रमुख मार्गों का निर्माण ।
4. आमोद-प्रमोद - नगर उद्यान, रामलीला मैदान, एवं तालाबों का सौंदर्यीकरण



अनूपपुर : प्रथम चरण लागत

7-सा-2

क्र.	भूमि उपयोग का विवरण	भू अर्जन		विकास कार्य		कुल लागत (4+6) (लाख रु)
		भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	लागत (लाख रु)	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	व्यय (लाख रु)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आवासीय	40.53	324.20	30.29	605.80	930.00
2.	वाणिज्यिक	18.00	144.00	12.60	756.00	900.00
3.	औद्योगिक	77.40	619.52	58.08	1161.60	1781.12
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	33.00	264.00	24.75	495.00	759.00
5.	आमोद-प्रमोद	32.00	256.00	24.00	240.00	496.00
6.	यातायात एवं परिवहन मार्ग	25.90	207.20	19.42	1942.00	2149.20
	अंडर ब्रिज			एक मुश्त	500.00	500.00
	योग-	226.83	1814.92	169.14	5700.40	7515.32

7.7 योजना पर्यवेक्षण तंत्र


योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित है -

1. पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना ।
2. आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण ।
3. प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत नगर विकास हेतु चिन्हित कार्यक्रमों में संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट पर्यवेक्षण करना ।
4. वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं अधोसंरचना एवं क्षेत्र में निवेश निर्धारण ।
5. आलोच्य क्षेत्रों के सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका निर्धारण ।
6. समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना ।
7. वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण ।




अनूपपुर

7.1 प्रथम चरण



LEGEND		
RESIDENTIAL		आवासीय
COMMERCIAL		वाणिज्यिक
GENERAL SPECIALIZED / MANDI TRANSPORT NAGAR	 	सामान्य विशेषीकृत वाणिज्यिक (मंडी) यातायात नगर
INDUSTRIAL		औद्योगिक
PUBLIC & SEMIPUBLIC		सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक
RECREATIONAL		आमोद प्रमोद
MELA GROUND		मेला मैदान
STADIUM		स्टेडियम
TRANSPORATION		यातायात
ROADS		मार्ग
BUS STAND		बस स्टैण्ड
RAILWAY UNDER BRIDGE		



8. सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करते हुए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना ।

योजना पर्यवेक्षण के लक्ष्य की पूर्ति निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है :-

1. स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति ।
2. नगर विकास प्राधिकरण अथवा नगर पालिका द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना ।
3. नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन ।
4. समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।
5. वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन करना ।

विकास योजना की सफलता, विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारण, समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रमों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संस्थानों की गतिशीलता पर निर्भर करता है । इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरान्त तदनुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करता है ।

1. पर्यवेक्षण समिति का गठन

विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूलतः दायित्व नगर पालिका, अनूपपुर का होगा । अपितु इनके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएँ एवं विभाग भी सहभागी होंगे । अतः क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-130/32/97 दिनांक 20.1.1998 एवं संशोधन आदेश क्रमांक एफ-3/55/32/98 दिनांक 12.8.1998 द्वारा कलेक्टर अनूपपुर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 2876 दिनांक 15.5.1998 में उल्लेखित कार्य पद्धति को अपनाते हुए नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी । अनूपपुर नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण के गठन होने तक यह दायित्व अनूपपुर नगर पालिका वहन करेगी ।

2 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

विकास प्राधिकरण/ नगरपालिका द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशासित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे । समिति अपनी अनुशासा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, म.प्र. भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा अनुशासित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा ।



7.8 योजना की व्याख्या

विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है । विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं । अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किये गये हैं :-

1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषय वस्तु में साथ-साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है ।
2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग, सारणी एवं विकास नियमन के अध्याय-6 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार होगा । नेबरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखंड स्तर तथा खंड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित है । अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है ।
3. ऐसे भूमि उपयोग, गतिविधियों जो प्रमुख भू-उपयोग वर्ग (Major Land Use Zone) में परिभाषित नहीं हैं, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जायेंगी, किन्तु जो स्वीकृत स्वीकार्य भू-उपयोग सारणी में शामिल हैं, वे भू-उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आयेंगे ।
4. विकास प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक परिवर्तन अपरिहार्य होता है । स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा । इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जायेगा ।
5. शासन द्वारा म.प्र. आवास एवं पर्यावास नीति 2007 के क्रियान्वयन हेतु जारी आदेश/दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होगा ।



विशेष विवरण पत्रक
प्रस्तावित भवन का विशेष विवरण

1. भूखंड का कुल क्षेत्रफल ----- वर्गफुट/मीटर
2. कुल निर्मित क्षेत्र -----
विद्यमान निर्मित क्षेत्र ----- वर्गफुट/मीटर/ प्रस्तावित
----- वर्गफुट/मीटर
विद्यमान प्रथम मंजिल ----- वर्गफुट/मीटर/ प्रस्तावित
----- वर्गफुट/मीटर
विद्यमान द्वितीय मंजिल ----- वर्गफुट/मीटर/ प्रस्तावित
----- वर्गफुट/मीटर
3. उद्देश्य कार्य जिसके लिए भवन का उपयोग प्रस्तावित है ।
4. विशेष विवरण जो निम्नलिखित के निर्माण में उपयोग में लाया जायेगा-
(एक) नीवं
(दो) दीवालें
(तीन) फर्श
(चार) छत
5. भवन में अन्तर्विष्ट होने वाली मंजिलों की संख्या -----
6. ऐसे व्यक्तियों की लगभग संख्या, जिन्हें कि वास स्थान दिया जाना प्रस्तावित है।
7. उन शौचालयों की संख्या जिनकी कि व्यवस्था की जायेगी ।
8. क्या स्थल पर पूर्व में निर्माण हुआ है, यदि ऐसा हुआ है तो पूर्ववर्ती भवन रहने के लिए कब से उपयुक्त नहीं रहा -----
9. भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले जल का स्रोत ।

आवेदक के हस्ताक्षर



(नियम 49(3) देखिये)

विकास योजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्ररूप

प्रति,

प्राधिकारी -----

मध्यप्रदेश

महोदय,

मैं एतद् द्वारा नगर ----- मोहल्ला/बाजार----- बस्ती/
कालोनी/गली ----- भूखण्ड क्रमांक ----- खसरा क्रमांक -----
की भूमि के विकास/पुनर्विकास करने का इच्छुक हूँ । क्षेत्र से संबंधित विकास
योजना/ परिक्षेत्रिक विकास योजना से संबंधित प्रस्ताव ऊपर उल्लेखित भूमि के लिए
उपखंड आयोजना तैयार करने के लिए उपलब्ध किये जा सकेंगे । विकास योजना/
परिक्षेत्रिक विकास योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक भुगतान
किया जा चुका है तथा रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है ।

भू-स्वामी के हस्ताक्षर

भू-स्वामी का नाम

(स्पष्ट अक्षरों में)

भूस्वामी का पता

स्थान -----

दिनांक -----

नाम- नगर/नगर निगम/नगर पालिका/विकास प्राधिकरण/ नगर निवेश अधिकारी



आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 मई 2007

क्रमांक एफ-3-32-2007/बत्तीस - मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (II) के अंतर्गत राज्य शासन एतद् द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अनूपपुर निवेश क्षेत्र का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची द्वारा परिनिश्चित की गई हैं ।

अनुसूची

अनूपपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर	ग्राम मानपुर, बरबसपुर, सीतापुर, हरी एवं वरी की उत्तरी सीमा तक
पूर्व	ग्राम वरी, बेला, कुसुमहाई एवं पिपरिया की पूर्वी सीमा तक
दक्षिण	ग्राम पिपरिया दुलहरा, करी टोला, संकरिया एवं ग्राम जमुड़ी की दक्षिणी सीमा तक
पश्चिम	ग्राम जमुड़ी, वैरीबांध, दमना एवं ग्राम परसवार की पश्चिमी सीमा तक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
सही /-
(वर्षा नावलेकर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय शहडोल

शहडोल दिनांक 12 दिसम्बर 2007

भूमि के वर्तमान उपयोग अंगीकरण की अनुसूची

क. 571/नग्रानि/अनूपपुर/07 - मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसारेण में सर्व साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनूपपुर निवेश क्षेत्र में भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदनुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं। इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसारेण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है।

अनूपपुर निवेश क्षेत्र की अनुसूची

उत्तर में	ग्राम मानपुर, बरबसपुर, सीतापुर, हरी एवं वरी की उत्तरी सीमा तक
पूर्व	ग्राम वरी, बेला, कुसुमहाई एवं पिपरिया की पूर्वी सीमा तक
दक्षिण	ग्राम पिपरिया दुलहरा, कर्रा टोला, संकरिया एवं ग्राम जमुड़ी की दक्षिणी सीमा तक
पश्चिम	ग्राम जमुड़ी, वैरीबांध, दमना एवं ग्राम परसवार की पश्चिमी सीमा तक

उक्त अंगीकृत मानचित्र एक सप्ताह तक निरीक्षण के लिए निम्न स्थानों पर उपलब्ध रहेगा।

- कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जि.का. शहडोल
- कार्यालय मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत अनूपपुर (म.प्र.)

(जे.पी.सिंह)
उप संचालक



(नियम- 17(1))

किसी भवन के विकास, निर्माण पुनर्निर्माण अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन करने के लिये प्रथम आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

.....

महोदय,

मैं एतद् द्वारा यह सूचना देता हूँ कि मैं नगर.....
 मोहल्ला, बाजार, सड़क बस्ती मार्ग में
 भवन क्रमांक अथवा प्लॉट क्रमांक में पर
 तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-1984 के नियम-17 के के
 अनुसार विकास निर्माण पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन करना चाहता हूँ और मैं इसके साथ
 मेरे तथा वास्तुविद
 इंजीनियर पर्यवेक्षक नगर निवेशक, अनुज्ञप्ति क्रमांक (नाम स्पष्ट अक्षरों में)
 जो उस निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करेगा,
 द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षरित निम्नलिखित रेखांक और विशिष्ट विवरण चार प्रतियों
 में अग्रेषित करता हूँ :-

1. मुख्य रेखांक
2. स्थल रेखांक
3. उप विभाग- अभिन्यास योजना
4. भवन नक्शे
5. सेवा आयोजना
6. विशिष्टियां सामान्य तथा विस्तृत
7. स्वामित्व संबंधी हक .

मैं निवेदन करता हूँ कि विकास निर्माण को अनुमोदित किया जाये और मुझे कार्य निष्पादित करने की अनुमति प्रदान की जाये ।

स्वामी के हस्ताक्षर
 स्वामी का नाम
 (स्पष्ट अक्षरों में)
 स्वामी का पता

तारीख

प्राधिकारी द्वारा सीधे उपयोग के लिये रूपरेखा तैयार की जा सकती है ।



मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
आदेश

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी, 1998

क्रमांक एफ-3/130/32/97 राज्य शासन एतद द्वारा मध्यप्रदेश के जिन विभिन्न नगरों की विकास योजनाएं अनुमोदित है, कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिये निम्नानुसार "नियोजन एवं पर्यवेक्षण" समिति का गठन करता है -

1.	संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	नगर तथा ग्राम निवेश का संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय अधिकारी	सदस्य
3.	म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल का उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
4.	संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम/मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका	सदस्य
5.	लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
6.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्य पालन यंत्री	सदस्य
7.	म0प्र0 विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
8.	(अ) संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित है।) (ब) संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित नहीं है)	सदस्य सचिव सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा
आदेशानुसार

हस्ताक्षर
(जी०व्ही० उपाध्याय)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग



मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
संशोधन

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त, 1998

क्रमांक एफ-3/55/32/98 राज्य शासन एतद् द्वारा नगरों की अनुमोदित 'विकास' योजनाओं के क्रियान्वयन एवं क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं के समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु इस विभाग के आदेश क्र. एफ-3/130/32/97, दिनांक 20.01.98 द्वारा संभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित "नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति" में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है -

(1) समिति में निम्नलिखित भी सदस्य के रूप में शामिल किये जाते हैं -

1. सांसद, संबंधित क्षेत्र
2. अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण
3. अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत
4. महापौर, संबंधित नगरपालिका निगम
5. अध्यक्ष, संबंधित नगर पालिका
6. अध्यक्ष, संबंधित नगर पंचायत.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

हस्ता/-

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / 2876 / नग्रानि / वि०यो० / 98

भोपाल दिनांक 15 मई-1998

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
2. आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर निगम / नगर पालिका

विषय- विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति की कार्यवाही हेतु रूपरेखा।

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 3/130/32/97 दिनांक 20.1.98 द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी गठित की गई "नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति" की कार्य पद्धति की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार है :-

- (1) पर्यवेक्षण समिति निम्न क्षेत्रों में क्रियान्वयन स्थिति का पर्यवेक्षण करेगी।
 - (अ) नगरीय अधोसंरचना का विकास
 - (ब) आवासीय एवं आश्रय योजनाओं का विकास
 - (स) सार्वजनिक सुविधाओं एवं नगरीय केन्द्रों / उपकेन्द्रों का विकास
 - (द) आमोद-प्रमोद क्षेत्रों का विकास
- (2) समिति निम्नलिखित कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु 3 माह में एक बार बैठक करेगी
 - (अ) कार्यक्रम का चयन
 - (ब) परियोजना तैयारीकरण
 - (स) परियोजना क्रियान्वयन एवं वित्तीय व्यवस्था
 - (द) कार्यक्रम क्रियान्वयन के मूल्यांकन के फलस्वरूप वांछित सुधार
- (3) समिति निम्नलिखित व्यवस्था अनुसार वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। विकास प्राधिकरण / स्थानीय निकाय द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश के विचारार्थ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तथा संचालक द्वारा उक्त प्रतिवेदन का अनुमोदन कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

हस्ताक्षर / -

(के०के० सिंह)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल (म०प्र०)



अनुसूची - 1
परिसरों की परिभाषायें

001 आवासीय भू-खण्ड भू-खण्डीय आवास

एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज/गैरेजेस, सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो ।

002 आवासीय भू-खण्ड समूह आवास

न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का परिसर, जिसमें मूलभूत सेवा सुविधायें जैसे वाहन विराम स्थल, उद्यान, सुविधाजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधायें आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हों ।

003 आवासीय प्लेट

एक परिसर के लिए आवासीय इकाई जो कि समूह आवास का भाग या स्वतंत्र हो ।

004 आवासीय-सह-कार्य भू-खण्ड

एक परिसर में एक परिवार के लिए उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो, ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक एवं आवासीय परियोजनाओं में मान्य होंगे ।

005 आवासीय परिसर - विशेष क्षेत्र

विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या सहित विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान ।

006 छात्रावास (होस्टल)

दीर्घावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर ।

007 अतिथिगृह बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह

अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर ।

बोर्डिंग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों की छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हों ।

008 धर्मशाला एवं इसके समकक्ष

वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थाई रहवासी जगह उपलब्ध हो ।



009 बारात घर

सार्वजनिक संस्था द्वारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों के उपयोग हेतु स्थान।

010 रैन-बसेरा (नाइट शेल्टर)

ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो, जो कि स्थानीय शासन या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हों।

011 फुटकर दुकानें

आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विक्रय परिसर।

012 मरम्मत दुकान

गृह सामग्री, इलेक्ट्रानिक सामान, आटोमोबाईल, सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर।

013 व्यक्तिगत सेवा दुकान

फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी, नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हों।

014 बेडिंग बूथ

यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो।

015 सुविधाजनक दुकान केन्द्र

लगभग 5000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 50 दुकानों का समूह।

016 स्थानीय दुकान केन्द्र

लगभग 15 हजार जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में 75 दुकानों का समूह।

017 साप्ताहिक बाजार/अनौपचारिक समूह इकाई

बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र। यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो।

018 थोक व्यापार

ऐसा परिसर जहां से वस्तुयें एवं सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हों।



019 स्टोरेज गोदाम एवं भण्डारण

ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो ।

020 कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)

आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो ।

021 गैस गोदाम

ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों का भंडारण किया जाता हो ।

022 तेल डिपो

संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर ।

023 कबाड़खाना

अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के क्रय-विक्रय के साथ बंद, अर्द्धबंद एवं खुला भण्डारण परिसर ।

024 वाणिज्यिक कार्यालय

लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर ।

025 बैंक

ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों ।

026 मोटर गैरेज एवं कार्यशाला

वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर ।

027 छविगृह

दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो, ऐसा परिसर ।

028 पेट्रोल पंप

ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो, साथ ही वाहन सर्विसिंग की व्यवस्था हो ।

029 रेस्टोरेंट/उपाहार गृह

ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले, बंद या दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो ।



030 होटल

ऐसा परिसर, जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो ।

031 मोटल

ऐसा परिसर, जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो ।

032 फ्लेटेड समूह उद्योग

ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक लघु उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो, यह इकाईयां बहुमंजिला भवन में हो सकती हैं ।

033 सेवा केंद्र

ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत, विद्युत उपकरण मरम्मत, भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हों, ताकि पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों को आवश्यक सेवा प्रदाय हो सके ।

034 औद्योगिक भूखण्ड - हल्के उद्योग

अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग इकाईयों का परिसर ।

035 औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग

ऐसी औद्योगिक इकाईयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रानिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन इकाईयों का समूह सम्मिलित हो ।

036 उद्यान (पार्क)

आमोद-प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भू-दृश्यीकरण, वाहन विराम, सार्वजनिक शौचालय, फैंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हों, इसमें लॉन, खुले एवं हरिज क्षेत्र आदि सम्मिलित होंगे ।

037 क्रीड़ांगन

बाह्य खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर, इसमें भूदृश्यीकरण, वाहन विराम सुविधा, सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हों ।

038 बाह्य खेल स्टेडियम

बाह्य खेलों के लिए ऐसा स्टेडियम जिसमें पवेलियन के साथ दर्शकदीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों ।



039 आंतरिक खेल स्टेडियम

आंतरिक खेलों के लिए ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र, दर्शक दीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों ।

040 आंतरिक खेल हाल

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलों तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हों ।

041 शूटिंग रेंज

ऐसा परिसर जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हों ।

042 तरण पुष्कर

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार, मानक एवं उद्देश्य-के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो ।

043 आमोद-प्रमोद क्लब

संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो ।

044 ऐतिहासिक स्मारक

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हों ।

045 प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय

संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान, पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध हों ।

046 पक्षी अभ्यारण्य

पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रूप में संबंधित सर्वसुविधायुक्त परिसर ।

047 वनस्पति उद्यान

अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिए उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर ।

048 पिकनिक हट/केम्पिंग साइट

ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद-प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो ।



049 फ्लाईंग क्लब

ऐसा परिसर जहां ग्लाइडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो, साथ ही इसमें मनोरंजन एवं आंतरिक खेल गतिविधियां शामिल हों ।

050 माल एवं टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाईन्स द्वारा टिकट घर एवं माल के भण्डारण के लिए किया जाता हो ।

051 रेल माल गोदाम

ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेल्वे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो ।

052 रेल टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु रेलवे टिकट घर के रूप में किया जाता हो ।

053 सड़क परिवहन टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमें गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हो ।

054 वाहन विराम

सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो ।

055 टेक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग अंतवर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है । वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक हो ।

056 बस अवसान केन्द्र

ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय के विराम हेतु किया जाता हो । इसमें यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती हैं ।

057 बस स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख-रखाव, मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो, इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी ।



058 सार्वजनिक उपयोगिता परिसर

1. **पानी की टंकी** - ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है ।
2. **भूमिगत टंकी** - ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है ।
3. **आक्सीकरण पौंड** - ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो ।
4. **सेप्टिक टैंक** - ऐसा परिसर जिसमें जल निकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत टैंक स्थित हो ।
5. **जल-मल पंपिंग स्टेशन** - ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल-मल को ऊंचाई पर भेजने हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो ।
6. **सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय** - ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो, इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी ।
7. **विद्युत उपकेन्द्र** - ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थित हो ।
8. **घूरा एवं कचराघर** - ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं आगे गड्डों को भरने हेतु लदान किया जाता हो ।
9. **धोबीघाट** - ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़े धोने, सुखाने इत्यादि के लिए किया जाता हो ।

059 केन्द्र शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।

060 स्थानीय शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया जाता हो ।

061 सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।

062 न्यायालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।



063 शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग)

ऐसी शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो ।

064 चिकित्सालय

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषीकृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो ।

065 स्वास्थ्य केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक) की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो । स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर-व्यवसायिक आधार पर किया जाता है । इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है ।

066 उपचार केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो । जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सकों के समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है ।

067 औषधालय

ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाईयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो ।

068 क्लीनिक/चिकित्सा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा बाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो । पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा ।

069 उपचार प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण की सुविधा हो ।

070 स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा

ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो । यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है ।

071 झूलाघर एवं दिवस देख-रेख केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा हो । यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है ।



072 पूर्व माध्यमिक एवं किंडरगार्डन स्कूल

ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला एवं बच्चों के खेलने एवं प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हों ।

073 माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 8 तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो ।

074 प्राथमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 5 तक के छात्रों के पढ़ने खेलने की सुविधा हो ।

075 उच्चतर माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 10 से 12 तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो ।

076 एकीकृत शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 12 तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो ।

077 एकीकृत आवासीय शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 12 तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो तथा छात्रों के लिए बोर्डिंग सुविधा हो । इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते हैं ।

078 महाविद्यालय

ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो । इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल हैं ।

079 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय व व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो । ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये । इसमें प्रशिक्षण-सह-कार्य केन्द्र शामिल हैं ।

080 सामाजिक कल्याण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो । यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है ।

081 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो ।



082 पुस्तकालय

ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढ़ने एवं संदर्भ के लिए वृहद संख्या में पुस्तकों का संकलन हो ।

083 तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तकनीकी प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें तकनीकी शाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल हैं ।

084 वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण

ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण, पत्राचार, रिकार्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।

085 संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो ।

086 खेल प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें शारीरिक शिक्षा केन्द्र भी शामिल हैं ।

087 वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें आटो/वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो।

088 बाल यातायात उद्यान

ऐसा परिसर जिसमें बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा-सह-उद्यान की सुविधा हो ।

089 संग्रहालय

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो ।

090 कला दीर्घा एवं प्रदर्शनी स्थल

ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग, छाया चित्रों, मूर्तियों, भित्ती चित्रों, मिट्टी से बनी कलाकृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो ।

091 सभागृह (ऑडीटोरियम)

ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो ।



092 खुला रंगमंच

ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिए दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो।

093 सामुदायिक भवन

ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधा हो।

094 मेला मैदान

ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिए प्रदर्शनी, प्रदर्शन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हों।

095 सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संस्था, राज्य तथा देश के लिए सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हों।

096 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था

ऐसा परिसर जिसमें गैर-वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधायें हों।

097 सुधार गृह

ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो।

098 अनाथालय

ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो। यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है।

099 धार्मिक

ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो। यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है।

100 योग, ध्यान, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हों।

101 पुलिस चौकी

पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थाई स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर।



102 पुलिस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो।

103 जिला पुलिस कार्यालय

अर्द्ध सैनिक बलों के कार्यालय हेतु सुविधायुक्त परिसर।

104 नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक

आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों वाला परिसर।

105 न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा प्राप्त हो।

106 जेल

ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत कारावास/बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो।

107 अग्निशमन पोस्ट

ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो। अग्नि प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है।

108 अग्निशमन पोस्ट

एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर।

109 डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक सुविधायुक्त परिसर।

110 डाक एवं तार घर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।

111 मुख्य डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।

112 टेलीफोन एक्सचेंज

परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो।

113 रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन

समाचार एवं अन्य कार्यक्रमों का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार, प्रसार, रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर। जिसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिए टावर्स जैसे सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती हैं।



114 ट्रांसमिशन टावर एवं वायरलेस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिए टावर निर्माण हेतु किया जाता हो।

115 उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र

ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध हो।

116 वैधशाला एवं मौसम कार्यालय

ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सुविधा उपलब्ध हो।

117 बाग (ओरचर्ड)

सघन फल वृक्षों का परिसर, जिसमें फलदार वृक्षों के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है।

118 डेरी फार्म

ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो। जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

119 कुक्कुट फार्म

कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

120 सुअर पालन

सुअर प्रजनन एवं उत्पाद उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें सुअरों के लिए अस्थायी स्वरूप के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

121 ग्रामीण केन्द्र

एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधायुक्त परिसर।

122 मल्टीप्लेक्स

म.प्र. भूमि विकास नियम-1984 के नियम 90(क) के अनुसार दो या उससे अधिक सिनेमा के साथ दुकानों, आमोद-प्रमोद की गतिविधियों, कार्यालय, शोरूम, होटल, रेस्टोरेन्ट, शापिंग मॉल संबंधी परिसर।



आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जून, 2009

सूचना

क्र. एफ. 3-100-2008-बत्तीस.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा अनूपपुर निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :-

1. कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश
2. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय शहडोल, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, अनूपपुर, मध्यप्रदेश

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

वर्षा नावलेकर, उपसचिव

